सत्यमेव जयते

प्रशासनिक प्रतिवेदन

2012-13

वन विभाग, राजस्थान

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक प्रतिवेदन

2012-13

वन विभाग, राजस्थान

http://www.rajforest.nic.in

हरित राजस्थान कार्यक्रम
के अन्तर्गत
सेन्ट्रल पार्क, जयपुर में
माननीय मुख्यमंत्री
श्री अशोक गहलोत
द्वारा पौधारोपण

प्रदेश की वन, पर्यावरण एवं पर्यटन मंत्री माननीया बीना काक दिनांक 25.5.2012 को
कालका माता जंगल सफारी के दौरान वन सुरक्षा समितियों द्वारा
निर्मित उत्पादों का अवलोकन करते हुए

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
•	प्राक्कथन	iii
•	वन विभाग : एक नजर में	iv
•	विभाग के प्रमुख उद्देश्य एवं प्रबन्ध सिद्धान्त	v-vi
•	महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में वन विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं की क्रियान्विति	vii
•	संकल्प का क्रियान्वयन	viii-x
•	वर्ष 2012–13 की बजट घोषणाओं की क्रियान्विति	xi-xii
अध्याय		
1.	राजस्थान के वन संसाधन : एक परिचय	1–4
2.	प्रशासनिक तंत्र एवं कार्य प्रणाली	5–12
3.	वन सुरक्षा	13–18
4.	वानिकी विकास	19–36
5.	हरित राजस्थान	37–38
6.	मृदा एवं जल संरक्षण	39–42
7.	मूल्यांकन एवं प्रबोधन	43–46
8.	वन्य जीव संरक्षण एवं प्रबन्धन	47–53
9.	कार्य आयोजना एवं वन बंदोबस्त	54–59
10.	वन अनुसंधान	60–64
11.	विभागीय कार्य	65–67
12.	तेन्दू पत्ता योजना	68–69
13.	सूचना प्रौद्योगिकी	70–73
14.	मानव संसाधन विकास	74–76
15.	संचार एवं प्रसार	77
16.	सामाजिक, आर्थिक समृद्धि में वनों का योगदान एवं साझा वन प्रबन्ध	78–83
	परिशिष्ट	84–96

प्राक्कथन

विषम भौगोलिक परिस्थितियों से जूझते राजस्थान प्रदेश को हरा-भरा करना एक अत्यन्त चुनौती भरा काम है। माननीय मुख्यमंत्री ने इस चुनौती को स्वीकार कर प्रदेश को हरा-भरा करने की परिकल्पना को ''हरित राजस्थान'' कार्यक्रम के रूप में साकार किया है। मुझे अत्यन्त हर्ष है कि पौधारोपण के महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम ''बीस सूत्री कार्यक्रम'' के अन्तर्गत प्रदेश में आवंटित लक्ष्यों के विरुद्ध वृक्षारोपण क्षेत्र से संबंधित उपलब्धि 96.56 प्रतिशत तथा पौधारोपण की उपलब्धि 98.71 प्रतिशत रही है जो अखिल भारतीय स्तर पर ''बहुत अच्छा'' की श्रेणी में आता है। वर्ष 2011 के सैटेलाइट प्रेक्षणों के आधार पर राज्य का वनावरण वर्ष 2009 की अपेक्षा 51 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से इस वर्ष प्रदेश के 17 जिलों में नाबार्ड के सहयोग से योजना भी स्वीकृत हुई है जिसके प्रथम फेज हेतु नाबार्ड द्वारा ₹ 336.66 करोड़ तथा राज्य सरकार द्वारा ₹ 100 करोड़ स्वीकृत किये गये हैं। इस राशि से इस वर्ष 29000 है. क्षेत्र में आगामी वर्षा ऋतु में वृक्षारोपण हेतु अग्रिम मृदा कार्य प्रगति पर हैं। नाबार्ड व राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना में समस्त विकास कार्य माइक्रो प्लान के आधार पर ही हो रहे हैं।

वन्य जीवों की सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए इस वर्ष कुम्भलगढ़ को राष्ट्रीय उद्यान सृजित करने की प्रारम्भिक विज्ञप्ति राज्य सरकार द्वारा जारी कर दी गई है। ईको-ट्यूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए गत वर्ष की चालू 7 परियोजनाओं के अतिरिक्त इस वर्ष में मुकुन्दरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान व भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य के लिये दो नई ईको-ट्यूरिज्म परियोजनायें राज्य सरकार से स्वीकृत करवाई जाकर क्रियान्वित की जा रही हैं। उदयपुर व जैसी (पाली) में रेस्क्यू सेंटर बन गए हैं तथा तीन और स्थानों तालछापर, सोरसन एवं खेजड़ली में बनाये जा रहे हैं। सीमा क्षेत्र में अनुदानित दरों पर दिये जाने वाले 5000 गैस कनेक्शन में से 1129 गैस कनेक्शन वितरित हो चुके हैं। राज्य-पक्षी गोडावण के हैबीटाट सुधार की दशा में भी प्रयत्न किए जा रहे हैं।

इस वर्ष काफी वर्षों बाद राज्य वन सेवा के 29 अधिकारियों का भारतीय वन सेवा में चयन किया गया है। इसके अतिरिक्त 216 मंत्रालयिक तथा अधीनस्थ कार्मिकों को भी पदोन्नत किया गया है। वनरक्षकों की भर्ती की पूर्ण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से इसे पहली बार पूरी तरह ऑनलाइन सम्पादित किया जा रहा है।

राज्य वन विभाग की सम्पूर्ण गतिविधियों का लेखा जोखा प्रशासनिक प्रतिवेदन के माध्यम से आपके हाथों में है। इस प्रतिवेदन का कलेवर निखारने के लिए विभाग के विभिन्न अधिकारियों / कर्मचारियों भारतीय वन सेवा की श्रीमती श्रुति शर्मा, श्री के.सी. मीणा, श्री के.आर. काला, श्री ओ.पी. शर्मा, राज्य वन सेवा के उप वन संरक्षक श्री एच.आर. मुण्ड, श्री एम.सी. गुप्ता, श्री एच.के. सारस्वत, सहायक वन संरक्षक डॉ. सतीश कुमार शर्मा, श्री पी.सी. जैन, श्री एस.के. अग्रवाल, श्री अशोक जैन, क्षेत्रीय वन अधिकारी श्री ओ.पी. चौधरी, श्री बी.पी. मंगल, श्री कन्हैया शर्मा, श्री जगदीश गुप्ता, श्री राजाराम तथा वनपाल श्री महेन्द्र कुमार सक्सेना, श्री राजेश शर्मा एवं सहायक वन संरक्षक (से.नि.) श्री विष्णु शर्मा ने अपने कुछ छायाचित्र उपलब्ध करवाये हैं। एतदर्थ उक्त सभी साधुवाद के पात्र हैं।

मैं समझता हूँ यह अभिलेख सभी सम्बन्धितों के लिए उपयोगी रहेगा।

(यू. एम. सहाय)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(हैड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स)
राजस्थान, जयपुर

वन विभाग : एक नजर में

(1-1-2013 की सूचनानुसार)

प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	:	3,42,239 वर्ग किमी.
प्रदेश का कुल वन क्षेत्र	:	32,736.64 वर्ग किमी.
आरक्षित वन क्षेत्र	:	12,475.07 वर्ग किमी.
रक्षित वन क्षेत्र	:	18,216.86 वर्ग किमी.
अवर्गीकृत वन क्षेत्र	:	2,044.71 वर्ग किमी.
कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत वन क्षेत्र	:	9.57
सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला	:	करौली (32.77%)
न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला	:	चूरू (0.43%)
प्रदेश का कुल वनावरण (2011)	:	16,087 वर्ग किमी. (राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.70%)
वृक्षावरण	:	8,272 वर्ग किमी. (राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.42%)
वन एवं वृक्षावरण	:	24,359 वर्ग किमी. (राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.12%)
राज्य पशु	:	चिंकारा
राज्य पक्षी	:	गोडावण
राज्य वृक्ष	:	खेजड़ी
राज्य पुष्प	:	रोहिड़ा
राष्ट्रीय उद्यान	:	3
वन्य जीव अभयारण्य	:	26
बाघ परियोजनाएं	:	2 (रणथम्भौर एवं सरिस्का)
महत्त्वपूर्ण पक्षी स्थल	:	24
रामसर स्थल	:	2 (घना पक्षी विहार एवं सांभर झील)
संरक्षित क्षेत्र (कंजर्वेशन रिजर्व)	:	9
कुल प्रादेशिक मण्डल	:	38
वन्य जीव मण्डल	:	15
विभागीय कार्य मण्डल	:	5
कार्य आयोजना अधिकारी	:	7
भू-संरक्षण अधिकारी	:	7
भारतीय वन सेवा के अधिकारी (स्वीकृत पद)	:	145
राज्य वन सेवा के अधिकारी (स्वीकृत पद)	:	216
अभियांत्रिकी सेवा अधिकारी (स्वीकृत पद)	:	7
अधीनस्थ सेवा (स्वीकृत पद)	:	3,967
तकनीकी संवर्ग	:	486
मंत्रालयिक संवर्ग / कार्मिक (स्वीकृत पद)	:	1002
चतुर्थ श्रेणी संवर्ग	:	413
वर्क चार्ज कार्मिक (स्वीकृत पद)	:	6818
ग्राम्य वन सुरक्षा समितियां	:	5396
ईको डवलपमेंट कमेटियां	:	272
स्वयं सहायता समूह	:	2,596
वनों का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान	:	₹ 1,71,465.00 लाख

विभाग के प्रमुख उद्देश्य एवं प्रबन्ध सिद्धान्त

वन विभाग के उत्तरदायित्व :

राजस्थान प्रदेश में वन विभाग, राजस्थान को निम्न कार्य आवंटित हैं :

- प्रदेश के उपलब्ध वन क्षेत्रों का संरक्षण एवं विकास।
- प्रदेश के वन्य जीवों का रक्षित क्षेत्र एवं रक्षित क्षेत्र से बाहर संरक्षण एवं विकास।
- प्रदेश के जैव संसाधनों की सुरक्षा एवं विकास।
- मरु प्रसार नियंत्रण
- जलवायु परिवर्तन को वन संसाधनों से नियंत्रित करने का प्रयास करना।
- वन प्रबंध में सभी भागीदारों व स्थानीय समुदायों की सहभागिता प्राप्त करना तथा उन्हें प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ उपलब्ध कराना।
- सतत वन प्रबंधन
- पर्यावरण संतुलन के प्रयास करना।
- मृदा एवं जल संरक्षण
- वनों पर आधारित समुदायों के सामाजिक आर्थिक उन्नयन के लिए क्षमता विकास एवं कौशल संवर्धन कार्यक्रमों का आयोजन।

लक्ष्य (Targets) :

राज्य वन नीति के अनुसार विभाग के आधारभूत लक्ष्य इस प्रकार हैं:–

- मानव समुदाय की पारिस्थितिकीय सुरक्षा के लिए स्थानीय समुदायों की सक्रिय सहभागिता से राजस्थान के प्राकृतिक वनों की सुरक्षा, संरक्षण व विकास करना।
- समाज की इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी एवं गैर काष्ठीय वन उपज की उपलब्धता में वृद्धि करने हेतु ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में राज्य का हरित आवरण बढ़ाने के लिए राजकीय एवं सामुदायिक भू–खंडों, निजी स्वामित्व वाली कृषि भूमि तथा गैर कृषि भूमि पर सघन वृक्षारोपण करना।
- वर्तमान व भावी पीढ़ी की मांगों की आपूर्ति के लिए सटीक प्रबन्धकीय उपायों व आधुनिक तकनीक के प्रयोग से वनों की उत्पादकता में वृद्धि करना।
- मरुस्थलीय क्षेत्रों में शेल्टर बेल्ट, ब्लॉक वृक्षारोपण, टीबा स्थिरीकरण तथा कृषि वानिकी के माध्यम से मरुस्थल प्रसार पर नियंत्रण करना तथा सभी प्रकार की भूमि पर अतिक्रमण की रोकथाम करना।
- वन उपज विशेषकर गैर काष्ठीय वन उपज की प्रक्रिया मूल्य संवर्धन तथा विपणन की उचित सुविधाओं का विकास कर आदिवासियों व अन्य वन आधारित समुदायों की आजीविका सम्बन्धी आवश्यकताओं की आपूर्ति करना एवं इस प्रकार उनकी प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता कम करना।
- राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य 'कन्जर्व रिजर्व' (संरक्षित क्षेत्र) तथा 'सामुदायिक रिजर्व' की संख्या में वृद्धि कर वानस्पतिक व वन्य जीवों तथा जीनपूल की विविधता को संरक्षित करना।
- जैव विविधता से समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्रों यथा तृणभूमि, ओरण, नम भूमि आदि में जैव विविधता संरक्षण एवं प्रबन्ध के साथ–साथ राज्य में दुर्लभ व लुप्त प्रायः वनस्पति व वन्य जीव प्रजातियों का स्थानिक व बाह्य–स्थानिक उपायों से संरक्षण करना।
- वानिकी के सतत् प्रबन्धन के लिए साझा वन प्रबन्ध व्यवस्था के माध्यम से ग्राम समुदायों का सशक्तीकरण करना।
- वन उपज के श्रेष्ठतर उपयोग को प्रोत्साहित करने तथा वनों की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए शोध आधारित वानिकी को सशक्त करना।
- उपयोगकर्ताओं द्वारा अपनाए जाने योग्य, शोध के परिणामों तथा प्रमाणिक तकनीकों का प्रसार व प्रसारण तथा कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें अनुषंगी सेवाएं उपलब्ध कराना।
- वानिकी कार्मिकों, ग्रामीणों व अन्य महत्त्वपूर्ण हिस्सेदारों की तकनीकी व व्यावसायिक दक्षता के उन्नयन हेतु जीवनवृत्ती नियोजन व विकास के सुव्यवस्थित तंत्र के माध्यम से मानव संसाधन विकास का संस्थानीकरण करना।
- वन विभाग की कार्यप्रणाली में सघन सहभागी रणनीति का समावेश कर वन प्रबन्ध का उत्तरदायित्व पारम्परिक प्रबन्ध व्यवस्था के स्थान पर जन अनुकूल उपागमों पर हस्तान्तरित करना ताकि इसे महिलाओं की बढ़ती सहभागिता के साथ जन आन्दोलन बनाया जा सके।
- वन नीति का प्रमुख उद्देश्य हरित आवरण में वृद्धि कर पर्यावरणीय स्थिरता व पारिस्थितिक सुरक्षा करना।
- वायु मण्डल में कार्बन की मात्रा में कमी के फलस्वरूप वैश्विक उष्णता व जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों में कमी आएगी।

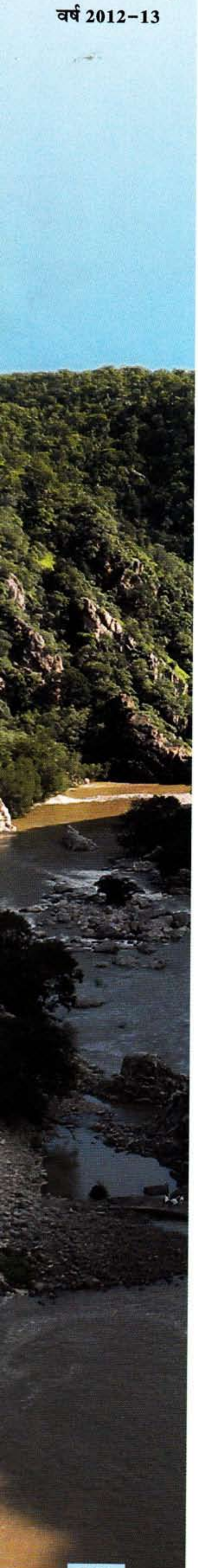

वन प्रबन्ध के सिद्धान्त :

* इन लक्ष्यों को निम्न व्यापक सिद्धान्तों के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा :–
* मौजूदा वन क्षेत्रों में सभी प्रकार के मानवीय हस्तक्षेपों/दावों से पूर्ण सुरक्षा की जाएगी। इन वनों का सतत् प्रबन्धन कार्य/प्रबन्ध योजना के माध्यम से किया जाएगा।
* स्थानीय समुदायों की भूमिका वन प्रबन्ध के केन्द्र में रहेगी। वन आधारित समुदायों व अन्य भागीदारों की चिन्ताओं, आकांक्षाओं व आवश्यकताओं को एकीकृत करने के लिए सहभागी उपागम अपनाया जायेगा।
* संरक्षित क्षेत्रों व श्रेष्ठ वन्य जीव अधिवास क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभयारण्यों की अधिसूचना 'लैण्ड स्केप' आधार पर जन केन्द्रित उपागम अपनाकर पुनः जारी की जाएगी। ऐसे लघु क्षेत्र जिनमें अच्छे वन हों अथवा अधिवास हो तथा ऐसी शामिलाती भूमि जहां वन्य जीवों की सघन उपलब्धता हो, को संरक्षित 'रिजर्व' अथवा सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। इन क्षेत्रों का प्रबन्धन उस क्षेत्र हेतु अनुमोदित प्रबन्ध योजना के अनुरूप किया जा सकता है।
* वनारोपण व चरागाह विकास के माध्यम से अकाल नियंत्रण कार्य वानिकी के केन्द्र में रहेंगे।
* राज्य वन विभाग, राज्य की जनता के वनों का संरक्षक है किन्तु वन पारिस्थितिकी तंत्र, विलुप्त व विलुप्ति के कगार पर पाई जाने वाली जैव विविधता, जो कि सतत् जीवन व आजीविका अर्जन के लिए महत्त्वपूर्ण है, की रक्षा का दायित्व सभी पर समान रूप से है। किन्तु यदि किसी मामले में लोक अभिरुचि में ऐसा संरक्षण नहीं किया जा सके तो क्षेत्र की जनता जिस उत्पाद व सेवाओं से वंचित हो रही हो उसका मुआवजा ऐसी गतिविधि प्रस्तावित किए जाने वाले से मांगा जाना चाहिए।
* 'सेक्टोरल' नीति व कार्ययोजना में पर्यावरणीय चिन्ताओं का समावेश कर वनों के हित में राज्य के अन्य राजकीय विभागों व लोकतांत्रिक संस्थाओं से समन्वय किया जाएगा।
* एक पारदर्शी, उत्तरदायी व जवाबदेह तथा गम्भीर व समर्पित मानव शक्ति तथा पर्याप्त आधारभूत संरचना वाले वन प्रशासन पर बल।

रणनीति (Strategy) :

* राजकीय, सामुदायिक व निजी स्वामित्व वाले भू–खण्डों पर विस्तृत वनीकरण एवं चरागाह विकास कर राज्य का हरित आवरण 20% तक करना।
* वृक्षावली–वृक्षारोपण एवं टिब्बा स्थिरीकरण के माध्यम से मरु प्रसार की रोकथाम।
* जीव–जन्तुओं एवं वनस्पति का यथा–स्थान ***(in-situ)*** एवं बाह्य–स्थान ***(ex-situ)*** संरक्षण।
* कृषि वानिकी के माध्यम से गैर वनभूमि पर अधिकाधिक वृक्षों का रोपण।
* वन क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य।
* उन्नत तकनीक अपनाना तथा कार्यालयों का आधुनिकीकरण।
* वन क्षेत्रों का कार्य योजना के अनुरूप प्रबन्धन व प्रबन्ध योजना तैयार कर परिपक्व वृक्षारोपण क्षेत्रों के विदोहन उपरान्त पुनः वृक्षारोपण।
* प्रकृति–पर्यटन स्थलों के चिह्नीकरण उपरान्त, विकसित कर उन्हें विरासत–पर्यटन के साथ जोड़ना।
* मानव संसाधन विकास एवं क्षमता व दक्षता अभिवृद्धि।
* साझा वन प्रबन्धन का संस्थानीकरण व महिला सशक्तीकरण।
* जन समुदाय को वानिकी विकास के साथ जोड़ना। वन सुरक्षा एवं संवर्धन में बड़े पैमाने पर जनसहभागिता उपागम अपनाना।
* ''प्रदूषक चुकाए'' के सिद्धान्त का अनुपालन।
* बहुउद्देशीय प्रजातियों के रोपण के माध्यम से अधिकाधिक सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करना।
* वन उपज की मांग घटाने तथा दूसरा स्थानीय समुदायों को आर्थिक लाभ देते हुए उनकी आपूर्ति में वृद्धि करने की द्विमार्गी रणनीति अपनाना।
* नदी घाटी व बाढ़ सम्भाव्य नदियों के आवाह क्षेत्रों का सटीक मृदा व जल संरक्षण तकनीकों से उपचार तथा कन्दरा क्षेत्रों का सुधार।
* औरण व देव वनों को आवश्यक वित्तीय व विधिक सहयोग।

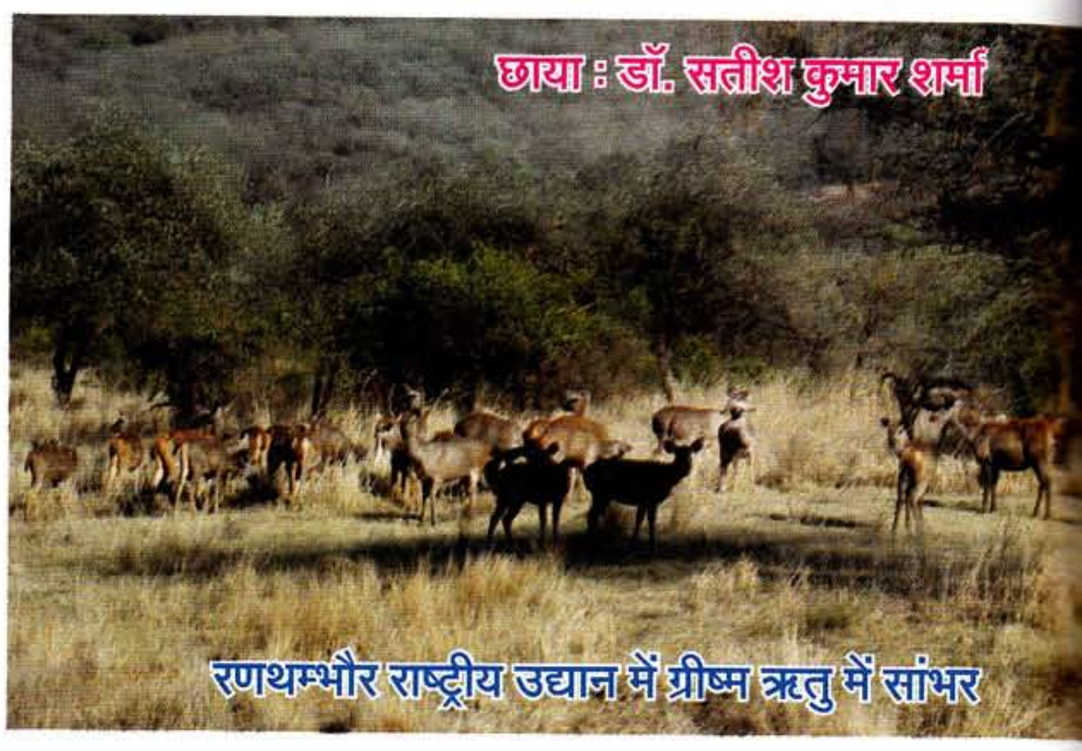

छाया : डॉ. सतीश कुमार शर्मा

रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान में ग्रीष्म ऋतु में सांभर

महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा तेरहवीं विधानसभा के अष्टम सत्र दिनांक 27.02.2012 में दिये गये अभिभाषण की क्रियान्विति

क्रम सं.	विभाग से सम्बन्धित अभिभाषण के बिन्दु	क्रियान्विति
16.	बीस सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन में लक्ष्य के सापेक्ष नब्बे प्रतिशत से अधिक उपलब्धि अर्जित करने पर अखिल भारतीय स्तर पर राजस्थान ''बहुत अच्छा'' श्रेणी में रहा है।	बीस सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन में लक्ष्य के विरुद्ध 31.12.2012 तक वृक्षारोपण क्षेत्र में 96.56 प्रतिशत एवं पौधारोपण 98.71 प्रतिशत रहा है।
71.	पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि के तहत 'राजीव गांधी बायोस्फीयर रिजर्व' की स्थापना हेतु मंत्रिमण्डल ने निर्णय लिया है। वन्य जीवों एवं वन सम्पदा के संरक्षण हेतु लगभग 508 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को ''कुम्भलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान'' घोषित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में युवकों को समिति के माध्यम से ''वन मित्र'' के रूप में मानदेय पर लगाया जा रहा है।	मंत्रिमण्डल निर्णय संख्या 7/2012 के परिप्रेक्ष्य में राजीव गांधी बायोस्फीयर रिजर्व की अधिसूचना प्रसारित करने के प्रस्ताव मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक कार्यालय के पत्र संख्या 3920 दिनांक 24.01.2012 द्वारा राज्य सरकार को एवं राज्य सरकार के पत्र संख्या एफ3(15) वन/2011 दिनांक 06.02.2012 के द्वारा भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को प्रेषित किये गये हैं। कुम्भलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने के आशय की अधिसूचना क्रमांक प.3(6)वन/2011 दिनांक 30.11.2011 से जारी की गई है। वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र में ग्रामीणों के अधिकारों का निर्धारण सम्बन्धित जिला कलेक्टर द्वारा किया जाता है। इसकी पालना में जिला कलेक्टर, पाली, उदयपुर एवं राजसमंद को विभाग द्वारा पत्र संख्या 3885–87 दिनांक 06.01.2012 के द्वारा वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की धारा 19 से 26–क (दोनों सम्मिलित मात्र धारा 24 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) को छोड़कर) की कार्यवाही शीघ्र सम्पादित करने हेतु लिखा गया है। जिला कलेक्टर, पाली ने उनके पत्र संख्या 464 दिनांक 02.02.2012, जिला कलेक्टर, उदयपुर ने पत्र संख्या 294–300 दिनांक 06.02.2012 तथा जिला कलेक्टर, राजसमंद ने पत्र संख्या 402 दिनांक 28.01.2012 द्वारा उद्घोषणा (प्रोक्लेमेशन) प्रसारित कर दी है। वन सुरक्षा समिति के माध्यम से माह दिसम्बर, 2012 तक 345 को ''वन मित्र'' के रूप में मानदेय पर लगाया गया है।

वर्ष 2012–13 की बजट घोषणाओं की क्रियान्विति माह दिसम्बर, 2012 तक

क्र. सं.	घोषणा	क्रियान्विति की नवीनतम स्थिति	क्रियान्वित
77	राज्य के 17 जिलों अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, टोंक, अजमेर, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर एवं सिरोही में नाबार्ड के सहयोग से ₹ 988 करोड़ लागत की परियोजना प्रारम्भ की जावेगी, जिसके अन्तर्गत सघन वृक्षारोपण कर जलग्रहण क्षेत्र विकसित किया जावेगा।	नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित राजस्थान में वनीकरण के माध्यम से जलग्रहण क्षेत्रों का विकास (Development of Water Catchment through Greening of Rajasthan under RIDF-XVIII) नामक योजना के प्रथम फेज हेतु राशि ₹ 336.66 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई। राज्य सरकार द्वारा इस परियोजना हेतु दिनांक 11.09.2012 को राशि ₹ 100.00 करोड़ की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है तथा 29000 हैक्टेयर में अग्रिम मृदा कार्य प्रगति पर है।	क्रियान्विति प्रगति पर है।
78	पश्चिमी राजस्थान में पशु धन हेतु सेवण घास का विशेष महत्त्व है। अत: 400 हैक्टेयर क्षेत्र का चयन कर सेवण घास क्षेत्र विकसित करने हेतु योजना क्रियान्वित की जावेगी। इस योजना के माध्यम से राज्य पक्षी गोडावण, जो विलुप्त प्राय: प्रजातियों में है, के संरक्षण के लिए हैबीटाट को और अधिक उपयुक्त भी बनाया जा सकेगा।	वित्तीय वर्ष 2012–13 में पश्चिमी राजस्थान में सेवण घास विकसित कर राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण के लिए हैबीटाट को और अधिक उपयुक्त बनाया जाना है, ताकि इनकी वंशवृद्धि हो तथा इनको विलुप्त होने से बचाया जा सके। इस हेतु आवश्यक राशि ₹ 112.00 लाख उप निदेशक, राष्ट्रीय मरु उद्यान, जैसलमेर को आवंटित की जा चुकी है। रामदेवरा में 200 हैक्टेयर क्षेत्र में तथा चौहानी में 200 हैक्टेयर कुल 400 हैक्टेयर क्षेत्र में फैंसिंग कार्य, घास बीज बुवाई कार्य व घास स्लिप प्लान्टिंग कार्य पूर्ण करवाया जा चुका है।	क्रियान्विति प्रगति पर है।
79	आगामी वर्ष रणथम्भौर बाघ परियोजना की भांति सरिस्का बाघ परियोजना के समीपस्थ क्षेत्रों में भी 5 हजार गैस कनेक्शन दिये जावेंगे तथा प्रत्येक कनेक्शन पर ₹ 1800 की राशि का अनुदान देय होगा।	सरिस्का बाघ परियोजना क्षेत्र के वनों पर जलाऊ लकड़ी के दबाव को कम करने के लिए परियोजना क्षेत्र के समीपस्थ क्षेत्रों में 5 हजार परिवारों को कुकिंग गैस कनेक्शन वितरित किये जावेंगे। इस सम्बन्ध में 5000 परिवारों का चयन कर लिया गया है। इस कार्य के लिए ₹ 1800 प्रति गैस कनेक्शन की दर से अनुदान दिया जाएगा, जिसके लिए आवश्यक राशि ₹ 90.00 लाख उप वन संरक्षक, बाघ परियोजना,	क्रियान्विति प्रगति पर है।

		सरिस्का को आवंटित की जा चुकी है। ग्रामवासियों से गैस कनेक्शन हेतु आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी है। 3600 आवेदन फार्म जिला रसद अधिकारी के माध्यम से सम्बन्धित गैस एजेंसी को भिजवाये जा चुके हैं जिसमें से 1129 गैस कनेक्शन जारी हो चुके हैं।	
80	राज्य के विभिन्न स्थानों पर सड़क दुर्घटनाओं एवं अन्य दुर्घटनाओं के कारण चोटग्रस्त वन्य जीवों के उपचार हेतु उदयपुर, देसूरी पाली, तालछापर, चूरू, सोरसन (बारां) एवं खेजड़ली, जोधपुर में रेस्क्यू सेंटर स्थापित किये जावेंगे।	वर्ष 2012-13 में राज्य में सड़क दुर्घटनाओं एवं अन्य दुर्घटनाओं के कारण चोटग्रस्त वन्य जीवों के उपचार हेतु उदयपुर, देसूरी (पाली), तालछापर (चूरू), सोरसन (बारां) एवं खेजड़ली (जोधपुर) में कुल 5 रेस्क्यू सेंटर स्थापित किये जाने हैं इन्हें स्थापित करने के लिए आवश्यक राशि ₹ 30.00 लाख स्टेट कैम्पा मद में आवंटित की गई है। उदयपुर तथा देसूरी (पाली) के रेस्क्यू सेंटर का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। शेष 3 सेंटर्स के निर्माण का कार्य 50 प्रतिशत से अधिक पूर्ण हो चुका है।	क्रियान्विति प्रगति पर है।

○○○

चिंकारा के खुर चिन्ह

छाया : डॉ. सतीश कुमार शर्मा

संकल्प क्रियान्वयन

क्र.सं.	नीतिपत्र की संकल्प संख्या	संकल्प का विवरण	क्रियान्वयन हेतु कार्य योजना	क्रियान्वयन प्रगति का विवरण
1.	22.04	प्रदेश में वन उपज एवं औषधीय पौधों को नियमानुसार पेटेंट कराने की कार्यवाही।	जैव विविधता नियम, 2002 के अन्तर्गत विभाग द्वारा राजस्थान जैव विविधता नियम का प्रारूप अधिसूचित करने हेतु राज्य सरकार के विचाराधीन है। नियमों के तहत गठित जैव विविधता बोर्ड नियम 15, जो जैव विविधता बोर्ड साधारण कृत्यों से सम्बन्धित है, के अन्तर्गत राज्य के महत्त्वपूर्ण जैव संसाधन के पेटेंट किये जाने का कार्य भी करेगा। राज्य सरकार द्वारा जैव विविधता नियम के अनुमोदन के उपरान्त गठित जैव विविधता बोर्ड द्वारा इस विषय में उचित कार्यवाही की जावेगी।	राजस्थान जैव विविधता नियम, 2010 दिनांक 02.03.2010 को राजस्थान के राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है तथा राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.4(8) वन/2005 पार्ट–प्रथम दिनांक 14.09.2010 से बोर्ड का गठन किया जा चुका है। बोर्ड द्वारा विधिवत कार्य करना प्रारम्भ कर दिया गया है। जैव संसाधनों के उपयोग के सम्बन्ध में बौद्धिक सम्पदा अधिकार (Intellectual Property Right) के पेटेंटिंग हेतु बोर्ड को राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चेन्नई के माध्यम से अभी तक तीन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रकरणों में बोर्ड की सहमति इस शर्त के अध्याधीन दी गई है कि आवेदक को वांछित जैव संसाधन के व्यावसायिक दोहन की अनुमति दिये जाने से पूर्व सम्बन्धित जैव विविधता प्रबंधन समिति की इसके लाभांश में भागीदारी सुनिश्चित की जावे। इस प्रकार संकल्प की क्रियान्विति प्रारम्भ हो चुकी है।
2.	22.05	• संयुक्त वन प्रबन्ध समितियों का संशक्तीकरण • वानिकी प्रबंधन का जिम्मा समितियों को • वानिकी कार्यों के विकास एवं प्रबंधन में पंचायत की भागीदारी को बढ़ावा	• समितियों द्वारा वनों की सुरक्षा एवं प्रबंधन का कार्य यथावत किया जाता रहेगा। आवश्यकता होने पर नई वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों का गठन किया जाएगा तथा कम सक्रिय समितियों को सक्रिय बनाने का विभाग द्वारा प्रयास किया जावेगा। जिले के सभी वन सुरक्षा समिति को आगामी 5 वर्षों में जिले में गठित वन विकास अभिकरण की परिधि में लाया जावेगा।	• राज्य में 5396 सुरक्षा समितियां गठित की जा चुकी हैं, जो 9.13 लाख हैक्टेयर वन क्षेत्रों का प्रबंधन कर रही हैं। वन सुरक्षा समितियों की कार्यकारिणी के सदस्यों का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाता है एवं ग्राम के पंच एवं सरपंच वन सुरक्षा समिति के पदेन सदस्य होते हैं और उन्हें मताधिकार भी प्राप्त है। अत: ग्राम पंचायतों का जुड़ाव सीधे तौर पर सुरक्षा समितियों से है

			• नरेगा के अन्तर्गत चरागाह भूमि पर वृक्षारोपण एवं चरागाह विकास के कार्य हरित राजस्थान कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला कलेक्टरों द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।	और उनके माध्यम से वे वन प्रबंधन में भी वांछित सहयोग देते हैं। विकास कार्यों के साथ–साथ नवीन सुरक्षा समितियों का गठन कर उन्हें वृक्षारोपण एवं वन क्षेत्र की सुरक्षा का जिम्मा संभलवाया जाता है। • परिभ्रांषित एवं वृक्ष विहीन वन भूमि को पुन: हरा–भरा करने में प्रत्येक राजस्व ग्राम में ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति का गठन कर उनके सहयोग से वन विकास एवं प्रबंधन करने हेतु आदेश जारी किये हुये हैं। इन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों में सम्बन्धित पंचायत के सरपंच/पंच भी कार्यकारिणी के पदेन सदस्य हैं जिससे वन विकास एवं प्रबंध कार्यों में पंचायतों की भूमिका भी रहती है। इसके अतिरिक्त पंचायतों द्वारा मनरेगा के अन्तर्गत भी वृक्षारोपण के कार्य किये जा रहे हैं, जिससे वन विकास कार्यों में पंचायतों की भूमिका में बढ़ोतरी हो रही है।
3.	22.06	अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रणथम्भौर, सरिस्का, केवलादेव, कुंभलगढ़, तालछापर खींचन जैसे अभयारण्यों का सशक्तीकरण इनसे पर्यटन व व्यापार को मिलने वाले लाभ का सुदृढ़ीकरण।	अभयारण्यों/पार्क की प्रबंध योजना के अन्तर्गत वन्य जीव संरक्षण एवं प्रबंधन गतिविधियां जैसे कि इन्फ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ीकरण, बाउण्ड्रीवाल, जल व मृदा संरक्षण कार्य, आग सुरक्षा, ईको–ट्यूरिज्म, सूचना तंत्र, ट्रेनिंग, रिसर्च, हैबीटाट सुधार इत्यादि प्रस्तावित की जाती है। यह सभी कार्य वार्षिक योजना (ए.पी.ओ.) में शामिल की जाती है व भारत सरकार से स्वीकृत करायी जाती है।	पर्यटन विभाग को अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अभयारण्यों के सशक्तीकरण सम्बन्धी प्रगति से अवगत कराया जा रहा है। इन क्षेत्रों में पर्यटन व्यापार से मिलने वाले लाभ को सुदृढ़ करने के लिए पर्यटन विभाग के माध्यम से ईको–ट्यूरिज्म प्रोजेक्ट तैयार कर भारत सरकार से केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के तहत स्वीकृत कराये जा रहे हैं। माउंट आबू, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हेतु योजनाएं स्वीकृत करायी गयी हैं जिसके तहत पर्यटकों को सुविधाएं, ढांचागत विकास, किलों का जीर्णोद्धार, ईको–ट्रेल्स, व्यू पॉइंट इत्यादि का निर्माण कराया जा रहा है। इस प्रकार रणथम्भौर, सरिस्का एवं उदयपुर स्थित अभयारण्यों की ईको–ट्यूरिज्म परियोजनाएं भारत सरकार को प्रेषित की गयी हैं। इनमें

				से उदयपुर स्थित कुंभलगढ़, टाटगढ़, रावली रणकपुर अभयारण्यों के प्रोजेक्ट की स्वीकृति भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के पत्रांक–5 पीएनसी (129) 2009 दिनांक 26.03.2011 से प्राप्त हो गयी है। पर्यटन विभाग द्वारा माह जनवरी, 2012 तक राशि ₹ 150.00 लाख आवंटित की गई है जिसे माह मार्च, 2012 तक उपयोग कर लिया गया है। शेष कार्य वर्ष 2012–13 में राशि आवंटन की स्थिति में पूर्ण कराये जावेंगे। वर्ष 2012–13 में ₹ 100.00 लाख का आवंटन किया गया है। कार्य प्रगति पर है। केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2011–12 के अन्तिम माह में रणथम्भौर टाईगर रिजर्व के लिए ईको–ट्यूरिज्म प्रोजेक्ट लागत राशि ₹ 434.86 लाख स्वीकृत की गयी, जिसके लिए राशि उपलब्ध नहीं कराई गई। वर्ष 2012–13 के दौरान राशि आवंटन हेतु प्रस्ताव प्रेषित कर दिये गये हैं।
4.	22.06.01	हाड़ौती क्षेत्र में घोषित राजीव गांधी नैशनल पार्क के विकास की ठोस समयबद्ध कार्ययोजना।	दर्रा अभयारण्य की प्रबन्ध योजना का भारत सरकार से अनुमोदन एवं स्वीकृति अनुसार दिनांक 31.3.2010 तक क्रियान्वयन।	हाड़ौती क्षेत्र में मुकुन्दरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान के नाम से राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 09.01.2012 द्वारा अन्तिम विज्ञप्ति का प्रसारण कर दिया गया है। वर्तमान में यह क्षेत्र दर्रा अभयारण्य का एक हिस्सा है, जिससे प्रबंध योजना के अनुसार कार्य सम्पादित कराये जा रहे हैं।

ooo

राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल अभयारण्य में घड़ियाल के शिशु

छाया : के. आर. काला

1

राजस्थान के वन संसाधन : एक परिचय

23° 30' एवं 30° 11' उत्तरी अक्षांश तथा 69° 29' एवं 78° 17' पूर्वी देशान्तर के मध्य, स्थित 3 करोड़ 42 लाख हैक्टेयर, भौगोलिक क्षेत्रफल पर विस्तृत राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल के 9.56 प्रतिशत भू–भाग पर वन हैं। राज्य का उत्तरी–पश्चिमी भाग जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 61 प्रतिशत है, मरुस्थलीय या अर्द्धमरुस्थलीय है और पूर्णतः वर्षा पर निर्भर है। राज्य के लगभग 30 प्रतिशत क्षेत्र पर अरावली पर्वत श्रृंखलाएं विद्यमान हैं।

पारिस्थितिकीय तंत्र :

राज्य की जलवायु परिस्थितियों एवं वन–वनस्पति के आधार पर राज्य को निम्न चार मुख्य पारिस्थितिकीय तंत्रों में बांटा गया है :–

राज्य के भौतिक प्रदेश (Physiographic Regions)

- पश्चिमी मरुस्थल
- अरावली पर्वतमाला क्षेत्र
- पूर्वी मैदानी भाग
- बनास सिंचित क्षेत्र
- चम्बल सिंचित क्षेत्र
- दक्षिणी–पूर्वी पठार

मुख्य पारिस्थितिकीय तंत्र (Major Ecosystems)

- मरुस्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र
  - नहरी–सिंचित क्षेत्र
  - असिंचित क्षेत्र
  - लूणी बेसिन
- अरावली पर्वत श्रृंखला पारिस्थितिकीय तंत्र
  - उत्तरी अरावली प्रदेश
  - मध्य अरावली प्रदेश
  - दक्षिणी अरावली प्रदेश
- पूर्वी मैदानी पारिस्थितिकीय तंत्र
  - बनास बेसिन
  - माही बेसिन
  - बाण गंगा बेसिन
  - साहिबी बेसिन
  - गम्भीरी बेसिन
  - वराह / बराह बेसिन
- हाड़ौती पठार एवं कंदरा पारिस्थितिकीय तंत्र
  - चम्बल बेसिन
  - डांग क्षेत्र

भू-उपयोग :

राज्य के विभिन्न भागों में अलग–अलग प्रकार से भू–उपयोग हो रहा है। राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है तथा यहाँ के लगभग 70 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रही आबादी का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है। राज्य के विभिन्न भागों में अधिकांशतः भू–उपयोग, क्षेत्र में व्याप्त भूमि एवं जल स्रोतों की उपलब्धता तथा मानव द्वारा इनके उपयोग के लिये किये जा रहे प्रयासों पर निर्भर करते हुए अलग–अलग प्रकार से किया जा रहा है।

जिन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करती है वहाँ का अधिकांश भू–भाग कृषि जोत के नीचे है। दूसरी ओर उन क्षेत्रों में जहाँ की भूमि कम उपजाऊ है वहाँ पर कम जनसंख्या की उदर पूर्ति हेतु भी अधिक भू–भाग पर कृषि जोत की आवश्यकता रहती है। वर्तमान में प्रदेश में भू–उपयोग की स्थिति अग्रांकित तालिका से दृष्टव्य है:–

वर्षा ऋतु में कुम्भलगढ़ अभयारण्य का विहंगम दृश्य

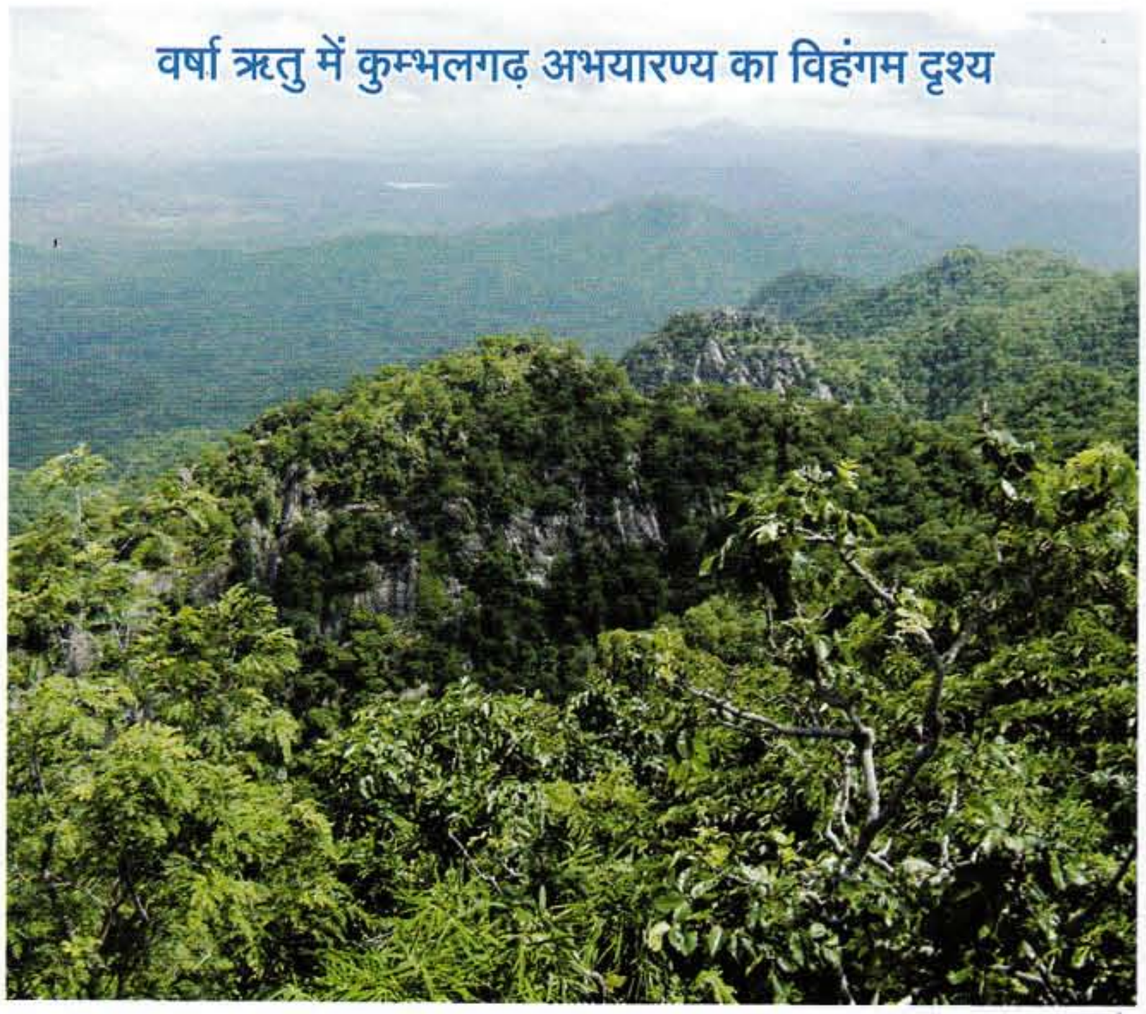

छाया : डॉ. सतीश कुमार शर्मा

राजस्थान में भू–उपयोग : एक दृष्टि में

क्र. सं.	गतिविधि अनुरूप भू–उपयोग	कुल क्षेत्रफल हैक्टेयर में	प्रतिशत
1.	वन क्षेत्र	27,27,944	7.96
2.	अकृषि भूमि	19,70,058	5.75
3.	बंजर भूमि (जोत रहित भूमि)	22,95,083	6.70
4.	चरागाह भूमि	16,98,800	4.96
5.	कृषि योग्य बंजर भूमि	43,35,845	12.65
6.	विविध वृक्ष कृषि एवं वृक्ष समूह	17,684	.05
7.	परती भूमि	36,73,058	10.72
8.	वास्तविक बोया गया क्षेत्र	1,75,51,414	51.22
	योग (भू–उपयोग हेतु रिपोर्ट किया गया कुल क्षेत्र)	**3,42,69,886**	100

स्रोत : का.प्र.मु.व.सं. (का.आ.व.व.), राज

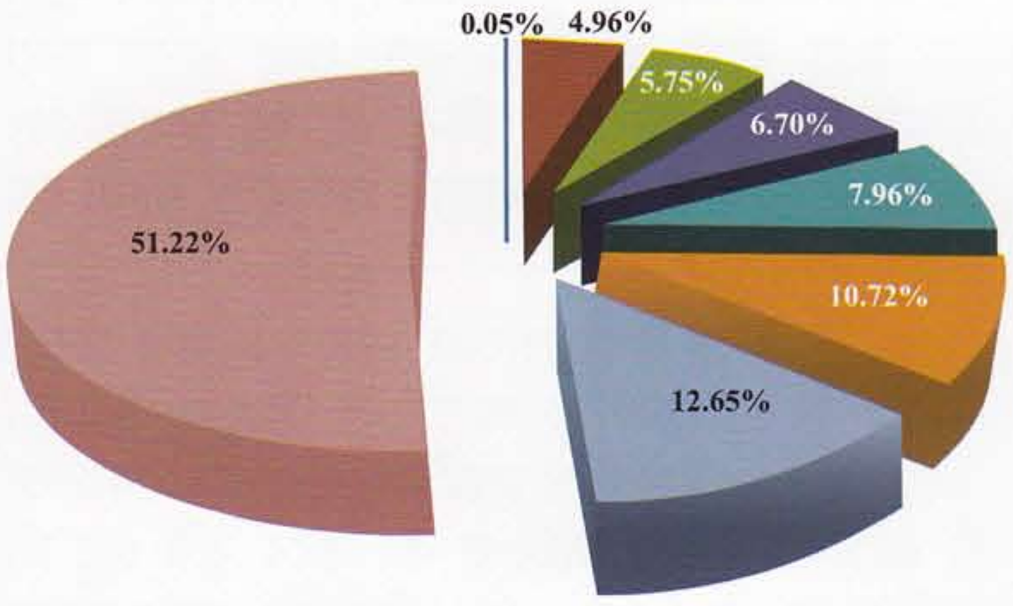

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि राज्य में वन भूमि मात्र 9.57 प्रतिशत ही है, जबकि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार इसे 33 प्रतिशत तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

वन सम्पदा :

❑ वनों के प्रकार :

राजस्थान की विविधतापूर्ण एवं समृद्ध वन सम्पदा को वनस्पति के आधार पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है :–

सरमथुरा के समीप दमोह जल प्रपात और प्रकृति का सामीप्य प्राप्त करते पर्यटक

छाया : के. आर. काला

क्र.सं.	वन प्रकार	कुल क्षेत्रफल (वर्ग किमी.)	कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत
1.	शुष्क सागवान वन	2247.87	06.87
2.	शुष्क उष्ण कटिबंधीय धोंक वन	19027.75	58.19
3.	उत्तरी उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी मिश्रित वन	9292.86	28.42
4.	उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन	2041.52	06.23
5.	अर्द्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन	126.64	00.38
	योग	**32736.64**	**100.00**

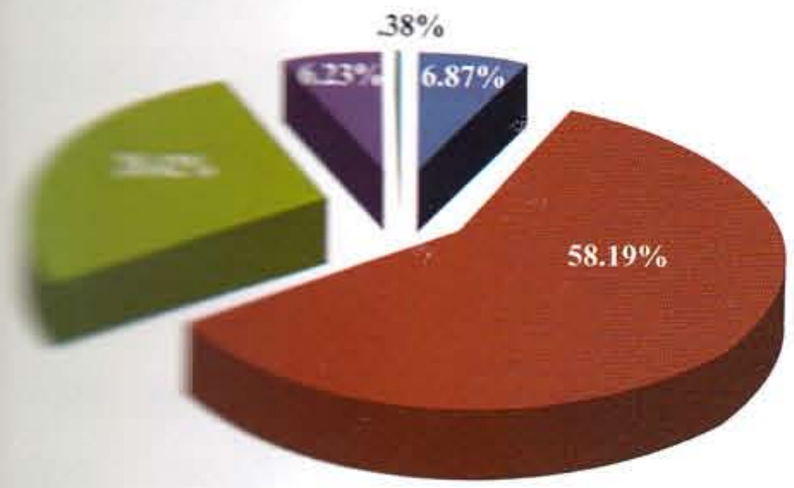

❑ वैधानिक दृष्टि से राज्य में वनों की स्थिति

प्रदेश में कुल अभिलेखित वन क्षेत्र 32736.64 वर्ग किमी. है। राजस्थान वन अधिनियम 1953 के प्रावधानों के अनुरूप वैधानिक दृष्टि से उक्त वन क्षेत्र को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :–

क्र.सं.	वैधानिक स्थिति	क्षेत्रफल (वर्ग किमी.)	प्रतिशत
1.	आरक्षित वन (Reserve Forest)	12475.07	38.11
2.	रक्षित वन (Protected Forest)	18216.86	55.65
3.	अवर्गीकृत वन (Unclassified Forest)	2044.71	6.24
	कुल योग	**32736.64**	**100.00**

स्रोत : का.प्र.मु.व.सं. (का.आ.व.व.), राज

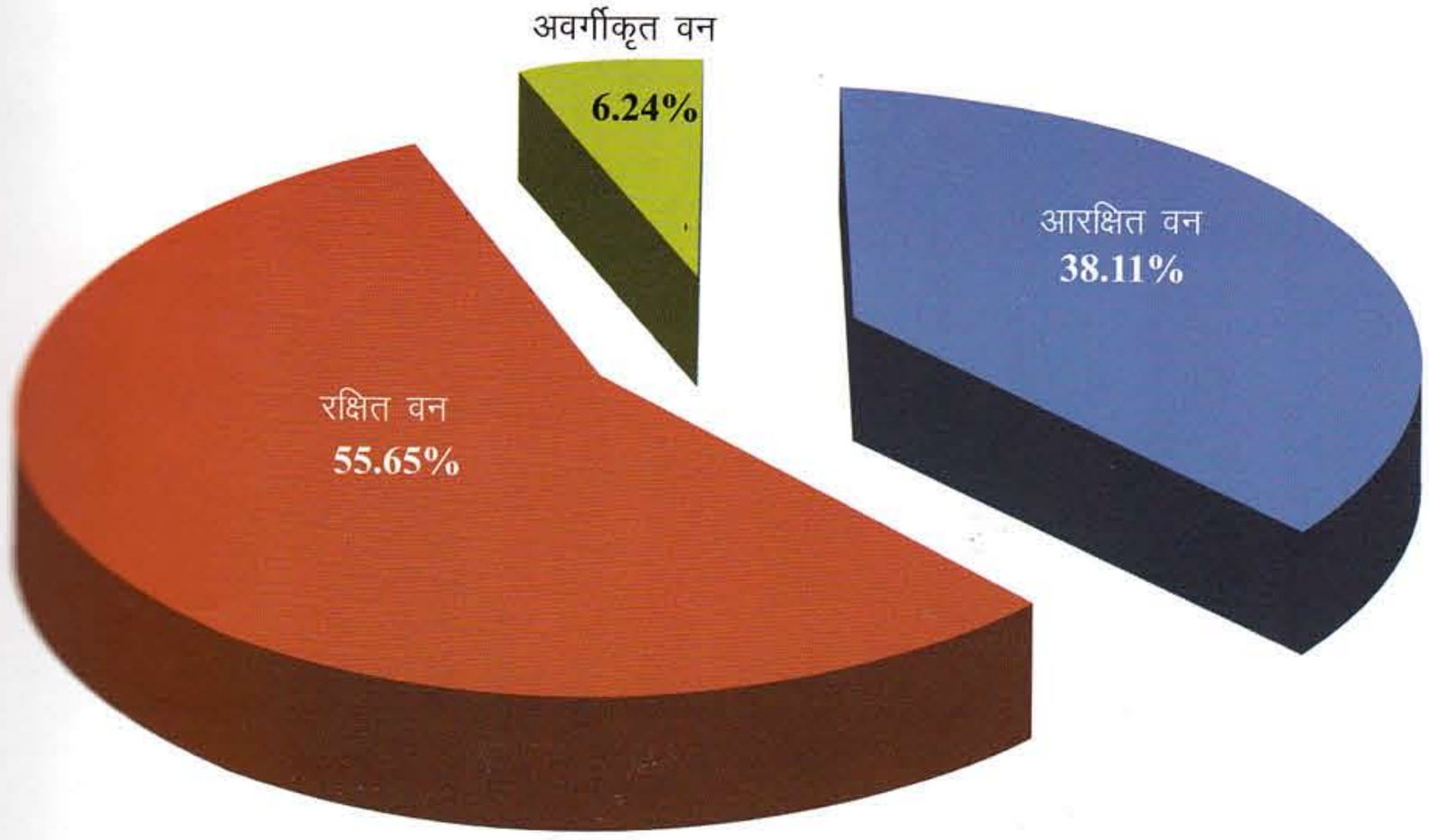

❑ प्रदेश का वानिकी परिदृश्य : एक दृष्टि में

- अभिलेखित वन (**Recorded Forests**) : 32,736.64 वर्ग किमी.
  - * राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष : 9.57 प्रतिशत
  - * राष्ट्र के भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष : 0.99 प्रतिशत
  - * राष्ट्र के वन क्षेत्रफल के संदर्भ में : 4.25 प्रतिशत
  - * प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र : 0.05 हैक्टेयर
- वन आवरण (**Forest Cover**) : 16,087 वर्ग किमी.

  (भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून की वन स्थिति रिपोर्ट, 2011 के अनुसार)
  - * अति सघन वन (छत्र घनत्व > 70 प्रतिशत) : 72 वर्ग किमी.
  - * सघन वन (छत्र घनत्व 40 से 70 प्रतिशत) : 4,448 वर्ग किमी.
  - * खुले वन (छत्र घनत्व 10 से 40 प्रतिशत) : 11,567 वर्ग किमी.
  - * प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल के सन्दर्भ में वन आच्छादन : 4.70 प्रतिशत
  - **गत सर्वेक्षण रिपोर्ट 2009 के सापेक्ष राज्य के कुल वन आवरण में वृद्धि** : **51 वर्ग किमी.**
- वृक्ष आच्छादन (Tree Cover) : 8,272 वर्ग किमी.
  - * प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल के सन्दर्भ में वृक्ष आच्छादन : 2.42 प्रतिशत
- वन एवं वृक्ष आच्छादन क्षेत्र (Forest & Tree Cover) : 24,359 वर्ग किमी.
  - * प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल के सन्दर्भ में वन एवं वृक्ष आच्छादन क्षेत्र : 7.12 प्रतिशत
- राज्य में बांस वाले क्षेत्र का विस्तार : 2.455 वर्ग किमी.

राज्य में जिलेवार उपलब्ध वन क्षेत्र एवं वनावरण का विवरण परिशिष्ट 1 पर दृष्टव्य है।

ooo

सीतामाता अभयारण्य में जाखम डेम

छाया : पी. सी. जैन

2

प्रशासनिक तंत्र एवं कार्यप्रणाली

वन प्रशासन :

वनों की प्रभावी सुरक्षा, संरक्षण एवं समुचित विकास की सुनिश्चितता के लिए एक सुदृढ़ एवं संवेदनशील, प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता है। विभाग के द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे कार्यक्रमों, योजनाओं एवं परियोजनाओं की सफलता के लिए विभाग में पदस्थापित अधिकारियों एवं अधीनस्थ वनकर्मियों में समुचित कार्य विभाजन किया जाकर आयोजना निर्माण, क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन के लिए अलग–अलग स्तर बनाए जाकर समुचित एवं पर्याप्त संख्या में वनकर्मियों की उपलब्धता, उनका प्रशिक्षित एवं दक्ष होना विशेष महत्व रखता है। सरकारी, सामुदायिक भूमि से मृदा के कटान को रोकने व जल का प्रभावी संग्रहण, संचयन एवं संरक्षण करने तथा वनों के संरक्षण एवं विकास में स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने सम्बन्धी मानसिकता वन अधिकारियों/कर्मचारियों में विकसित करने को दृष्टिगत रखते हुए विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था नियोजित की गयी है। विभाग के प्रशासनिक तंत्र को कार्य की प्रकृति के अनुरूप मुख्यत: निम्न तीन स्तरों में विभक्त किया जा सकता है :

छाया : के. सी. मीणा
सीतामाता अभयारण्य में देखी गई 6 इंच लम्बी मकड़ी

- **उच्च स्तरीय प्रशासन :**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हैड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स), राजस्थान विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा विभाग की सम्पूर्ण गतिविधियों पर प्रशासनिक नियंत्रण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन किया जाता है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, राजस्थान द्वारा राज्य में वन क्षेत्रों के सीमांकन एवं बन्दोबस्त सम्बन्धी कार्यों, कार्य आयोजना तैयार करने, नदी घाटी एवं बाढ़ सम्भावित नदी परियोजनाएं, वन उत्पादन, तेन्दूपत्ता संबंधी कार्यों की स्वतंत्र रूप से देख–रेख एवं प्रबन्ध के उत्तरदायित्व का निर्वाह किया जाता है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, वन्य जीव प्रबन्धन सम्बन्धी कार्य का स्वतंत्र रूप से निर्वहन करते हैं।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (टी.आर.ई.ई.) प्रदेश में वन विकास, वन सुरक्षा, प्रशिक्षण, शोध, शिक्षा तथा प्रसार के साथ–साथ राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के क्रियान्वयन का कार्य भी देख रहे हैं।

प्रधान मुख्य वन संरक्षकगणों को दायित्व निर्वहन में सहयोग प्रदान करने एवं विशिष्ट योजनाओं की सुचारु क्रियान्विति के लिए राज्य में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षकगण एवं मुख्य वन संरक्षकगण पदस्थापित हैं।

- **मध्यम स्तरीय प्रशासन :**

मध्यम स्तरीय वन प्रशासन को राजस्व प्रशासन के अनुरूप बनाया गया है। वन संभाग एवं राजस्व संभाग में बेहतर समन्वय बनाए रखने के लिए संभागीय स्तर पर मुख्य वन संरक्षकों के पद सृजित किए गये हैं। नवीन व्यवस्था के अनुरूप दिनांक 17 जनवरी, 2012 से सभी सम्भागीय मुख्य वन संरक्षकों को अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) के नियंत्रण में किया गया है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 22 जुलाई, 2009 से सभी सातों क्षेत्रीय सम्भागीय मुख्य वन संरक्षकों के कार्य क्षेत्रों का विभाजन राजस्व संभागों के अनुरूप कर दिया गया है।

इन सम्भागीय मुख्य वन संरक्षकों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में एक–एक वन संरक्षक का पद भी सृजित किया गया है। सम्भाग स्तर पर कार्यरत वन संरक्षक कार्यालयों का सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में विलयन किया जा चुका है। ये वन संरक्षक, सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक

कार्यालय में वरिष्ठतम सहयोगी अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। इनके कर्तव्यों का निर्धारण पृथक् से कर दिया गया है। ये वन संरक्षक, जिला वन विकास अभिकरणों के अध्यक्ष के कार्य के साथ–साथ सौंपे गए अन्य दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। प्रत्येक संभागीय मुख्य वन संरक्षक कार्यालयों में एक–एक कार्य आयोजना अधिकारी का पद सृजित किया गया है इनके द्वारा संबंधित संभाग के विभिन्न वन मण्डलों की कार्य योजना तैयार की जाएगी। ये अधिकारी कार्य आयोजना सम्बन्धी कार्य का निष्पादन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त) के नियंत्रण व निर्देशों के अनुरूप कर रहे हैं। भू–राजस्व का अभिलेख भी यही अधिकारी रखेंगे। इनमें से कार्य आयोजना अधिकारी के चार पद क्रमशः कोटा, जयपुर, उदयपुर तथा बीकानेर, भारतीय वन सेवा के तथा शेष तीन पद जोधपुर, भरतपुर व अजमेर राज्य वन सेवा के रखे गए हैं। प्रशासनिक कार्यों की देखरेख के लिए मुख्य वन संरक्षकों के अधीन उप वन संरक्षक (प्रशासन) तथा प्रत्येक संभाग के मूल्यांकन व प्रबोधन कार्यों के लिए एक पृथक् उप वन संरक्षक के नेतृत्व में पी. एण्ड एम. इकाई कार्य गठित की गई है। मूल्यांकन मण्डल अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एम. एण्ड ई.) के नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं।

इसी प्रकार वन्य जीव प्रबन्धन के लिये राज्य में पांच मुख्य वन संरक्षकों के पद क्रमशः जयपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर व जोधपुर में सृजित किये गये हैं।

प्रत्येक जिले में कार्य की आवश्यकता के अनुरूप उप वन संरक्षक पदस्थापित हैं। प्रत्येक वन मण्डल में दो उप खण्ड बनाए गए हैं। इन उप खण्डों में सहायक वन संरक्षकों को पदस्थापित किया गया है। सामान्यतया एक उप खण्ड 3 से 4 रेंजों का है। उप खण्ड प्रभारी सहायक वन संरक्षकों के कार्य–दायित्व पृथक् से निर्धारित किए गये हैं। इस प्रणाली से वन एवं वन्य जीव सुरक्षा एवं प्रबन्धन प्रभावी किया जा सकेगा तथा वन विकास एवं साझा वन प्रबन्ध कार्यों का समुचित पर्यवेक्षण किया जा सकेगा। ये अधिकारी अपने अधिकारिता क्षेत्र में वनों एवं वन्य जीवों के संरक्षण के साथ–साथ वानिकी विकास कार्यों का निष्पादन भी कराते हैं। प्रादेशिक वन मण्डलों के अतिरिक्त विभागीय कार्य योजना, वन्य जीव संरक्षण एवं विशिष्ट योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पृथक् से आवश्यकतानुसार उप वन संरक्षकगण भी कार्यरत हैं।

- **कार्यकारी स्तर :**

वन मण्डल के अधीन सामान्यत: 5 से 7 वन रेंज (Forest Ranges) होती हैं। प्रत्येक रेंज के प्रभारी क्षेत्रीय

वन अधिकारियों का प्रशिक्षण

छाया सौजन्य : के. सी. मीणा

अधिकारी होते हैं। प्रत्येक रेंज 4 से 6 नाकों में विभक्त होती है। नाका प्रभारी वनपाल/सहायक वनपाल होते हैं। प्रत्येक नाके का क्षेत्र बीट में बंटा होता है, जिसका प्रभारी वन रक्षक अथवा गेम वाचर होता है। 'बीट' वन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती है।

विशिष्ट योजनाओं/कार्यों के निष्पादन हेतु नाकों एवं बीट के स्थान पर कार्य स्थल प्रभारी पदस्थापन की व्यवस्था प्रचलित है।

वन सेवा :

प्रशासनिक तंत्र के विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों–कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए वन सेवा का गठन किया जाकर भर्ती सम्बन्धी प्रत्येक सेवा के लिए विस्तृत एवं सुस्पष्ट सेवा नियम बनाये गये हैं। राज्य में विभिन्न वन सेवा संवर्गों में पदस्थापित अधिकारियों एवं कार्मिकों की स्थिति निम्नानुसार है :–

• भारतीय वन सेवा (Indian Forest Service) :

भारतीय वन सेवा के राजस्थान संवर्ग में 145 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में 65 अधिकारी राज्य में विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं तथा 8 भारतीय वन सेवा के अधिकारी विभाग से बाहर विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं। राज्य के भा.व.से. के 11 अधिकारी राज्य से बाहर प्रतिनियुक्ति पर हैं, भा.व.से. का एक अधिकारी विदेश अवकाश पर है। वर्तमान में भारतीय वन सेवा के स्वीकृत पदों का विवरण (31–12–2012 की स्थिति अनुसार) इस प्रकार है:–

क्र.सं.	पद नाम	पद स्थापन का विवरण			
		कैडर में पद	एक्स कैडर में	कुल पद	रिक्त पद
1.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	2	2	4	1
2.	अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक	6	6	12	1
3.	मुख्य वन संरक्षक	21	11	32	5
4.	वन संरक्षक	16	2	18	14
5.	उप वन संरक्षक	44	5	49	29
	योग	**89**	**26**	**115**	**50**

चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में भा.व.से. के निम्न अधिकारी सेवानिवृत्त हो रहे/चुके हैं :

क्र.सं.	नाम अधिकारी	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	श्री अरुणकान्त सक्सेना	31.07.12
2.	श्री ए.एस. चौहान	31.10.12
3.	श्री एम.एस. तिवाड़ी	31.10.12
4.	श्री अम्बरीश चन्द्र चौबे	31.12.12

• राजस्थान वन सेवा (Rajasthan Forest Service) :

राजस्थान वन सेवा में उप वन संरक्षक, सहायक वन संरक्षक के स्वीकृत पदों का विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं.	पद नाम	कुल पदों की संख्या	रिक्त पद
1.	उप वन संरक्षक	67	8
2.	सहायक वन संरक्षक	149	62
	योग	**216**	**70**

• अभियांत्रिकी सेवा (Engineering Service) :–

विभाग में अभियांत्रिकी पदों का विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1.	अधिशासी अभियंता	4	1
2.	सहायक कृषि अभियंता/सहायक भू–संरक्षण अधिकारी (अभियांत्रिकी)	1	–
3.	सहायक भू–संरक्षण अधिकारी (कृषि)	2	2
	योग	**7**	**3**

• वन अधीनस्थ सेवा (Forest Subordinate Service) :–

अधीनस्थ वन सेवा के क्षेत्रीय प्रथम, क्षेत्रीय द्वितीय, वनपाल, सहायक वनपाल तथा वन रक्षक के स्वीकृत पदों का विवरण निम्न प्रकार है :

क्र.सं.	पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत	रिक्त पदों की संख्या
1.	क्षेत्रीय–प्रथम	258	146	112
2.	जू–अधीक्षक	01	0	01
3.	क्षेत्रीय–द्वितीय	181	120	61
4.	जू–सुपरवाइजर	4	03	01
5.	वनपाल	979	690	289
6.	सहायक वनपाल	918	846	72
7.	वनरक्षक एवं गेम वाचर्स	3967	3025	942

वर्ष 2010–11 में राज्य सरकार द्वारा वनरक्षकों के 1001 रिक्त पदों को सीधी भर्ती परीक्षा के माध्यम से भरने की गयी स्वीकृति के क्रम में वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में 1002 वनरक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं।

राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 1963 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत वन विभाग के विभिन्न कैडरों में वनरक्षकों के 852 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती किए जाने हेतु विज्ञप्ति राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में दिनांक 19.1.2013 को प्रकाशित की गई है। वनरक्षक भर्ती परीक्षा 2013 हेतु ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जावेंगे। उक्त वनरक्षकों के पदों पर सीधी भर्ती हेतु दिनांक 24.2.2013 को लिखित परीक्षा समस्त सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारी द्वारा एक ही तिथि एवं समय पर आयोजित की जावेगी। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने पर साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाकर चयन किया जावेगा।

- **मंत्रालयिक सेवा**

(Ministerial Service) :-

माह दिसम्बर, 2012 की स्थिति के अनुसार मंत्रालयिक सेवा के कुल 1002 पद विभाग में स्वीकृत हैं जिनमें से 159 पद रिक्त चल रहे हैं।

- **चतुर्थ श्रेणी संवर्ग :**

माह दिसम्बर, 2012 की स्थिति के अनुसार इस वर्ग के कुल 413 पद विभाग में स्वीकृत हैं जिनमें 33 पद रिक्त चल रहे हैं।

- **तकनीकी संवर्ग**

(Technical Service):-

विभाग में तकनीकी संवर्ग के कुल 486 पद स्वीकृत हैं माह दिसम्बर, 2012 की स्थिति के अनुसार इनमें से 110 पद रिक्त चल रहे हैं।

- **वर्कचार्ज संवर्ग**

(Work Charge Service) :-

विभाग में वर्तमान में 6818 कर्मकार वर्कचार्ज संवर्ग में कार्यरत हैं।

- **भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति :-**

माह दिसम्बर, 2012 (1.1.2012) के अनुसार, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं में माननीय न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेशों के क्रम में 44 भूतपूर्व सैनिक अनुबन्ध पर कार्यरत हैं।

प्रशासनिक कार्य :

- **कार्मिक सम्बन्धी कार्य**
- **पदोन्नति :**

वर्ष 2012–13 में निम्नांकित पदों की डी.पी.सी. की जाकर उनके सामने अंकित संख्या अनुसार पदोन्नति प्रदान की गई:–

क्र.सं.	पदनाम	पदोन्नत कर्मचारियों की संख्या	डी.पी.सी. वर्ष
1.	निजी सहायक	1	2012–13
2.	वरिष्ठ निजी सहायक	1	2012–13
3.	निजी सहायक	2	2012–13
4.	उप अभियंता	5	2005–06, 2006–07 एवं 2012–13
5.	क्षेत्रीय प्रथम	44	2010–11 के 52, वर्ष 2011–12 के 18 व वर्ष 2012–13 के 9
6.	क्षेत्रीय द्वितीय	87	वर्ष 2010–11 के 35, वर्ष 2011–12 के 33, 2012–13 के 19
7.	कार्यालय अधीक्षक	26	1997–98 से 2009–10 की रिव्यू डी.पी.सी. पश्चात्
8.	कार्यालय सहायक	3	2005–06 से 2009–10 की रिव्यू डी.पी.सी.
9.	वरिष्ठ लिपिक	47	2009–10
	योग	**216**	

वर्ष 2012-13 में वरिष्ठता सूचियों का प्रकाशन निम्नानुसार किया गया है :-

1. आदेश क्रमांक 2516/सी दिनांक 24.9.2012 द्वारा वरिष्ठ निजी सहायकों की दिनांक 1.4.2011 की स्थिति अनुसार वरिष्ठता सूची का प्रकाशन।
2. आदेश क्रमांक 2704/सी दिनांक 24.9.2012 द्वारा निजी सहायकों की दिनांक 1.4.2012 की स्थिति अनुसार वरिष्ठता सूची का प्रकाशन।
3. आदेश क्रमांक 2796/सी दिनांक 24.9.2012 एवं 2888/सी दिनांक 24.9.2012 द्वारा शीघ्र लिपिकों की दिनांक 1.4.2011 एवं 1.4.2012 की स्थिति अनुसार वरिष्ठता सूची का प्रकाशन।
4. आदेश क्रमांक 2980/सी दिनांक 24.9.2012 एवं 2889/सी दिनांक 24.9.2012 द्वारा निजी सचिवों की दिनांक 1.4.2011 एवं 1.4.2012 की स्थिति अनुसार वरिष्ठता सूची का प्रकाशन।
5. आदेश क्रमांक 3023/सी दिनांक 26.9.2012 एवं 2998/सी दिनांक 26.9.2012 द्वारा कार्यालय अधीक्षकों की दिनांक 1.4.2011 एवं 1.4.2012 की स्थिति अनुसार वरिष्ठता सूची का प्रकाशन।
6. आदेश क्रमांक 2608/सी दिनांक 24.9.2012 द्वारा निरीक्षकों की दिनांक 1.4.2012 की स्थिति अनुसार वरिष्ठता सूची का प्रकाशन।
7. आदेश क्रमांक 3050/सी दिनांक 26.09.2012 द्वारा साद अवलोकक कम साद विश्लेषकों की दिनांक 1.4.2012 की स्थिति अनुसार वरिष्ठता सूची का प्रकाशन।
8. आदेश क्रमांक 3329/सी दिनांक 5.10.2012 एवं 3431/सी दिनांक 5.10.2012, 3533/सी दिनांक 5.10.2012, 3635/सी दिनांक 5.10.2012, 3737/सी दिनांक 5.10.2012 द्वारा अमीनों की दिनांक 1.4.2008 से 1.4.2012 की स्थिति अनुसार वरिष्ठता सूची का प्रकाशन।
9. आदेश क्रमांक 3880/सी दिनांक 8.10.2012 द्वारा दिनांक 1.4.2010 की स्थिति अनुसार वरिष्ठ लिपिकों की वरिष्ठता सूची का प्रकाशन।
10. आदेश क्रमांक 3224/सी दिनांक 3.10.2012 द्वारा अनुसंधान सहायकों की दिनांक 1.4.2012 की स्थिति अनुसार वरिष्ठता सूची का प्रकाशन।
11. आदेश क्रमांक 4234/सी दिनांक 17-10-2012, 4326/सी दिनांक 17-10-2012, 4418/सी दिनांक 17-10-2012, 4510/सी दिनांक 17-10-2012 एवं 4602/सी दिनांक 17-10-2012, 4694/सी दिनांक 17-10-2012 द्वारा सर्वेयर फील्डमैन की दिनांक 1-4-2007 से 1-4-2012 तक संयुक्त वरिष्ठता सूची का प्रकाशन।
12. आदेश क्रमांक 6350/सी दिनांक 7.12.2012 द्वारा वनपालों की दिनांक 1.4.2010 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन।
13. आदेश क्रमांक 6562/सी दिनांक 11.12.2012 द्वारा कनिष्ठ लिपिकों की दिनांक 1.4.2010 की स्थिति अनुसार प्रोविजनल वरिष्ठता सूची का प्रकाशन।
14. क्षेत्रीय ग्रेड प्रथम व द्वितीय की दिनांक 1.4.2010 की स्थिति के अनुसार वरिष्ठता सूचियों का प्रकाशन।

• विभागीय जांच एवं अपीलों का निस्तारण

प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 में विभागीय जांच एवं अपीलों का निस्तारण

1. सी.सी.ए.-16 के अन्तर्गत 2 प्रकरण एवं सी.सी.ए.-17 के अन्तर्गत 6 प्रकरणों का निस्तारण किया गया।
2. अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा दिये गये दण्डों के विरुद्ध सी.सी.ए. नियम 23 के तहत प्राप्त अपीलों में से 7 अपीलों का निस्तारण किया गया।
3. भारतीय वन सेवा के एक अधिकारी को अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियम-1969 के नियम-8 के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी किया गया।
4. अधीनस्थ सेवा के 5 लोकसेवकों को सी.सी.ए.-16 के तहत तथा 3 लोकसेवकों को सी.सी.ए.-17 के तहत आरोप पत्र जारी किये गये।

प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 में विभागीय जांच एवं अपीलों का निस्तारण

1. सी.सी.ए.-16 के अन्तर्गत 4 प्रकरण एवं सी.सी.ए.-17 के अन्तर्गत 5 प्रकरणों का निस्तारण किया गया।

2. अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा दिये गये दण्डों के विरुद्ध सी.सी.ए. नियम 23 के तहत प्राप्त अपीलों में से 16 अपीलों का निस्तारण किया गया।

3. अधीनस्थ सेवा के 1 लोकसेवक को सी.सी.ए.-16 के तहत आरोप-पत्र जारी किये गये हैं।

• अनुकम्पा नियुक्ति

विभाग में इस वर्ष 1 जनवरी, 2012 से 21 दिसम्बर, 2012 तक विभिन्न संवर्गों में अनुकम्पा नियुक्ति के कुल 138 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इन प्रकरणों में, आश्रितों को विभाग में 18 वनरक्षक, 16 कनिष्ठ लिपिक, एक चालक तथा 4 आशार्थियों को चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्त किया गया। अनुकम्पा नियुक्ति सम्बन्धी 99 प्रकरण कार्मिक विभाग में नियुक्ति हेतु प्रेषित किए गए।

• विधानसभा प्रश्न एवं आश्वासन

वित्तीय वर्ष 2012-13 में विधानसभा से प्राप्त प्रश्नों व उनके प्रेषित उत्तरों व आश्वासनों की स्थिति इस प्रकार रही :-

अष्टम सत्र :

	कुल प्राप्त	उत्तर प्रेषित	लंबित
तारांकित प्रश्न	49	49	0
अतारांकित प्रश्न	53	53	0
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव/ विशेष उल्लेख प्रस्ताव/स्थगन प्रस्ताव	7	7	0
शून्यकाल/ अति. सत्रकाल	8	8	0

नवम सत्र :

	कुल प्राप्त	उत्तर प्रेषित	लंबित
तारांकित प्रश्न	10	10	0
अतारांकित प्रश्न	15	15	0
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव/ विशेष उल्लेख प्रस्ताव/स्थगन प्रस्ताव	0	0	0
शून्यकाल/ अति. सत्रकाल	1	1	0

विधिक कार्य

विभिन्न न्यायालयों में राज्य सरकार के विरुद्ध व राज्य सरकार की ओर से दायर हजारों की संख्या में प्रकरण लंबित हैं। इन प्रकरणों के प्रभावी नियंत्रण व प्रबोधन हेतु राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में चल रहे प्रकरणों की सूचना को संकलित/समेकित कराने तथा उनकी प्रभावी निगरानी के उद्देश्य से 12 प्रपत्र (Formats) तैयार करके जारी किये गये हैं, जिनको वेबसाइट का रूप दे दिया गया है। इस वेबसाइट को Litigation Information Tracking & Evaluation System (LITES) का नाम दिया गया है।

वन विभाग द्वारा अपने जिला स्तरीय कार्यालयों से प्राप्त सूचनाओं व मुख्यालय स्तर पर उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर विभिन्न न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों को निरन्तर न्याय विभाग की वेबसाइट पर दर्ज कराया जा रहा है।

विभाग से संबंधित 6857 न्यायिक प्रकरणों में से वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 24, माननीय उच्च न्यायालय में 1643, ट्रिब्यूनल में 213 तथा अन्य न्यायालयों में 4977 प्रकरण विचाराधीन हैं।

''सूचना का अधिकार'' संबंधित कार्य :

राज्य सरकार ने दिनांक 03.05.2007 द्वारा सूचना के अधिकार नियम 2005 के अन्तर्गत समसंख्यक पत्र दिनांक 03.10.2005 को अधिक्रमिक करते हुए दिनांक 03.05.2007 को संशोधित करते हुए वन विभाग के राज्य लोक सूचना अधिकारी, प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान जयपुर एवं लोक प्राधिकरण वन विभाग तथा अपीलेंट अधिकारी प्रमुख शासन सचिव (वन) घोषित किए हैं।

इस क्रम में विभाग ने दिनांक 07.01.2011 के आदेश को 09.10.2012 को संशोधित आदेश जारी कर राज्य में 84 सहायक लोक सूचना अधिकारी, 96 लोक सूचना अधिकारी व 23 अपीलीय अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है।

इस वर्ष अप्रैल, 2012 से 31 दिसम्बर, 2012 तक सूचना चाहने सम्बन्धी 151 आवेदन पत्र प्रधान मुख्य

वन संरक्षक, राजस्थान के कार्यालय को प्राप्त हुए हैं जिनमें से 143 आवेदनकर्ताओं को सूचना के अधिकार नियम, 2005 के अन्तर्गत आवेदनों का नियमानुसार निस्तारण किया जा चुका है। शेष 8 आवेदन पत्र प्रक्रियाधीन लम्बित हैं एवं इस कार्यालय को इस वर्ष अप्रैल, 2012 से 31 दिसम्बर, 2012 तक 5 अपीलें प्राप्त हुईं जिनका निस्तारण किया जा चुका है।

❁ श्रम अनुभाग सम्बन्धी न्यायालय कार्य की प्रगति

- श्रमिकों के विभिन्न न्यायालयों में 125 आदेश विभाग के पक्ष में तथा 3 आदेश विभाग के विरुद्ध प्राप्त हुये हैं।
- विभाग में विभिन्न न्यायालयों के आदेशों की पालना हेतु 27 प्रकरणों में लगभग ₹ 19.00 लाख के वित्तीय भुगतान की स्वीकृतियां प्राप्त हुईं।

❁ कार्य प्रगति अंकेक्षण व्यवस्था (Performance Audit) :

प्रधान मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय द्वारा जारी प्रपत्र में समस्त प्रादेशिक मुख्य वन संरक्षकगण, उनके अधीनस्थ वन संरक्षकगणों एवं उप वन संरक्षकगणों के द्वारा किये गये सामयिक कार्य का समग्र ब्यौरा प्रतिमाह प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करते हैं जिसकी समीक्षा मुख्यालय पर अति प्र.मु.व.सं. (M&E) द्वारा की जाकर संबंधित अधिकारीगणों को उनकी निष्पत्ति (Performance) के बारे में सूचित कर दिया जाता है। जहां सुधार (improvement) की गुंजाइश होती है, वहां संबंधित अधिकारीगण को मार्गदर्शन के साथ आगाह भी किया जाता है। उक्त रिपोर्ट का अधिकारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरते समय पर्यवेक्षक अधिकारियों के द्वारा ध्यान रखा जाता है।

अधीनस्थ व मंत्रालयिक कर्मचारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अब प्रधान मुख्य वन संरक्षक व संभागीय मुख्य वन संरक्षक, दो ही स्तरों पर रखे जाने की व्यवस्था 14 अक्टूबर, 2009 से प्रभावी की गई है।

❁ लेखा अनुभाग संबंधी प्रगति

वित्तीय वर्ष 2012–13 (21 जनवरी, 2013) तक में लेखा अनुभाग की विभिन्न प्रतिवेदनों एवं पैराज के निस्तारण की प्रगति का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	विवरण	1.4.11 को बकाया		नये प्राप्त वर्ष 11–12		निस्तारण वर्ष 11–12		लम्बित 31–3–12	
		प्रतिवेदन	पैरा	प्रतिवेदन	पैरा	प्रतिवेदन	पैरा	प्रतिवेदन	पैरा
1.	सी.ए.जी. प्रतिवेदन	3	3	2	13	5	16	–	–
2.	जनलेखा समिति	3	63	2	17	4	78	1	2
3.	ड्राफ्ट पैरा	–	1	–	3	–	4	–	–
4.	तथ्यात्मक पैरा	–	1	–	4	–	5	–	–
5.	महालेखाकार के आक्षेप	415	1172	14	259	19	174	410	1257
6.	निरीक्षण विभाग	68	565	7	100	2	71	73	594

ooo

3

वन सुरक्षा

राज्य वन विभाग का एक प्रमुख कार्य मौजूदा वन क्षेत्रों की सुरक्षा करना है। इसके लिए वन विभाग अपने कर्मचारियों के माध्यम से विधि प्रवर्तन तथा अवैध खनन, अतिक्रमण, चराई, छंगाई, वन उपज की चोरी, तस्करी एवं वन्य जीव सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम करता है। वन संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु विभाग द्वारा की जा रही गतिविधियां इस प्रकार हैं :-

गश्तीदलों का गठन :

वन क्षेत्रों में वन अपराधों पर नियंत्रण एवं इनकी रोकथाम की प्रभावी कार्यवाही हेतु नियमित पदस्थापित स्टाफ के अतिरिक्त संवेदनशील क्षेत्रों में वन एवं वन्य जीव सम्पदा की सुरक्षार्थ गश्त हेतु गश्तीदलों का गठन किया गया है। इन गश्तीदलों द्वारा आकस्मिक चैकिंग कर वन अपराधों पर त्वरित कार्यवाही की जाती है। विभाग में वर्तमान में 14 गश्तीदल (9 वन्य जीव गश्तीदल सहित) कार्यरत हैं। भरतपुर एवं अजमेर संभाग में गश्तीदल के गठन की कार्यवाही जारी है।

वायरलैस सेट्स की स्थापना:

वन क्षेत्रों में घटित होने वाले वन अपराधों की प्रभावी रोकथाम एवं नियंत्रण के लिये सशक्त सूचना संप्रेषण का माध्यम स्थापित किया जाना अति आवश्यक है। सुदूरवर्ती वन नाके/चौकियों पर स्थापित किये गये वायरलैस सेट्स सूचना सम्प्रेषण किये जाने में काफी प्रभावी सिद्ध हुए हैं। वर्तमान में विभाग में लगभग 1010 वायरलैस सेट्स हैं जिनमें से फिक्स्ड सेट्स की संख्या 663, वाहनों पर मोबाइल सेट्स 58 तथा हैण्डसेट्स 289 हैं।

वन कर्मियों को हथियार उपलब्ध कराना:

वर्तमान युग में वन अपराधी द्रुतगति वाले वाहनों एवं आधुनिक हथियारों का भी वन कर्मियों को आतंकित करने हेतु उपयोग करने लगे हैं। विभाग में वर्तमान में 32 रिवाल्वर एवं 62 डीबीबीएल गन वन कर्मियों को उपलब्ध करायी गई हैं। समय-समय पर पुलिस विभाग के सहयोग से हथियारों के उपयोग का प्रशिक्षण भी दिलाया जाता रहा है।

अतिक्रमण

राज्य में 1 अक्टूबर, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक वन भूमि पर अतिक्रमण के कुल 7293 प्रकरण दर्ज किये गये जो 7027.35 है. वनभूमि से सम्बन्धित हैं। इस अवधि

वन भूमि से अतिक्रमण हटाते हुए वनकर्मी

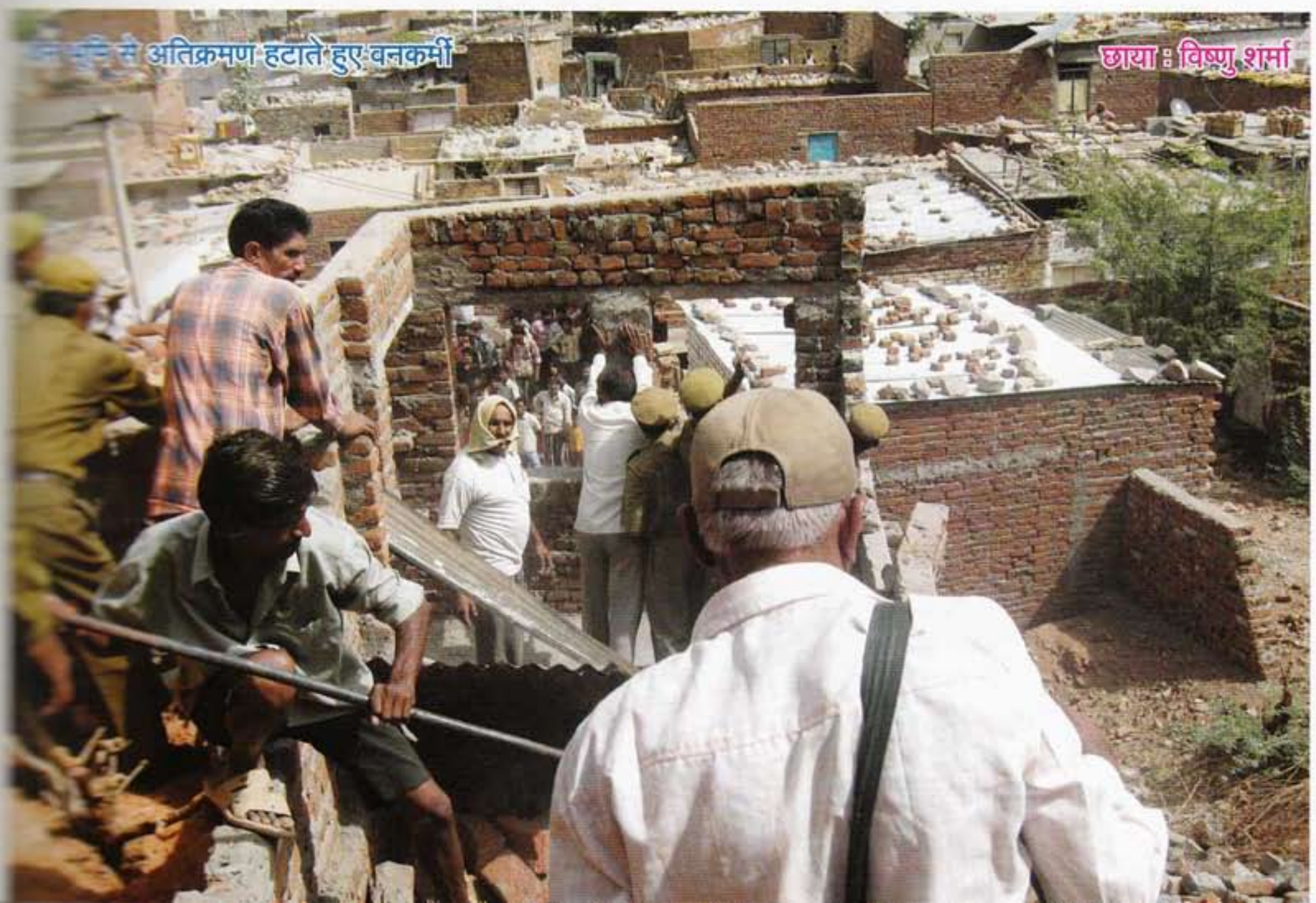

छाया : विष्णु शर्मा

में पुराने लंबित प्रकरणों सहित कुल 7448 प्रकरण निर्णित कर 6528.02 है. वन भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई गई तथा बतौर शास्ति लगभग ₹ 45.56 लाख वसूल किए गए।

इस वर्ष 1 अप्रैल, 2012 से सितम्बर, 2012 तक वन भूमि पर अतिक्रमण के कुल 2945 प्रकरण दर्ज किये गये जो 2590.50 है. वन भूमि से सम्बन्धित हैं। इस अवधि में पुराने लंबित प्रकरणों सहित कुल 3962 प्रकरण निर्णित कर 4321.29 है. वन भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई गई तथा बतौर शास्ति लगभग ₹ 11.97 लाख वसूल किये गये।

❄ अवैध कटान

राज्य में 1 अक्टूबर, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक अवैध कटान के 4155 प्रकरण दर्ज किये गये। पुराने प्रकरणों सहित इस अवधि में कुल 4310 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि लगभग ₹ 86.04 लाख वसूल किया गया।

राज्य में 1 अप्रैल, 2012 से 30.9.2012 तक अवैध कटान के 2944 प्रकरण दर्ज किये गये। पुराने प्रकरणों सहित इस अवधि में कुल 3042 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि लगभग ₹ 61.99 लाख वसूल किया गया।

❄ अवैध चराई

राज्य में 1 अक्टूबर, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक 1330 प्रकरण दर्ज किये गये। पुराने प्रकरणों सहित इस अवधि में कुल 1424 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि लगभग ₹ 9,36 लाख जमा किया गया।

राज्य में 1 अप्रैल, 2012 से 30 सितम्बर, 2012 तक 2381 प्रकरण दर्ज किये गये। पुराने प्रकरणों सहित इस अवधि में कुल 2405 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि लगभग ₹ 18.42 लाख जमा किया गया।

❄ अवैध खनन

राज्य में 1 अक्टूबर, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक अवैध खनन के 1446 प्रकरण दर्ज किये गये। पुराने

प्रकरणों सहित इस अवधि में 1486 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि लगभग ₹ 121.04 लाख जमा किए गए।

राज्य में 1 अप्रैल, 2012 से 30.9.2012 तक अवैध खनन के कुल 1737 प्रकरण दर्ज किये गये। पुराने प्रकरणों सहित इस अवधि में 1696 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि लगभग ₹ 180.90 लाख जमा किए गए।

❄ वन्य जीव अपराध

राज्य में 1 अक्टूबर, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक 128 प्रकरण दर्ज किये गये। पुराने प्रकरणों सहित इस अवधि में कुल 99 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि लगभग ₹ 6.26 लाख जमा किए गए।

राज्य में 1 अप्रैल, 2011 से 30.9.2012 तक 160 प्रकरण दर्ज किये गये। पुराने प्रकरणों सहित इस अवधि में कुल 80 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि लगभग ₹ 5.05 लाख जमा किए गए।

❄ अन्य वन अपराध

राज्य में 1 अक्टूबर, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक 1064 प्रकरण दर्ज किये गये। पुराने प्रकरणों सहित इस अवधि में कुल 1091 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि लगभग ₹ 43.61 लाख जमा किए गए।

राज्य में 1 अप्रैल, 2012 से 30.9.2012 तक 1122 प्रकरण दर्ज किये गये। पुराने प्रकरणों सहित इस अवधि में कुल 1151 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि लगभग ₹ 56.84 लाख जमा किए गए।

❋ पेड़ों की छंगाई एवं शाखा तराशी

राज्य में 1 अक्टूबर, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक 616 प्रकरण दर्ज किए गए। पुराने प्रकरणों सहित इस अवधि में कुल 610 प्रकरण निर्णित किए जाकर बतौर मुआवजा राशि लगभग ₹ 5.64 लाख जमा किए गए।

राज्य में 1 अप्रैल, 2012 से 30.9.2012 तक 787 प्रकरण दर्ज किये गये। पुराने प्रकरणों सहित इस अवधि में कुल 611 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि लगभग ₹ 7.55 लाख जमा किए गए।

❋ सीमा चिह्न की तोड़फोड़ एवं परिवर्तन

राज्य में 1 अक्टूबर, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक 367 प्रकरण दर्ज किये गये। पुराने प्रकरणों सहित इस अवधि में कुल 126 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि ₹ 4.33 लाख जमा किए गए।

राज्य में 1 अप्रैल, 2012 से 30.9.2012 तक 1 प्रकरण दर्ज किया जाकर पुराने प्रकरणों सहित इस अवधि में कुल 3 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि ₹ 0.09 लाख जमा की गई।

❋ अवैध परिवहन

राज्य में 1 अक्टूबर, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक 1011 प्रकरण दर्ज किये जाकर पुराने प्रकरणों सहित इस अवधि में कुल 1026 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि लगभग ₹ 70.89 लाख जमा किए गए।

राज्य में 1 अप्रैल, 2012 से 30.9.2012 तक 838 प्रकरण दर्ज किये जाकर पुराने प्रकरणों सहित इस अवधि में कुल 844 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा लगभग ₹ 55.60 लाख जमा किए गए।

❋ अवैध आरामशीन

राज्य में 1 अक्टूबर, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक 237 प्रकरण दर्ज किये गये। पुराने प्रकरणों सहित इस अवधि में कुल 294 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि लगभग ₹ 12.41 लाख जमा किए गए।

राज्य में 1 अप्रैल, 2012 से 30.9.2012 तक 271 प्रकरण दर्ज किये गये। पुराने प्रकरणों सहित इस अवधि में कुल 196 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि लगभग ₹ 6.96 लाख जमा किए गए।

वनभूमि पर आदिवासियों के मालिकाना अधिकार (पट्टे)

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 की क्रियान्विति के क्रम में वन भूमि पर आदिवासियों के मालिकाना अधिकार (पट्टे) के बाबत प्राप्त दावों की आदिवासी क्षेत्र विकास विभाग के अनुसार इस वर्ष में 14 जिलों यथा बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, बारां, पाली, भीलवाड़ा, सवाईमाधोपुर, कोटा, झालावाड़, बूंदी एवं जयपुर जिलों के कुल प्राप्त 64596 दावों में से 32616 दावों में अधिकार पत्र जारी किया गया। धारा 3(2) के तहत स्वीकृत प्रकरण 28 हैं तथा सामुदायिक वन अधिकारी पत्रों की संख्या 57 है।

वन भूमि डायवर्जन

31 दिसम्बर, 2012 तक राज्य वन विभाग में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु प्राप्त प्रस्तावों में से 179 प्रस्ताव विचाराधीन हैं जिनका विवरण अग्रानुसार है :

अवैध आरामशीन जब्ती की कार्यवाही करते वनकर्मी

छाया : विष्णु शर्मा

एफ.सी.ए. (1980) के अनुसार 31.12.2012 को विचाराधीन प्रकरणों का विवरण

क्र.सं.	विभाग	कुल विचाराधीन प्रकरण	विचाराधीन प्रकरण				प्रथम चरण क्लियरेंस	1 जनवरी, 12 से 31 दिसम्बर, 12 तक जारी अन्तिम स्वीकृति
			यूजर एजेंसी	राज्य सरकार	भारत सरकार	वन विभाग		
1.	सिंचाई	27	17	2	5	3	18	3
2.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	8	6	–	–	2	5	2
3.	सार्वजनिक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	70	26	2	13	29	36	4
4.	शहरी आधारभूत संरचना विकास परियोजना	3	2	–	–	1	1	–
5.	विद्युत प्रसारण निगम	15	9	1	4	1	4	2
6.	पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन	3	3	–	–	–	2	–
7.	भारतीय रेल	7	3	1	2	1	3	–
8.	अन्य	46	16	3	12	15	25	6
	कुल	**179**	**82**	**9**	**36**	**52**	**94**	**17**

जनवरी, 2012 से दिसम्बर, 2012 तक कुल 10 प्रकरणों में प्रथम चरण की स्वीकृति एवं 17 प्रकरणों में अन्तिम स्वीकृति जारी की गई है।

कैम्पा कोष (CAMPA Fund)

गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तित वनभूमि के बदले में प्राप्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, दण्डात्मक वृक्षारोपण तथा एनपीवी (नेट प्रजेंट वैल्यू) आदि से प्राप्त राशि से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कम्पनसेटरी एफोरेस्टेशन एण्ड मैनेजमेंट प्लानिंग ऑथोरिटी (कैम्पा फण्ड) की स्थापना भारत सरकार के स्तर पर की गयी है।

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की पालना में राज्य सरकार ने एक अधिसूचना दिनांक 12.11.2010 को जारी कर राजस्थान राज्य कैम्पा कोष प्राधिकरण का गठन कर दिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10.7.09 अनुसार तदर्थ कैम्पा में राज्य के हिस्से की जमा मूल राशि की 10 प्रतिशत राशि आगामी पांच वर्षों तक प्रत्येक वर्ष स्टेट कैम्पा को रिलीज की जावेगी।

भारत सरकार द्वारा एडहॉक कैम्पा से स्टेट कैम्पा (राजस्थान) को निम्नानुसार बजट का आवंटन किया गया:–

वित्तीय वर्ष 2010–11 ₹3259.08 लाख

वित्तीय वर्ष 2011–12 ₹4200.00 लाख

वित्तीय वर्ष 2012–13 ₹3189.13 लाख

वित्तीय वर्ष 2011–12 में ₹5200 लाख (संचित ब्याज राशि एवं वित्तीय वर्ष 2010–11 की अवशेष राशि सम्मिलित) की वार्षिक कार्य योजना तैयार की गई थी जिसमें वन एवं वन्य जीव संरक्षण एवं सुरक्षा के कार्यों का प्रावधान किया गया था। कार्य योजना की स्वीकृति उपरांत 31.3.2012 तक उल्लेखित कार्यों पर ₹3718.002 लाख का वित्तीय लक्ष्य प्राप्त किया गया।

अतिक्रमण हटाते हुए वनकर्मी छाया : जगदीश गुप्ता

कैम्पा कार्यों की वर्ष 2011-12 की प्रमुख भौतिक उपलब्धियां

वन कार्य	लक्ष्य	उपलब्धि
आवंटित गैर वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (अग्रिम कार्य)	600 है.	538.88 है.
आवंटित गैर वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (पौधारोपण)	468 है.	468 है.
परिभ्रंषित वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (अग्रिम कार्य)	1000 है.	1000 है.
परिभ्रंषित वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (पौधारोपण) (प्राकृतिक पुनरुत्पादन में सहयोग)	1750 है.	1750 है.
परिभ्रंषित वन भूमि पर रिस्टोकिंग (अग्रिम कार्य) (प्राकृतिक पुनरुत्पादन में सहयोग)	4500 है.	4475 है.
परिभ्रंषित वन भूमि पर रिस्टोकिंग (पौधारोपण)	6175 है.	6175 है.
पक्की दीवार का निर्माण (बाड़बंदी)	52300 मीटर	36483 मीटर
वन भूमि पर सीमा स्तम्भों का निर्माण	3200	2774
एनीकट/गजलर/तालाब/जल संरचनाओं का निर्माण	24	24
वन चौकियों का निर्माण	20	20
रेंज ऑफिस सह निवास का निर्माण	10	9
मरु राष्ट्रीय उद्यान, जैसलमेर में वन्य जीव क्लोजर का निर्माण	400 है.	200 है.
पुनर्वास केन्द्र की स्थापना	2	2

वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु ₹ 5512.64 लाख (संचित ब्याज राशि एवं वित्तीय वर्ष 2011-12 की अवशेष राशि सम्मिलित) की वार्षिक कार्य योजना तैयार की जाकर राज्य स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी से स्वीकृत कराई जा चुकी है तथा सम्बन्धित वन एवं वन्य जीव संरक्षण एवं सुरक्षा के कार्य प्रगति पर हैं।

कार्य	लक्ष्य
आवंटित गैर वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (अग्रिम कार्य)	600 है.
आवंटित गैर वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (पौधारोपण)	538.88 है.
परिभ्रंषित वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (अग्रिम कार्य)	1000 है.
परिभ्रंषित वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (पौधारोपण) (प्राकृतिक पुनरुत्पादन में सहयोग)	1000 है.
परिभ्रंषित वन भूमि पर रिस्टोकिंग (अग्रिम कार्य) (प्राकृतिक पुनरुत्पादन में सहयोग)	2600 है.
परिभ्रंषित वन भूमि पर रिस्टोकिंग (पौधारोपण)	4775 है.
पक्की दीवार का निर्माण (बाड़बंदी)	46334 मीटर
वन भूमि पर सीमा स्तम्भों का निर्माण	3200
एनीकट/गजलर/तालाब/जल संरचनाओं का निर्माण	30
वन चौकियों का निर्माण	20

कार्य	लक्ष्य
रेंज ऑफिस सह निवास का निर्माण	10
मरु राष्ट्रीय उद्यान, जैसलमेर में वन्य जीव क्लोजर का निर्माण	200 है.
पुनर्वास केन्द्र की स्थापना	5

वुडन हैण्डीक्राफ्ट

गत 20 जनवरी, 2010 को राज्य में प्रचलित आरामशीन नियमों में संशोधन की गजट अधिसूचना प्रकाशित होने के पश्चात् राज्य में सभी 24'' की वैध आरामशीनों के अनुज्ञा–पत्रों के नवीनीकरण किए जाने के लिए सभी वन मण्डलों को निर्देश प्रसारित किए जा चुके हैं।

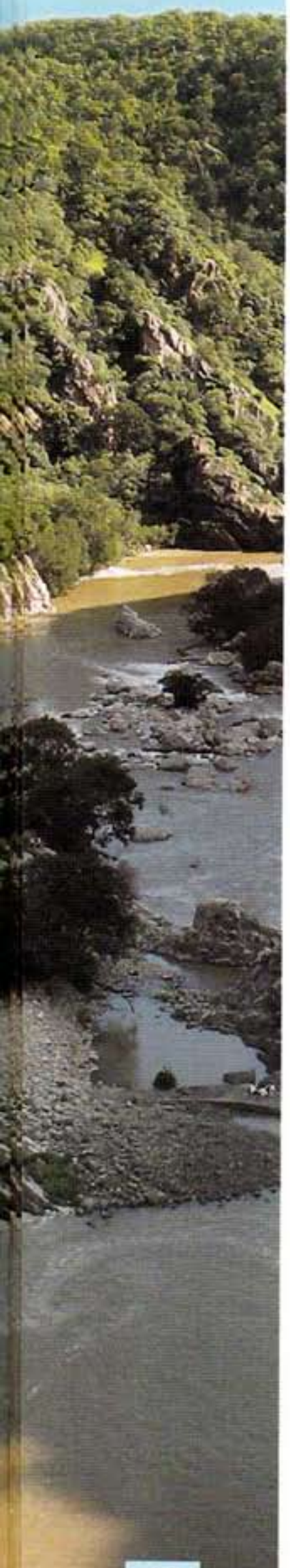

दस्यु प्रभावित क्षेत्र धौलपुर में वन सम्पदा की सुरक्षा हेतु निर्मित
33 फीट ऊंची वाच टावर एवं वनरक्षक चौकी, दमोह

छाया : के. आर. काला

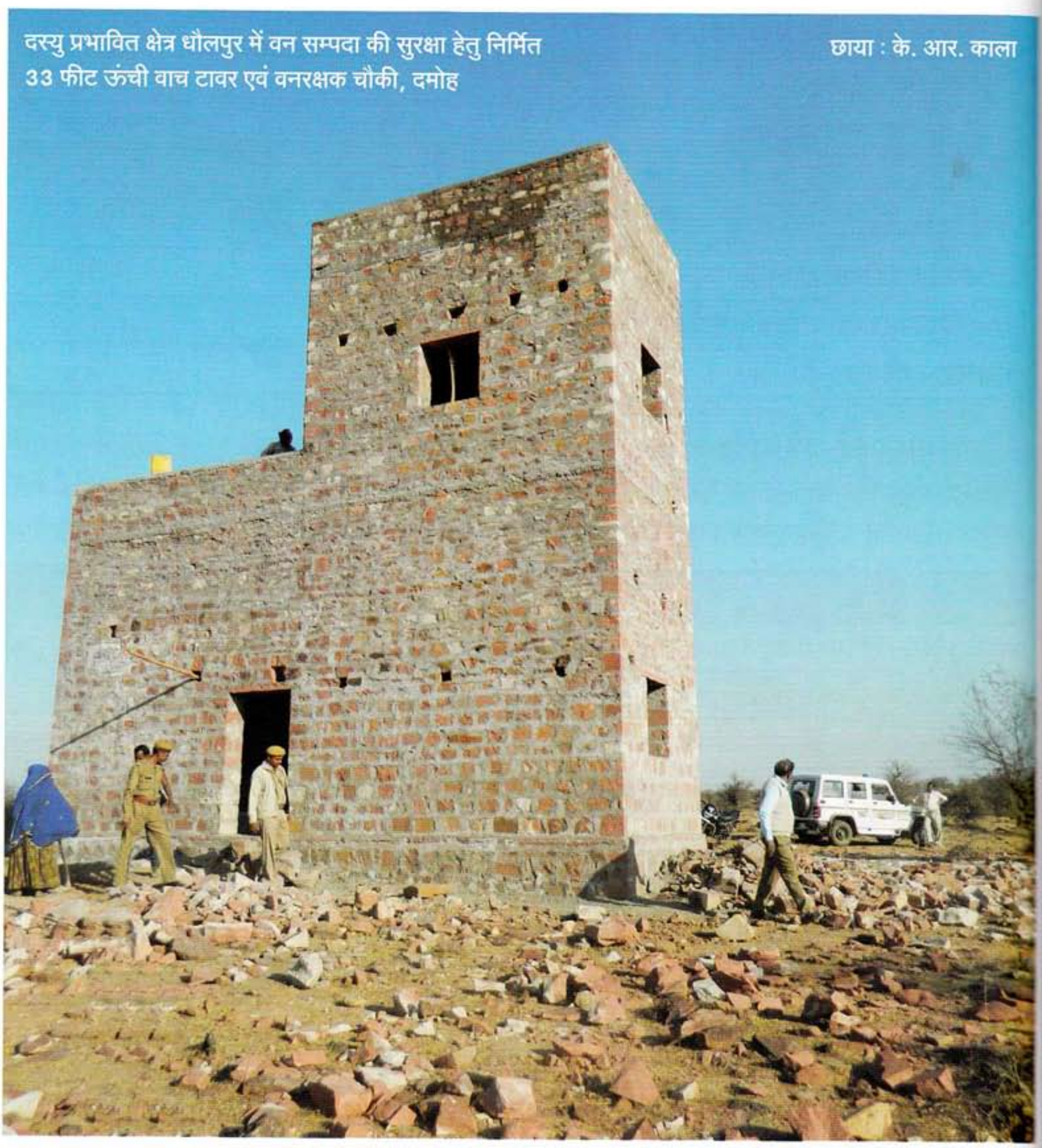

4

वानिकी विकास

राजस्थान प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहां अधिकांश जनसंख्या कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर है। प्रदेश का 9.57 प्रतिशत भू-भाग ही वन क्षेत्र है, जिसमें से भी पूर्ण वनाच्छादित क्षेत्र मात्र 4.69 प्रतिशत है। जबकि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राज्य के सम्पूर्ण भू-भाग का एक-तिहाई वन क्षेत्र होना आवश्यक है, ताकि पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरणीय संतुलन बना रहे तथा प्रदेशवासियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लक्ष्यों की प्राप्ति भी सम्भव हो सके।

प्रदेश की प्राकृतिक एवं पारिस्थितिकीय विषमताओं जैसे दो-तिहाई मरुप्रदेश, शुष्क जलवायु, अल्प वर्षा, वनाच्छादित क्षेत्र की न्यूनता एवं अत्यधिक जैविक दबाव आदि को दृष्टिगत रखते हुए वनाच्छादित क्षेत्र की वृद्धि की अपरिहार्य आवश्यकता को सर्वोच्च प्राथमिकताओं में प्रमुखता प्रदान करते हुए प्राकृतिक वनों की दयनीय स्थिति को स्थानीय लोगों की सहभागिता एवं उत्तरोत्तर वानिकी विकास के जरिये सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

इसी के मद्देनजर विभाग द्वारा एक 20 वर्षीय "राज्य वानिकी क्रियान्वयन योजना" (State Forestry Action Plan), 1996 से 2016, तैयार की जाकर प्रदेश के 20 प्रतिशत भू-भाग को वनाच्छादित किये जाने के उद्देश्य से वानिकी विकास को गति प्रदान की जा रही है। राज्य में वनीकरण गतिविधियों को प्रोत्साहित करने तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम में आमजन की भागीदारी में वृद्धि करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने दिनांक 23.10.12 को एक आदेश प्रसारित कर वन भूमि, सार्वजनिक अथवा संस्थागत भूमि पर वृक्षारोपण करने की इच्छुक शैक्षणिक संस्थाओं, राज्य एवं केन्द्र सरकार के विभागों, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं

छाया : के. आर. काला

धौलपुर जिले में वनखण्ड कुदीना में कन्दरा सुधार कार्य

पौधारोपण का एक नवीन कीर्तिमान

उप वन संरक्षक, धौलपुर ने 10 मिनट में 1000 पौधे रोपने का नवीन कीर्तिमान बनाया है। इसका आयोजन इस वर्ष 8 अगस्त, 2012 को चम्बल गार्डन, धौलपुर में किया गया। कार्यक्रम में वन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अलावा जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता व लगभग 600 स्कूली बच्चों ने भाग लिया। रोटरी क्लब, नगरपालिका धौलपुर एवं राजस्थान पत्रिका की सहभागिता उत्कृष्ट स्तर की रही। इसका परिणाम यह रहा कि पूरे जिले में वन महोत्सवों के आयोजनों के माध्यम से आम जनता वृक्षारोपण के कार्य हेतु अत्यधिक प्रोत्साहित हुई।

ट्रस्टों को मात्र एक रुपये प्रति पौधे की दर से पौधे उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। इसी प्रकार उपरोक्त संस्थाओं तथा भारत स्काउट एवं गाइड, एन.सी.सी. द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण प्रस्ताव प्रेषित करने पर उन्हें भी कुछ शर्तों के अध्याधीन 1000 पौधे तक 1 रुपये प्रति पौधे की दर से उपलब्ध कराए जाएंगे। कोई संस्था या व्यक्ति विशेष क्षेत्र विशेष के स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित करना चाहे तो उसे भी कतिपय शर्तों के अध्याधीन एक रुपये प्रति पौधा की दर से ही उपलब्ध कराए जा सकेंगे।

प्रदेश में वन विभाग द्वारा कराये जा रहे वनारोपण, पौध वितरण, पारिस्थितिकीय सुधार हेतु मृदा एवं जल संरक्षण कार्यों का विस्तृत विवरण अग्रानुसार है:-

वृक्षारोपण एवं पौध वितरण कार्य :-

विषम पारिस्थितिकीय तंत्रों की विद्यमानता, प्रतिकूल जलवायु एवं दो-तिहाई मरु भूमि के कारण प्रदेश में वानिकी विकास एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। वर्तमान में इस कार्यान्तर्गत वृक्ष विहीन पहाड़ियों पर पुनर्वनीकरण, परिभ्रांषित वनों की पुनर्स्थापना, पंचायत भूमि पर ईंधन वृक्षारोपण, प्राकृतिक वनों एवं वृक्षारोपण क्षेत्रों की उत्पादकता में संवृद्धि, उड़ती हुई रेत से नहर तंत्रों की सुरक्षा हेतु नहर किनारे वृक्षारोपण, ब्लॉक वृक्षारोपण, उड़ती हुई रेत से आबादी क्षेत्रों, उपजाऊ कृषि भूमि एवं ढांचागत विकास अन्तर्गत निर्मित परिसम्पत्तियों की सुरक्षार्थ टिब्बा स्थिरीकरण, पशुओं के लिए पर्याप्त एवं

पौष्टिक चारा उत्पादन हेतु चरागाह विकास का कार्य वृक्षारोपण कर किया जा रहा है। पारिस्थितिकीय सुधार हेतु मृदा एवं वर्षा जल संग्रहण-संचयन एवं नमी संरक्षण हेतु उपयुक्त स्थलों पर जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण भी कराया जाता है। निजी भूमि पर वृक्षाच्छादन अभिवृद्धि हेतु इच्छुक व्यक्तियों, संस्थाओं एवं विभागों को रोपण के लिए उपयोगी वृक्ष प्रजातियों के वांछित आनुवंशिकीय गुणवत्ता युक्त पौधे परम्परागत पौधशालाओं व उन्नत तकनीकी पौधशालाओं में तैयार किये जाकर कृषि वानिकी के तहत वितरित किये जाते हैं।

चालू वर्ष 2012-13 में बीस सूत्री कार्यक्रम की उपलब्धियों की स्थिति अग्रानुसार है :-

कार्य का विवरण	लक्ष्य	उपलब्धि (दिस., 12 तक)
बिन्दु सं. 52 (ए) वृक्षारोपण (हैक्टेयर में)	51,000.00	49,246.00
वृक्षारोपण (लाखों में)	240.00	236.922

उपर्युक्त उपलब्धियों का जिलेवार विस्तृत विवरण अनुलग्नक-2 में वर्णित है।

राज्य में क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का विवरण निम्नांकित है :-

वन विकास की योजनाएँ

राज्य में वन विकास की अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। वन विकास के लिए राज्य सरकार एवं भारत सरकार के अतिरिक्त जापान इन्टरनेशनल को-ऑपरेशन एजेन्सी (जे.आई. सी.ए.), जापान से वित्तीय सहयोग प्राप्त हो रहा है।

• राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज-2

राजस्थान राज्य के दस मरुस्थलीय जिले (सीकर, झुंझुनूं, चूरू, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, नागौर, जैसलमेर, बीकानेर) एवं पांच गैर मरुस्थलीय जिले (बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, सिरोही, जयपुर) तथा सात वन्य जीव संरक्षित क्षेत्रों (कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, फुलवारी की नाल वन्य जीव अभयारण्य, जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य, सीतामाता वन्य जीव अभयारण्य, बस्सी वन्य जीव अभयारण्य, कैलादेवी वन्य जीव अभयारण्य, रावली टाडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य) के आसपास 2 किलोमीटर की परिधि के क्षेत्र में स्थित कुल 650 गांवों में वित्तीय वर्ष 2011-12 से जापान इन्टरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी (JICA) द्वारा वित्त पोषित राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का द्वितीय चरण प्रारम्भ किया जावेगा। इस परियोजना अन्तर्गत वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण तथा भू-जल संरक्षण कार्यों के अतिरिक्त गरीबी उन्मूलन एवं आजीविका संवर्धन के कार्य भी किये जायेंगे। परियोजना में कार्य यथासम्भव ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति/ पारिस्थितिकीय विकास समिति एवं स्वयं सहायता समूह का गठन कर किये जायेंगे। इस परियोजना की कुल लागत ₹ 1152.53 करोड़ है जिसमें से ₹ 884.77 करोड़ का ऋण JICA द्वारा वर्ष 2011-12 से 2018-19 तक आठ वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध कराया जावेगा। इस परियोजनान्तर्गत द्वितीय वर्ष 2012-13 में लगभग ₹ 76.75 करोड़ का संशोधित प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

शीत ऋतु में फुलवारी की नाल वन क्षेत्र का विहंगम दृश्य

छाया : डॉ. सतीश कुमार शर्मा

परियोजना के अन्तर्गत आठ वर्ष की अवधि में कुल 83650 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य कराये जायेंगे जिसमें से वर्ष 2012-13 में 20917 हैक्टेयर के विरुद्ध 14762 हैक्टेयर क्षेत्र में अग्रिम वृक्षारोपण हेतु प्रारम्भिक कार्य सम्पादित किये जायेंगे। परियोजना अवधि में लगभग 375 लाख पौधे लगाये जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2011-12 में माचिया बायोलॉजिकल पार्क, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के विकास कार्य भी प्रारम्भ किये गए हैं। वर्ष 2012-13 में परियोजनान्तर्गत सामुदायिक संगठन विकास तथा प्रशिक्षण से सम्बन्धित कार्य किये जा रहे हैं।

वर्ष 2013-14 में 39653 हैक्टेयर क्षेत्र में अग्रिम कार्य सम्पादित किये जाने प्रस्तावित हैं।

वित्तीय प्रगति वर्ष 2011-12

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	मद	संशोधित अनुमान	व्यय
1.	वनीकरण	199.42	
2.	जैव विविधता संरक्षण	600.00	
3.	क्षमता संवर्धन, प्रशिक्षण एवं शोध	94.60	4.24
4.	समुदायों को गतिशील करना	92.80	1.21
5.	परियोजना प्रबंधन	595.34	26.56
6.	प्रबोधन एवं मूल्यांकन	77.00	
7.	परियोजना प्रबंधन इकाई हेतु संविदा कार्मिक	37.00	8.35
	योग	**1696.46**	**40.36**
8.	प्रशासनिक लागत एवं प्रबंध एवं प्रबंधकीय लागत (ऋण हेतु अमान्य)	135.00	45.06
	योग	**135.00**	**45.06**
	महायोग	**1831.46**	**85.42**

परियोजना हेतु जापान सरकार से लोन एग्रीमेंट मा जून, 2011 में हुआ था तथा उक्त लोन एग्रीमेंट क प्रभावीकरण (Effectuation) माह अक्टूबर, 2011 हुआ। परियोजना में निर्धारित प्रावधान अनुसार परियोज की भौतिक गतिविधियां प्रारम्भ करने से पूर्व अन प्रक्रियाओं एवं संस्थाओं को स्थापित करना था। यथा 2011-12 में परियोजना क्रियान्वयन हेतु परियोज प्रबन्धन इकाई का गठन, परियोजना प्रबंध सलाहक समूह का चयन, क्षेत्र में सामुदायिक संगठन विकास ह स्वयंसेवी संस्थाओं का चयन एवं नियोजन त परियोजना क्रियान्वयन हेतु ऑपरेशन मैन्युअल को तै करना जैसे प्रमुख प्रारम्भिक कार्य किये गये थे। इस क वित्तीय प्रगति अपेक्षाकृत कम रही है।

वर्ष 2011-12 की अवधि में भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धियां

क्र.सं.	मद	लक्ष्य	मार्च, 2012 तक उपलब्धि
1.	वनीकरण कार्य	8365	कार्य प्रगति पर
2.	जैविक उद्यान	3	कार्य प्रगति पर

वित्तीय प्रगति वर्ष 2012-13

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	मद	आय व्ययक अनुमान	संशोधित अनुमान	दिसम्बर, 2012 तक व्यय
1.	वनीकरण	7197.69	4379.98	-
2.	कृषि वानिकी गतिविधियां	4.48	0.00	-
3.	जल संरक्षण संरचनाएं	494.35	746.50	-
4.	जैव विविधता संरक्षण	2330.93	982.08	-
5.	गरीबी उन्मूलन एवं आजीविका सुधार	140.20	15.40	-
6.	क्षमता निर्माण प्रशिक्षण एवं शोध	184.46	33.26	0.54
7.	समुदायों को गतिशील करना	698.35	833.20	15.60
8.	परियोजना प्रबंधन	576.08	483.07	153.72
9.	प्रबोधन एवं मूल्यांकन	95.00	47.20	-
10.	इकाई हेतु संविदा कार्मिक परियोजना प्रबोधन	166.06	39.31	10.75
	योग	**11887.60**	**7560.00**	**180.61**
11.	प्रशासनिक लागत	115.00	115.00	71.49
12.	वैट एवं आयात कर	190.00	0.00	0.00
	योग	**305.00**	**115.00**	**71.49**
	महायोग	**12192.60**	**7675.00**	**252.10**

वर्ष 2012-13 के लक्ष्य एवं उपलब्धियां

क्र.सं.	मद	इकाई	लक्ष्य	दिसम्बर, 2012 तक उपलब्धियां
1.	**वृक्षारोपण गतिविधियां**			
क	अग्रिम कार्य	है.	14762	कार्य प्रगति पर
ख	अग्रिम कार्य सह पौधारोपण	है.	1202	कार्य प्रगति पर
2.	**जल संरक्षण संरचनाएं**			
क	एनीकट टाइप-प्रथम	संख्या	50	कार्य प्रगति पर
ख	एनीकट टाइप-द्वितीय	संख्या	50	कार्य प्रगति पर
ग	चैकडेम	घनमीटर	50000	कार्य प्रगति पर
घ	कन्टूर बन्ध	र.मीटर	50000	कार्य प्रगति पर
ङ	परकोलेशन टैंक	संख्या	50	कार्य प्रगति पर
च	पारम्परिक जल विदोहन संरचनाओं का जीर्णोद्धार/पुनर्स्थापना	संख्या	20	कार्य प्रगति पर
छ	साद	संख्या	10	कार्य प्रगति पर
ज	गैबियन स्ट्रक्चर	संख्या	50	कार्य प्रगति पर
3.	**जैव विविधता संरक्षण**			
क	नाला उपचार कार्य	है.	700	कार्य प्रगति पर
ख	जल बिन्दुओं का विकास	संख्या	12	कार्य प्रगति पर
ग	जैव विविधता संरक्षण के लिए क्लोजर निर्माण	है.	500	कार्य प्रगति पर
घ	नवीन जैविक उद्यानों का विकास	संख्या	1	कार्य प्रगति पर
ङ	जैविक उद्यानों का विकास	संख्या	2	कार्य प्रगति पर

• नाबार्ड परियोजना

बजट वर्ष 2012-13 की बजट घोषणा के क्रियान्वयन हेतु राज्य के 17 जिलों अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, टोंक, अजमेर, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर एवं सिरोही में नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित राजस्थान में वनीकरण के माध्यम से जलग्रहण क्षेत्रों का विकास (Development of Water Catchment through Greening of Rajasthan under RIDF-XVIII) नामक योजना के प्रथम फेज हेतु राशि ₹ 336.66 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई। इस परियोजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत 52,750 हैक्टेयर क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण कर जलग्रहण क्षेत्र विकसित किया जाएगा तथा परिभ्रांषित वन भूमि एवं पंचायत भूमि पर वृक्षारोपण कार्य किया जाएगा। यह योजना सूक्ष्म नियोजन (Microplan) के आधार पर क्रियान्वित की जा रही है। परियोजना के अन्तर्गत विकास कार्य की समस्त गतिविधियां 7 पैकेज में विभक्त की गई हैं जिसके अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्य, पौध वितरण, नई नर्सरियों का विकास, साझा वन प्रबंध, स्थानीय लोगों की क्षमता संवर्धन, संचार प्रसार, मृदा एवं जल संरक्षण के कार्य सम्पादित किये जायेंगे। वनों तथा वन्य जीवों को वर्षपर्यन्त जल उपलब्ध करवाने हेतु विभिन्न प्रकार के मृदा एवं जल संरक्षण संरचनाएं एवं एनीकट निर्मित करवाये जायेंगे। साझा वन प्रबन्ध सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत 250 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जायेगा तथा स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करवाई जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में ₹ 90 करोड़ व्यय किये जायेंगे। योजनान्तर्गत दिसम्बर, 2012 तक ₹ 16 करोड़ व्यय कर विकास कार्य युद्ध स्तर पर क्रियान्वित किये जा रहे हैं। योजना के कुशल क्रियान्वयन के लिए वन कार्मिकों एवं जनप्रतिनिधियों को प्रत्येक जिले में विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

• पर्यावरण वानिकी

मरुस्थलीय जिले जैसलमेर में पर्यावरण सुधार हेतु ईको-टॉस्क फोर्स द्वारा वर्ष 2012-13 में 300 हैक्टेयर में वृक्षारोपण कार्य करवाया जा रहा है जिस पर ₹ 68.11 लाख व्यय किये जायेंगे तथा वर्ष 2013-14 में भी 300 हैक्टेयर में वृक्षारोपण का कार्य करवाया जायेगा। इसके अतिरिक्त जोधपुर में देवकुण्ड वन खण्ड में स्थापित वन औषधीय उद्यान तथा जयपुर में स्थित कर्पूरचन्द कुलिश स्मृति वन के वृक्षारोपणों के संधारण का कार्य किया जा रहा है जिसमें इस वर्ष ₹ 95.51 लाख व्यय किये जायेंगे।

• तेरहवां वित्त आयोग

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंषाओं में विभाग द्वारा कराये जा रहे विकास कार्यों तथा वनों के संबंध में आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु पांच वर्ष हेतु ₹ 88.32 करोड़ का प्रावधान स्वीकृत है। इस राशि से वन क्षेत्रों की सुरक्षा हेतु पक्की दीवार निर्माण, वन क्षेत्र की सीमाओं पर मिनारें लगवाना, चिड़ियाघरों का विकास,

...क्षेत्रों में जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण, ...केन्द्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास, ई-..., पुराने भवनों का संधारण, कार्य योजनाओं का ... तथा बैम्बू में कल्चरल ऑपरेशन्स से सम्बन्धित ... कार्य सम्पादित करवाये जायेंगे। गत वर्ष 2011-12 में ₹ 11.64 करोड़ व्यय किये जाकर 2420 हैक्टेयर में वृक्षारोपण, 700 हैक्टेयर में बैम्बू कल्चरल ऑपरेशन, 2.26 कि.मी. पक्की दीवार निर्माण कार्य तथा ... बाउण्ड्री पिलर्स निर्मित किये गये थे। वर्ष 2012-13 में 62 किमी. पक्की दीवार निर्माण कार्य, 4000 बाउण्ड्री पिलर्स निर्माण तथा 2420 हैक्टेयर में वृक्षारोपण ... कार्य प्रगति पर है। इस वर्ष ₹ 18.34 करोड़ व्यय किये जायेंगे।

• परिभ्रांषित वनों का पुनरारोपण

यह नवीन योजना बारहवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत परिभ्रांषित वन क्षेत्रों में ... एवं जल तथा मृदा संरक्षण के कार्य करवाये जा रहे हैं। इस वर्ष 5000 हैक्टेयर वन क्षेत्र में अग्रिम मृदा कार्य एवं जल तथा मृदा संरक्षण के कार्य प्रगति पर हैं, ... आगामी वर्षा ऋतु में वृक्षारोपण किया जायेगा। इस योजना पर चालू वित्तीय वर्ष में ₹ 14.03 करोड़ व्यय किये जायेंगे।

... जलग्रहण क्षेत्र में कंटूर स्टेगर्ड ट्रेंच पर बीजाई के परिणाम

• जलवायु परिवर्तन एवं मरु प्रसार रोक

यह नवीन योजना बारहवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ की गई है। वातावरण में आ रहे बदलावों को दृष्टिगत रखते हुए जलवायु परिवर्तन के कारण मरु प्रसार की अभिवृद्धि को रोकने हेतु मरुस्थलीय जिलों में टिब्बा स्थिरीकरण तथा ... शेल्टर बेल्ट के कार्य करवाये जा रहे हैं। वर्ष 2012-13 में 1746 हैक्टेयर में ₹ 4.62 करोड़ की लागत से अग्रिम मृदा कार्य करवाये जा रहे हैं।

• साझा वन प्रबंध की सुदृढ़ीकरण योजना

वनों की सुरक्षा एवं प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की सक्रिय सहभागिता लेने हेतु साझा वन प्रबंध का क्रियान्वयन राज्य में 15 मार्च, 1991 के राज्यादेश से प्रारम्भ कर दिया गया था तथा वर्तमान में वन क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए 17.10.2000 व संरक्षित वन क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए 24.10.2002 के राज्यादेशों के अनुरूप साझा वन प्रबंध की संकल्पना की क्रियान्विति की जा रही है। राज्य में 5396 ग्राम वन सुरक्षा समितियां गठित हैं जो लगभग 9.13 लाख हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र का प्रबंधन कर रही हैं। इन ग्राम वन प्रबन्ध सुरक्षा समितियों के सुदृढ़ीकरण के लिए चालू वर्ष में ₹ 20.00 लाख व्यय किये जायेंगे। यह नवीन योजना भी बारहवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ की गई है।

• अनुसंधान एवं प्रशिक्षण

वन अनुसंधान को और गति प्रदान करने की दृष्टि से यह नवीन योजना बारहवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ की गई है। वानिकी क्षेत्र में नई वैज्ञानिक तकनीकों के अनुसंधान तथा कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु इस वर्ष ₹ 34.00 लाख व्यय किये जायेंगे।

❁ भाखड़ा व गंगनहर वृक्षारोपण

(Bhakhra & Gang Canal Plantation)

प्रदेश के थार मरुस्थल को हरा-भरा बनाने एवं आम जनता को बार-बार पड़ने वाले अकाल से राहत दिलाने वाले तत्कालीन बीकानेर रियासत के महाराजा गंगासिंह ने 1922 में सतलज नदी का पानी राज्य में लाने के उद्देश्य से एक नहर प्रणाली विकसित की, जिसे 'गंग नहर' कहा गया जो वर्तमान में 'बीकानेर नहर' कहलाती है। इस नहर की सभी शाखाओं एवं वितरिकाओं सहित प्रदेश में कुल लम्बाई 1153 किलोमीटर है। इसी प्रकार भाखड़ा नहर, भाखड़ा नांगल बांध से निकलकर आती है जिससे हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर जिलों के 9,20,000 एकड़ क्षेत्र भू-भाग की सिंचाई होती है। दोनों नहरों के किनारे 2.2 लाख परिपक्व वृक्ष थे जिनके विदोहन का कार्य वन विभाग को सौंपा गया था।

इन दोनों नहरों के किनारों के वृक्षारोपण परिपक्व होने के कारण विदोहन कर लिया गया था। अतः नहरों

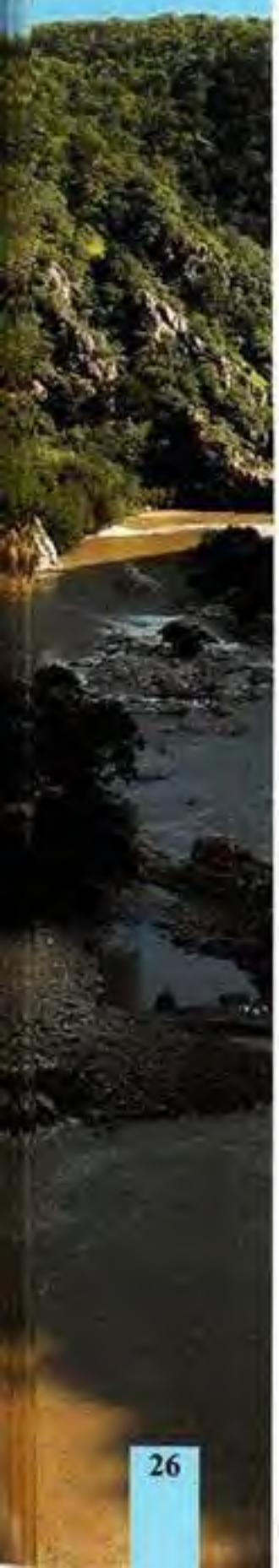

को मिट्टी के भराव से बचाने तथा क्षेत्र की मृदा व पारिस्थितिकी में वांछित सुधार के लिए पुनरारोपण कार्य किया जाना अत्यन्त आवश्यक हो गया था। पुनर्वनारोपण के लिए राज्य के जल संसाधन विभाग द्वारा वित्त उपलब्ध कराया गया है। भाखड़ा नहर का कार्य वन मण्डल हनुमानगढ़ व गंगनहर का कार्य वन मण्डल गंगानगर सम्पादित कर रहा है।

भाखड़ा नहर के दोनों ओर इस वर्ष ₹ 222.81 लाख व्यय किए जाकर 500 रो किमी. वृक्षारोपण कार्य कराया जाना है जिसमें से माह दिसम्बर, 2012 तक ₹ 93.93 लाख व्यय किए जाकर 315 रो किमी. कार्य पूर्ण कराया जा चुका है, शेष कार्य प्रगति पर है।

गंगनहर के दोनों ओर इस वर्ष ₹ 318.73 लाख व्यय किए जाकर 700 रो किमी. वृक्षारोपण कार्य कराए जाने हैं। माह दिसम्बर, 2012 तक ₹ 189.97 लाख व्यय किए जाकर 710 रो किमी. वृक्षारोपण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।

❁ राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ने वानिकी गतिविधियों के सरलीकरण एवं उनके क्रियान्वयन में जन सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से दसवीं पंचवर्षीय योजना में चार केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं को एक कर राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (National Afforestation Programme) योजना का सृजन किया है। योजनाओं को एक करने का उद्देश्य क्षेत्र में चल रही समान उद्देश्यों वाली कई योजनाओं को एक करना, वित्त व्यवस्था एवं लागू करने की प्रणाली में समानता लाना था।

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम वन विकास अभिकरण के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं। ये अभिकरण ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के माध्यम से कार्य कराते हैं।

राज्य में अब तक भारत सरकार से 33 वन विकास अभिकरण स्वीकृत करवाये जा चुके हैं। 9 जुलाई, 2010 से राज्य में राज्य वन विकास अभिकरण का गठन किया गया है। ये अभिकरण सोसायटी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत हैं।

अभिकरण ने वर्ष 2012-13 के लिए माह दिसम्बर, 2012 में कराए जाने वाले कार्यों के प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रेषित कर दिए हैं। इसी माह अभिकरण को ₹2004.17 लाख की वार्षिक योजना को स्वीकृति मिल चुकी है तथा ₹ 188.00 लाख की राशि रिलीज हो चुकी है। तद्नुरूप राज्य वन विकास अभिकरण के कार्य प्रगति पर हैं।

❁ नर्मदा नहर परियोजना (Narmada Canal Project)

नर्मदा नदी मध्यप्रदेश के अमरकंटक स्थान से निकलकर मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात में बहते हुए खम्भात की खाड़ी में जाकर गिरती है। इस विशाल नदी में बहकर व्यर्थ जाने वाले पानी के समुचित उपयोग हेतु सरकार द्वारा एक वृहद् सिंचाई परियोजना बनाई गई है। इस परियोजना से मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान राज्य लाभान्वित होंगे।

नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों के अनुसार राजस्थान को 0.50 एम.ए.एफ. जल प्राप्त होगा। सरदार सरोवर बांध से मुख्य नहर के जरिये यह जल राजस्थान लाया जा रहा है। मुख्य नहर राजस्थान में जालौर जिले के सांचौर तहसील के सिलू गांव में प्रवेश करती है। मुख्य नहर की राजस्थान राज्य में कुल लम्बाई 74 कि.मी. है। 0 कि.मी. से 51.425 कि.मी., 58.845 कि.मी. से 68.375 कि.मी., 70.250 कि.मी. से 74 किमी. तक की नहर जालौर जिले में तथा 51.425 किमी. से 58.845 कि.मी. व 68.375 कि.मी. से 70.250 कि.मी. तक की नहर बाड़मेर जिले में बनायी गयी है। 74 कि.मी. लम्बी मुख्य नहर एवं 1403 कि.मी. लम्बी वितरिकाओं एवं माइनर्स के द्वारा राज्य के जालौर एवं बाड़मेर जिलों में इस जल का उपयोग किया जावेगा। वर्ष 2008 के माह मार्च में मुख्य नहर में जल प्रवाह प्रारम्भ हुआ।

केन्द्रीय जल आयोग द्वारा नर्मदा नहर परियोजना की संशोधित लागत ₹ 1541.36 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 2538.37 करोड़ का अनुमोदित किया जा चुका है। संशोधित लागत में वृक्षारोपण कार्य के लिये ₹ 74.888 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इस कारण नर्मदा नहर वृक्षारोपण परियोजना वर्ष 2008-09 से वर्ष 2019-20 तक की कुल लागत राशि ₹ 74.888 करोड़ की

गई है जो राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत है। उक्त योजना के अन्तर्गत जालौर एवं बाड़मेर जिले में नर्मदा मुख्य नहर के किनारे कुल 1137 रो. किमी. में 2.47 लाख पौधों का पौधारोपण किया जा चुका है। नर्मदा मुख्य नहर पर वृक्षारोपण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं वृक्षारोपण संधारण का कार्य प्रगति पर है।

राजस्थान में नर्मदा नहर परियोजना में वितरिकाओं एवं माइनर्स की कुल लम्बाई 1400 किमी. है जिसमें 375 किमी. वितरिकायें एवं 1025 किमी. माइनर्स हैं। बाड़मेर एवं जालौर जिले में नर्मदा नहर की वितरिकाओं पर कुल 357 रो. किमी. में 89250 पौधों का पौधारोपण वर्ष 2012 की वर्षा ऋतु में किया गया है। वितरिकाओं के शेष भागों में अगले वर्ष वृक्षारोपण हेतु इस वर्ष अग्रिम कार्य प्रगति पर है। नर्मदा नहर परियोजना के अन्तर्गत माइनर्स का कार्य सिंचाई विभाग द्वारा प्रगति पर है। कार्य पूर्ण होने पर माइनर्स पर वृक्षारोपण कार्य आरम्भ किया जाएगा। नर्मदा नहर परियोजना अन्तर्गत परियोजना के आरम्भ से अब तक विभाग द्वारा कुल ₹ 955.25 लाख व्यय किए जा चुके हैं। वर्ष 2012–13 में ₹ 1460 लाख व्यय किये जायेंगे।

राष्ट्रीय बांस मिशन कार्यक्रम (National Bamboo Mission Programme)

यह योजना भारत सरकार के शत–प्रतिशत वित्तीय सहयोग से राज्य के उद्यान विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। योजनान्तर्गत वन विभाग को भी कार्य क्रियान्वयन हेतु धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। इस धनराशि से राज्य के 8 वन विकास अभिकरणों यथा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सवाईमाधोपुर, उदयपुर, बारां, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ एवं राजसमंद द्वारा निम्न चार प्रकार की गतिविधियां क्रियान्वित की जाती हैं:

1. सार्वजनिक क्षेत्र में केन्द्रीय पौधशाला;
2. किसान पौधशाला;
3. किसान प्रशिक्षण; तथा
4. क्षेत्र विस्तार (Captive Plantation)

राष्ट्रीय बैम्बू मिशन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 में ₹ 172.848 लाख व्यय किये गये हैं। चालू वर्ष में ₹ 123.00 लाख व्यय किए जाकर कैप्टिव प्लान्टेशन एवं अन्य कार्य करवाए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम, 2005 को क्रियान्वित करने के लिए दिनांक 2 फरवरी, 2006 को राज्य के 6 जिलों यथा उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ तथा करौली में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना आरम्भ की गई थी। वर्तमान में यह योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिलेवार इस योजना के लिए पर्सपेक्टिव प्लान तैयार किये गए हैं जो क्षेत्र की आवश्यकता एवं कार्य प्रस्तावों को दृष्टिगत रखते हुए समय–समय पर संशोधित किये जा सकेंगे।

विभाग द्वारा 'पर्सपेक्टिव प्लान' में अधिक से अधिक कार्य जल संग्रहण, संचयन एवं संरक्षण के प्रस्तावित किये जाने के निर्देश प्रसारित किये गए हैं।

विभाग द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं:

- कन्टूर डाईक, ग्रेडोनी, कन्टूर ट्रेंच, बॉक्स ट्रेंच, वी–डिच आदि का निर्माण;

- बांस के पौधों का कर्षण कार्य;
- वन क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध तेन्दू, सालर, खेजड़ी, शीशम आदि के वृक्षों के नीचे की ओर ट्रेंच (खाई) खोदकर पुनरुत्पादन से वृक्षों की तैयारी;
- ट्रेंचों पर बीजारोपण;
- वन क्षेत्रों में रतनजोत, कूमठा एवं अन्य उपयुक्त वृक्ष एवं घास प्रजातियों का बीजारोपण;
- प्राकृतिक पौधों के समीप औषधीय एवं आर्थिक महत्त्व की बेलों का बीजारोपण / पौधारोपण;

- विभागीय पौधशालाओं में सुधार कार्य;
- नए क्लोजर बनाना एवं इनमें सुधार कार्य;
- पुराने क्लोजर्स की दीवारों की मरम्मत व अन्य सुधार कार्य;
- पुराने वृक्षारोपणों का संधारण; तथा
- चरागाह क्षेत्रों का पुनर्विकास

महात्मा गांधी नरेगा योजना अन्तर्गत गत वित्तीय वर्ष में कुल ₹55844.07 लाख के 2990 कार्यों की वित्तीय स्वीकृति जारी हुई जिनमें से ₹ 34978.35 लाख के 2233 कार्य प्रगतिरत रहे। इन कार्यों पर 2816079 मानव दिवस सृजित किए गए थे।

चालू वर्ष में राज्य के 33 जिलों में ₹ 9625.28 लाख के 937 कार्यों की स्वीकृति जारी हो चुकी है। माह दिसम्बर, 2012 के मध्य तक 328 कार्य प्रगतिरत हो चुके हैं। इस वर्ष अब तक 624233 मानव दिवसों के रोजगार का सृजन हुआ है।

राज्य में नरेगा के आरम्भ होने अर्थात् वर्ष 2006-07 व उसके बाद चालू कार्यों की वर्षवार प्रगति निम्न सारणी में द्रष्टव्य है:

क्र. सं.	वर्ष	कार्य जिनकी वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है		चालू कार्यों की संख्या		सृजित मानव दिवस
		सं.	राशि	सं.	राशि	
1.	2006-07	662	3691.10	2	77.26	2268
2.	2007-08	1024	6719.74	62	676.15	3876
3.	2008-09	2940	18249.98	392	3451.04	211545
4.	2009-10	3280	25261.97	380	5540.36	476481
5.	2010-11	3244	44793.81	916	16164.96	1594712
6.	2011-12	2990	55844.07	941	17933.21	2816079
7.	2012-13	937	9625.28	353	2742.90	624233
	कुल	**15077**	**164185.90**	**3046**	**46585.88**	**5729194**

दीवार निर्माण

नरेगा में कराए जाने वाले कार्यों को स्थाई महत्त्व का बनाए जाने के उद्देश्य से वर्ष 2010-11 की वार्षिक योजना में वन संरक्षण एवं ईको रेस्टोरेशन के अन्तर्गत पक्की दीवारों के कार्य सम्मिलित करने के लिए सभी मुख्य वन संरक्षकों को निर्देशित किया गया था। पक्की दीवार के निर्माण से न केवल वन सीमाओं की सुरक्षा ही होगी अपितु दीवारें वन भूमि पर विद्यमान वनस्पति के पुनरुत्थान हेतु भी

वृक्षारोपण से विकसित वन क्षेत्र

छाया : के. आर. काल

आवश्यक है। योजना अन्तर्गत वर्ष 2010-11 में 205.32 किमी. दीवार निर्माण की स्वीकृति जारी हुई थी तथा वर्ष 2011-12 में 905.94 किमी. की स्वीकृति जारी हुई थी। चालू वर्ष 2012-13 में 81.55 किमी. दीवार निर्माण की स्वीकृति जारी हुई है। कुल मिलाकर इस योजनान्तर्गत 15 जनवरी, 2013 तक 892 किमी. दीवार का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है।

• गूग्गल संरक्षण एवं विकास परियोजना

गूग्गल प्रदेश की एक मुख्य औषधीय प्रजाति है। राजस्थान में गूग्गल के संरक्षण व विकास के लिए केन्द्रीय औषधी पादप मण्डल के वित्तीय सहयोग से एक परियोजना 2008-09 से आरम्भ की गई है। इस परियोजना की कुल लागत ₹ 679.00 लाख है। इसमें से प्रथम चरण में ₹ 210.00 लाख मण्डल से प्राप्त हो गए हैं। परियोजना अन्तर्गत वर्ष 2008-09 में ₹ 106.54 लाख एवं वर्ष 2009-10 में ₹ 89.91 लाख व्यय किये गये हैं। इस प्रकार इस परियोजना में ₹ 210 लाख के विरुद्ध ₹ 196.45 लाख व्यय होने पर बकाया राशि ₹ 13.55 लाख की मांग वर्ष 2010-11 में बजट प्रावधान में की गई।

गूग्गल के संरक्षण एवं विकास के लिये परियोजना के द्वितीय चरण हेतु ₹ 210.95 लाख की राशि मण्डल से प्राप्त हुई थी। वित्तीय वर्ष 2010-11 में परियोजना अन्तर्गत 950 हैक्टेयर का कार्य कराने हेतु ₹ 169.728 लाख आवंटित किये गये हैं। इसके साथ ही वर्ष 2009-10 में 500 हैक्टेयर क्षेत्र में गूग्गल के पौधों के किये गये वृक्षारोपण का संरक्षण भी किया गया। इस प्रकार कुल ₹ 224.50 लाख के विरुद्ध ₹ 195.917 लाख व्यय हुए।

वर्ष 2011-12 हेतु गूग्गल के संरक्षण एवं विकास के लिए परियोजना के तृतीय चरण हेतु ₹ 209.46 लाख की राशि प्राप्त हुई है। वित्तीय वर्ष 2011-12 में परियोजना अन्तर्गत 950 हैक्टेयर का कार्य कराने हेतु ₹ 117.965 लाख आवंटित किये गये एवं वर्ष 2009-10 में 500 हैक्टेयर क्षेत्र में हुए वृक्षारोपण के संरक्षण हेतु ₹ 5.490 लाख का आवंटन किया गया है। इसके साथ ही (वेजरेट ₹ 100 के स्थान पर ₹ 135 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन होने पर) वर्ष 2010-11 में कराये गये अग्रिम कार्य का अन्तर ₹ 50.620 लाख का आवंटन किया गया है।

वर्ष 2012-13 में छः जिलों के 950 हैक्टेयर क्षेत्र में गूग्गल के पौधों के संरक्षण हेतु निम्न राशि आवंटित की गई है:-

क्र. सं.	वन मण्डल	क्षेत्रफल (है. में)	वित्तीय (राशि लाखों ₹ में)
1.	जालौर	100	3.37
2.	पाली	250	8.42
3.	राजसमंद	100	3.37
4.	सिरोही	100	3.37
5.	उदयपुर (उत्तर)	200	6.74
6.	उदयपुर (दक्षिण)	100	3.37
7.	अलवर	100	3.37
	योग	**950**	**32.01**

• **गूग्गल के संरक्षित क्षेत्रों का सृजन** :- जोधपुर व बाड़मेर जिलों में गूग्गल के संरक्षित क्षेत्र सृजित किए जा रहे हैं।

• **गूग्गल के पौधों का वितरण** :- आम जनता में वितरण हेतु राज्य की 32 पौधशालाओं में 4.01 लाख पौधे गूग्गल के तैयार किए जा रहे हैं।

• **नवीन परियोजना** :- विश्व में किए गए सर्वेक्षण के आंकड़ों से ज्ञात हुआ है कि फूलदार पौधों की 4,22,000 प्रजातियों में से 50,000 प्रजातियां औषधीय पादप हैं। इसी प्रकार देश में पाई जाने वाली 20,000 फूलदार प्रजातियों में से 3,000 औषधीय पादप हैं। प्रदेश के उदयपुर संभाग के वनों में भी अनेक प्रकार के औषधीय पादप हैं। सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि 33 प्रजातियां ऐसी हैं जिनकी व्यापारिक मांग अत्यधिक है। अतः उदयपुर क्षेत्र की संकटापन्न/लुप्त औषधीय पौधों के संरक्षण एवं विकास हेतु वन विभाग द्वारा एक परियोजना बनाई जाकर स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित की गई, जिसकी राष्ट्रीय औषधीय पादप मण्डल नई दिल्ली से ₹ 723.13 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। इस योजना के अन्तर्गत आगे बताये कार्य करवाये जाने प्रस्तावित थे :-

मधुमेह रोग में उपयोगी
प्रमुख औषधीय पादप गुड़मार *(Gysnema silvestare)*

संकटापन्न/लुप्त प्रायः औषधीय पौधों की कृषि, वृक्षों के साथ-साथ झाड़ियां व बेलों का संवर्धन, आदिवासियों को शीघ्र लाभ देने के लिए औषधीय पौधों की उपलब्धता बढ़ाने, शोध एवं शिक्षण, आजीविका एवं रोजगार सृजन, सटीक संसाधन सूची तैयार करना, पौधों के अंगों का सतत संकलन सुनिश्चित करना तथा तकनीक ज्ञान में वृद्धि करना आदि-आदि। यह परियोजना वर्ष 2010 से 2015 अर्थात् 5 वर्षों के लिए बनाई गई है। परियोजनान्तर्गत 900 हैक्टेयर वन क्षेत्र विकसित किया जा रहा है।

प्रथम किस्त के रूप में वर्ष 2010-11 के लिए ₹ 300 लाख आवंटित हुए थे जिसमें से ₹ 301.599 लाख की राशि व्यय हो चुकी है। भारत सरकार से द्वितीय किस्त के रूप में ₹ 185.25 लाख वर्ष 2011-12 हेतु आवंटित हुए हैं। कार्य प्रगति पर है।

उदयपुर संभाग में निम्न मेडिसिनल प्लान्ट्स तैयार किये जा रहे हैं :-

अरीठा, अर्जुन, बहेड़ा, बेल, बीजा साल, चिरौंजी, हरड़, महुआ, मौलश्री, पैडल, सूनाग, अरनी, चिरमी, गिलोय, गूग्गल, हड्डीजोड़, जीवन्ती, किलीहरी, मालकांगनी, शिकाकाई, सिन्दूरी, मूसली, अलोयवेरा, करंज इत्यादि। वर्ष 2012-13 वन विकास अभिकरण, उदयपुर एवं प्रतापगढ़ में दो प्रोजेक्ट के प्रस्ताव नैशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड, दिल्ली से क्रमश: ₹ 574.53 लाख 1000 हैक्टेयर कार्य एवं ₹ 344.71 लाख 650 हैक्टेयर में कार्य स्वीकृति जारी की जा चुकी है जिसमें वर्ष 2012-13 वन विकास अभिकरण, उदयपुर हेतु ₹ 229.81 तथा वन विकास अभिकरण, प्रतापगढ़ हेतु ₹ 137 लाख की राशि आवंटित की जा चुकी है तथा कार्य प्रगति पर है।

इंदिरा गांधी परियोजना

इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वितीय चरण क्षेत्र में पर्यावरण सुधार हेतु वृक्षारोपण करवाये गये हैं। वृक्षारोपण कार्य मुख्यतया विश्राम गृह, हैड वर्क्स स्थल, स्कूल बिल्डिंग्स एवं गांवों के पास करवाये गये हैं। वृक्षारोपण में मुख्यतया नीम, पीपल एवं अन्य छायादार पेड़ रोपित किये गये हैं।

इंदिरा गांधी नहर परियोजना में पुनः वृक्षारोपण कार्यक्रम में दिसम्बर, 2012 तक किए गए वृक्षारोपण कार्यक्रम का विवरण निम्नानुसार है :-

कृषि वानिकी :

नर्सरियों में स्थानीय निवासियों को अपनी कृषि एवं अन्य निजी भूमि पर पेड़ लगाने के लिए पौधे तैयार कर उपलब्ध करवाये जाते हैं। निजी व्यक्तियों के अलावा सरकारी कार्यालय परिसर, स्कूल परिसर आदि में पेड़

प्रमुख औषधीय पौधा शिवलिंगी का फल

...के लिए पौधे उपलब्ध करवाये जाते हैं। वर्ष 2011-12 में 8.35 लाख लक्ष्य के विरुद्ध 7.48 लाख ...वितरित किये गये एवं वर्ष 2012-13 में 23.33 ...लक्ष्य के विरुद्ध 18.37 लाख पौधे माह दिसम्बर, 2012 तक वितरित किये गये।

1.	नहर किनारे वृक्षारोपण	6940.83
2.	सड़क किनारे वृक्षारोपण	-
3.	आबादी/गंवाई ईंधन वृक्षारोपण	2769.5
4.	टिब्बा स्थिरीकरण	-
5.	चरागाह विकास	-
6.	सघन/ऊर्जा वृक्षारोपण	-
	योग	9710.00

इं.गां.न.प. क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व कम होने एवं ...भौगोलिक परिस्थितियां होने की वजह से साझा ...प्रबन्ध कार्यक्रम को क्रियान्वित करना आसान काम ...है तथापि अब तक 413 ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध ...समितियां गठित की जा चुकी हैं।

आदेशिक सेना की पर्यावरण इकाई द्वारा वृक्षारोपण :

इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वितीय चरण क्षेत्र में आदेशिक सेना की पर्यावरण इकाई (Eco Task Force) द्वारा भी वृक्षारोपण कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं। वर्ष 2007-08 में 600 हैक्टेयर में वृक्षारोपण करवाया गया है एवं पुराने वर्षों में किये गये 760 हैक्टेयर वृक्षारोपण का संधारण कार्य किया जा रहा है।

विदोहन एवं पुनःवृक्षारोपण :

इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में लगभग 145000 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण करवाये गये थे जो परिपक्व स्थिति में हैं। नहर के किनारे एवं आबादी वृक्षारोपण क्षेत्रों से लगभग 24000 हैक्टेयर क्षमता में वृक्षारोपण विदोहन हेतु 10 वर्ष की कार्य योजना बनाई गई है। वृक्षारोपणों से विदोहन का कार्य वर्ष 2000 से शुरू किया गया। पुराने वृक्षारोपणों का विदोहन कार्य निगम की स्टेट ट्रेडिंग शाखा द्वारा सम्पादित करवाया जा रहा है। विदोहन किये क्षेत्र में पुनः वृक्षारोपण करवाया जा रहा है। अब तक पुनः वृक्षारोपण किये गये कार्य का विवरण वर्षवार निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	वर्ष	क्षेत्रफल जिसमें पुनः वृक्षारोपण कार्य करवाया गया (हैक्टेयर में)
1.	2000-01	265
2.	2001-02	518
3.	2002-03	821
4.	2003-04	984
5.	2004-05	1055
6.	2005-06	908
7.	2006-07	815
8.	2007-08	1045
9.	2008-09	436.83
10.	2009-10	445
11.	2010-11	376
12.	2011-12	701.50
13.	2012-13 तक	1023
	योग	9400.33

पुनः वृक्षारोपण में मुख्यतया शीशम, देशी बबूल, सफेदा, अरडू, खेजड़ी, झींझा के पौधे लगाये गये हैं। वृक्षारोपणों के परिणाम उच्च कोटि के हैं।

छाया : महेन्द्र कुमार सक्सेना

अपररिच पर कंटूर स्टेगर्ड ट्रेंच पर बुवाई के परिणाम

मरु प्रसार रोकथाम कार्यक्रम

मरु प्रसार रोकथाम कार्यक्रम के अन्तर्गत इस संभाग के बीकानेर एवं चूरू वन मण्डलों में विकास कार्य करवाया जा रहा है :-

उपलब्धि (दिसम्बर, 2012 तक)

क्र.सं.	चरण संख्या	वृक्षारोपण (हैक्टेयर में)	व्यय राशि (लाखों में)
वन मण्डल बीकानेर			
1.	प्रथम	5508	1959.04
2.	द्वितीय	2085	764.60
3.	तृतीय	2134	210.81
4.	चतुर्थ	2349	295.35
5.	पंचम	1594	75.91
6.	षष्टम	2403	1099.29
7.	सप्तम	3079	1401.03
8.	अष्टम	3084.8	1526.45
	योग	22236.8	7332.75

राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना

राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजनान्तर्गत राज्य की छः झीलों पर संरक्षण कार्य किए जा रहे हैं। ये झीलें हैं- आनासागर अजमेर, पुष्कर सरोवर, नक्की झील, माउण्ट आबू, पिछोला एवं फतेह सागर, उदयपुर। इन झीलों के आवाह क्षेत्र को उपचारित करने का कार्य वन विभाग को सौंपा गया है। इनमें से आनासागर व पुष्कर सरोवर के आवाह क्षेत्र के उपचार का कार्य वन मण्डल, अजमेर द्वारा करवाया जा रहा है। उपचार कार्यों में वृक्षारोपण, चैकडेम, गैबियन स्ट्रक्चर, पक्की दीवार निर्माण कार्य व झील के फ्रिंज एरिया में पौधा रोपण कार्य सम्मिलित है।

आनासागर झील जल ग्रहण क्षेत्र : इस झील के जल ग्रहण क्षेत्र में संशोधित लक्ष्यों के अनुसार 206 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण, 120 हैक्टेयर क्षेत्र में क्लोजर कार्य, 31 पक्के चैकडेम तथा 400 पौधे झील के किनारे लगाने का लक्ष्य था। लक्ष्य के विरुद्ध ₹ 125.84 लाख का वित्तीय लक्ष्य भी निर्धारित किया गया था।

पिछोला झील जलग्रहण क्षेत्र : इस वन मण्डल अधीन राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना अन्तर्गत पिछोला झील के संरक्षण हेतु मुख्य रूप से तीन प्रकार की गतिविधियां सम्पादित की जा रही हैं जो निम्नानुसार हैं -

1. पिछोला झील के फ्रिंज एरिया का सौन्दर्यीकरण एवं हरितिमा।
2. पिछोला झील के कैचमेंट एरिया में वृक्षारोपण कार्य।
3. पिछोला झील के कैचमेंट एरिया में जल एवं मृदा संरक्षण कार्य।

1. पिछोला झील के फ्रिंज एरिया का सौन्दर्यीकरण एवं हरितिमा कार्य

पिछोला झील के फ्रिंज एरिया के सौन्दर्यीकरण एवं हरितिमा हेतु 192 हैक्टेयर क्षेत्र का चयन किया गया। इसके तहत वर्ष 2010 में 26500 बड़े पौधे लगाये गये एवं कैज्यूअल्टी रिप्लेसमेंट का कार्य वर्ष 2011 में किया गया। वर्तमान में पौधों की जीवितता 85 से 90 प्रतिशत तक है।

पिछोला झील के फ्रिंज एरिया क्षेत्र में जंगल सफारी पार्क को विकसित किया गया है, जो कि उदयपुर शहर से मात्र 10 किमी. की दूरी पर स्थित है। जहां से पिछोला झील का अत्यन्त मनोरम दृश्य दिखाई देता है। यहां 5000 बड़े पौधे लगाये गये हैं। यहां आने वाले आगन्तुकों को प्राकृतिक माहौल प्रदान करने की दृष्टि से नेचर ट्रेल एवं उनके बैठने की व्यवस्था भी विकसित की गई है। इस सुरम्य स्थल से प्रकृति के साथ-साथ विभिन्न प्रजातियों के दुर्लभ पक्षियों व अन्य जीवों को भी देखा जा सकता है। झीलों की नगरी में आने वाले पर्यटकों एवं शहरवासियों को नैसर्गिक सौन्दर्य से ओतप्रोत कराने हेतु विकसित इस स्थल का उद्घाटन पर्यटन, कला एवं संस्कृति, महिला एवं बाल विकास एवं वन मंत्री, माननीया श्रीमती बीना काक, राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 25 मई, 2012 को किया गया। **इस क्षेत्र को पॉलीथीन फ्री जोन घोषित किया गया है।**

2. पिछोला झील के कैचमेंट एरिया में वृक्षारोपण कार्य

पिछोला झील के कैचमेंट एरिया में वृक्षारोपण कार्य

कुल 13 कार्य स्थलों का चयन किया गया है। ...सी.पी. की डी.पी.आर. में प्रस्तावित 127000 ...के लक्ष्य के विरुद्ध उक्त कार्यस्थलों पर वर्ष 2011 में 203200 पौधे लगाये गये हैं। तकनीकी दृष्टि से 5 से 8 फीट ऊंचाई के पौधे लगाये गये हैं।

2. पिछोला झील के कैचमेंट एरिया में जल एवं मृदा संरक्षण कार्य

पिछोला झील के कैचमेंट एरिया में आने वाले नदी/नालों से झील में आने वाली मिट्टी को रोकने हेतु ...लाइन ट्रीटमेंट का कार्य कराया गया है। इस हेतु ...वन खण्ड यथा-उन्दरी पोपल्टी, हरणिया मय ...ल, छोटा घाटा एवं मोटा घाटा का चयन किया ...है। झील के बहाव क्षेत्र में आने वाले नदी/नालों में ...स्टोन चैकडेम, सेण्डवीच चैकडेम, गैबियन ...क्चर, सिल्ट रिटेंशन स्ट्रक्चर का कार्य कराया गया ...

दिनांक 12.8.11 को आयोजित वन महोत्सव से ...राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के तहत कराये जा ...विकास कार्यों के प्रति जागृति हेतु माननीय जिला ...उप जिला प्रमुख एवं जिला परिषद् सदस्यों द्वारा ...सेक्टर ए व बी, नादरा एवं कालकामाता नर्सरी का ...किया गया एवं वन विभाग द्वारा कराये जा रहे ...की प्रशंसा की।

उपरोक्त लक्ष्यों के विरुद्ध दिसम्बर, 2012 तक ...हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य कर ₹ 56.82 ...का व्यय, 120 हैक्टेयर क्षेत्र के क्लोजर में से ...हैक्टेयर क्षेत्र में क्लोजर का कार्य करवाया जाकर ...23 लाख का व्यय, 31 पक्के चैकडेम का निर्माण ...कर ₹ 6.82 लाख का व्यय तथा फ्रिंज एरिया क्षेत्र ...400 पौधे रोपित किये जाकर ₹ 1.19 लाख का ...किया जा चुका है। उक्त झील क्षेत्र में ₹ 125.84 ...के विरुद्ध दिसम्बर, 2012 तक ₹ 73.06 लाख ...व्यय किया जा चुका है। 70 हैक्टेयर क्लोजर क्षेत्र में ...कराया जाना सम्भव नहीं होने की स्थिति में ...34.81 लाख का वित्तीय लक्ष्य समर्पित किया गया ...योजना में शेष रहे कार्यों की उपलब्धि वित्तीय वर्ष 2012-13 में उपलब्ध बजट प्रावधान से सम्पूर्ण कर ...जावेगी।

पुष्कर झील जलग्रहण क्षेत्र :- इस झील के जलग्रहण क्षेत्र में संशोधित लक्ष्यों के अनुसार टिब्बा स्थिरीकरण हेतु 235 हैक्टेयर क्षेत्र में तथा नंगी पहाड़ियों पर नमी संरक्षण हेतु 170 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कराये जाने का लक्ष्य था, जो दिसम्बर, 2012 तक पूर्ण किया जाकर इस पर क्रमश: ₹ 44.25 एवं ₹ 34.97 लाख की राशि व्यय की गई। इसके अतिरिक्त 1000 रनिंग मीटर सड़क किनारे वृक्षारोपण एवं संशोधित 260 गैबियन संरचनाओं का निर्माण भी किया जाना था जिसके विरुद्ध दिसम्बर, 2012 तक 1000 रनिंग मीटर सड़क किनारे वृक्षारोपण का लक्ष्य पूर्ण कर इस पर ₹ 0.64 लाख का व्यय किया जा चुका है। 260 गैबियन संरचनाओं के निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध दिसम्बर, 2012 तक 217 गैबियन संरचनाओं का निर्माण कर ₹ 225.79 लाख का व्यय किया जा चुका है। अवशेष गैबियन संरचनाओं का कार्य प्रगतिरत है। उपरोक्त के अतिरिक्त इस परियोजना के अन्तर्गत 1805 रनिंग मीटर पक्की दीवार निर्माण का कार्य, 6000 रनिंग मीटर सूखे पत्थर की दीवार चुनाई का कार्य, 2511 घन मीटर चैकडेम निर्माण का कार्य, सिविल कल्चरल ऑपरेशन हेतु 30000 नोचेस का कार्य, नर्सरी विकास का कार्य तथा सावित्री फीडर में 2000 पौधे रोपित करने का कार्य दिसम्बर, 2012 तक सम्पन्न किया गया है जिस पर ₹ 31.99 लाख का व्यय किया जा चुका है। इस प्रकार उक्त झील परियोजना में संशोधित लक्ष्य ₹ 386.25 लाख निर्धारित किया गया था जिसमें से दिसम्बर, 2012 तक ₹ 337.64 लाख का व्यय किया जा चुका है। कुछ कार्य पूर्ण होने से परियोजनान्तर्गत ₹ 35.41 लाख का बजट समर्पित किया गया। परियोजना में शेष रहे कार्यों की उपलब्धि वित्तीय वर्ष 2012-13 में उपलब्ध बजट प्रावधान से सम्पूर्ण कर ली जावेगी।

❁ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

प्रदेश में रियासत काल में कतिपय क्षेत्र घास-बीड़ के नाम से आरक्षित किए गए थे जहां घास का उत्पादन व संग्रहण होता था। स्वतंत्रता के पश्चात् ये घास बीड़ वन विभाग को हस्तान्तरित हो गए। इन घास बीड़ों पर विलायती बबूल (प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा) तथा लैन्टाना का कचरा बड़े पैमाने पर उग आया। इससे इन बीड़ों से घास

की उत्पादकता गिर गई। विभाग के पास पर्याप्त वित्त नहीं होने के कारण ये बीड़ सही प्रकार से प्रबन्धित नहीं हो सके और इन घास-बीड़ों से कृषकों की आवश्यकतानुसार घास का उत्पादन सम्भव नहीं रहा। इसी प्रकार पश्चिमी राजस्थान के विशाल मरुस्थलीय क्षेत्र से पूर्व में वर्ष पर्यन्त सेवन घास का उत्पादन होता था। मरुस्थलीय क्षेत्रों में ऐसे घास उत्पादक क्षेत्र जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर व बीकानेर आदि जिलों में टुकड़ों के रूप में फैले हुए हैं। बाद में इन क्षेत्रों में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना आने के कारण इन क्षेत्रों का पारिस्थितिकी तंत्र बदल गया और घास की प्रजातियां गायब हो गईं।

कृषकों की घास की मांग की आपूर्ति करने के लिए घास उत्पादक क्षेत्रों का जीर्णोद्धार आवश्यक हो गया है। राज्य सरकार ने इस कार्य का दायित्व वन विभाग को सौंपा कि विभाग मरुस्थलीय क्षेत्रों में तृण भूमि का विकास करें ताकि गांवों में चारे की पर्याप्त आपूर्ति हो सके साथ ही साथ मरुस्थलीय जिलों से राज्य के पूर्वी भागों व अन्य निकटवर्ती राज्यों जैसे मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र आदि के पशुधन का आव्रजन नहीं हो।

अतः घास बीड़ों के सुधार के लिए एक पंचवर्षीय योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित की गई।

योजना के प्रमुख उद्देश्य

- मरुस्थलीय जिलों के राज्य वन विभाग के नियंत्रण वाली तृण भूमियों में सिल्वी पैस्ट्रोल मॉडल अपनाया जाकर उत्पादन बढ़ाना,
- साझा वन प्रबन्ध के माध्यम से गाँव के कृषकों को इतना सशक्त बनाना ताकि वे इन तृण भूमियों का प्रबन्धन कर सकें,
- अकाल की समस्या के स्थाई समाधान के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्थाई चारा बैंकों का सृजन,
- पश्चिमी राजस्थान के तृणभूमियों का विकास कर पशुओं का आव्रजन रोकना, तथा
- आजीविका अर्जन के वैकल्पिक स्रोतों से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों का उन्नयन व रोजगार सृजन।

क्षेत्र- इस परियोजना के प्रथम चरण में राज्य के पश्चिमी जिलों हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, पाली तथा जालोर में आगामी पाँच वर्षों में 10,000 हैक्टेयर तृण-भूमि उपचारित की जाएगी। आगामी चरण की योजना का विस्तार किया जा सकता है।

प्रविधि- इन छः जिलों में उन भूखण्डों को चिह्नित किया जाएगा जिन्हें पूर्व में घास उत्पादन की दृष्टि से विकसित किया गया था। यदि इनमें विदेशी वनस्पति प्रजातियां बहुतायत से उग आई हों तो उन्हें हटाया जाएगा। इस तरह से सफाई का कार्य खुली निविदाएं आमंत्रित करके अथवा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कार्यक्रम में स्थानीय श्रमिक लगाकर करवाया जाएगा। ऐसी निम्न गुणवत्ता की वनस्पति मानवीय प्रयासों से जड़ सहित निकाली जाएगी तथा उसका निस्तारण किया जाएगा। इसके पश्चात् इस क्षेत्र का विकास सिल्वी पैस्ट्रोल मॉडल तकनीक से किया जाएगा। ऐसे क्षेत्रों के दीर्घावधि प्रबन्ध को सुचारु रूप से करने के लिए साझा वन प्रबन्ध के अन्तर्गत स्थानीय ग्रामीणों की समितियां गठित की जाएंगी और उन्हें इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाएगा कि वे आरम्भ से ही तृण-भूमि का उचित प्रबन्धन कर सके। ग्रामीणों को घास काट कर ले जाने की अनुमति होगी। बड़े वृक्षों से पत्तियों का चारा वैज्ञानिक विधि से इस प्रकार काटा जाएगा ताकि वे भविष्य में निरन्तर उपज देते रहे।

योजनान्तर्गत इस वर्ष के लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ इस प्रकार है :-

क्र.सं.	नाम जिला	लक्ष्य					उपलब्धि				
		अग्रिम कार्य	वृक्षारोपण	संधारण प्रथम वर्ष	संधारण द्वितीय वर्ष	संधारण तृतीय वर्ष	अग्रिम कार्य	वृक्षारोपण	संधारण प्रथम वर्ष	संधारण द्वितीय वर्ष	संधारण तृतीय वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	जोधपुर	0	0	240	850	0	0	0	240	850	0
2.	पाली	0	0	150	690	110	0	0	150	690	110
3.	जालौर	0	0	50	450	0	0	0	50	450	0
4.	डी.डी.पी. जैसलमेर	0	0	900	850	210	0	0	900	850	210
5.	सिरोही	174	474	116	0	0	79	379	116	0	0
6.	गंगानगर	0	0	700	700	0	0	0	700	700	0
7.	हनुमानगढ़	0	0	700	620	80	0	0	700	620	80
8.	डी.एन.पी. जैसलमेर	0	0	500	0	0	0	0	500	0	0
	योग	**174**	**474**	**3356**	**4160**	**400**	**79**	**379**	**3356**	**4160**	**400**

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में कुल ₹ 1587.33 लाख की राशि आवंटित की गई थी जिसमें से मार्च, 2012 तक कुल ₹ 1520.29 लाख व्यय किए जा चुके थे। चालू वर्ष 2012-13 में इस योजना में ₹ 200.00 लाख की राशि आवंटित की गई है जिसमें से माह दिसम्बर, 2012 तक ₹ 187.70 लाख व्यय किए जा चुके हैं।

राज्य सरकार ने Biomass Gassifier Plant विद्युत उत्पादन हेतु निजी क्षेत्र को दिया है। उन्हें इस हेतु ईंधन उपलब्ध कराने के लिए अब घास बीड़ों से विलायती बबूल का उन्मूलन नीलामी से न कर बिजली कम्पनियों को उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है जो बीड़ों से खड़े विलायती बबूल को यांत्रिक साधनों से उखाड़ेगा। ऐसी विलायती बबूल को इस वन उपज के बदले ₹ 720 प्रति टन सरकारी खजाने में जमा कराने होंगे। विलायती बबूल उखाड़ने व परिवहन में लगी सम्पूर्ण लागत सम्बन्धित कम्पनी को वहन करनी होगी। तत्पश्चात ऐसी घास बीड़ों पर चरागाह विकास रा.कृ.वि. योजना एवं अन्य योजना से ही किया जा सकता है।

जे.डी.ए. द्वारा वित्त पोषित

जयपुर विकास प्राधिकरण के सहयोग से विकसित स्मृति वन, जयपुर के संधारण के लिए प्राधिकरण से इस वर्ष ₹ 49.50 लाख उपलब्ध कराए हैं। राज्य सरकार द्वारा ₹ 25 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई है। उद्यान में वाकिंग ट्रेक के सुधार के लिए कैम्पा मद में ₹ 10 लाख आवंटित किए गए हैं।

यहाँ यह उल्लेख किया जाना प्रासंगिक है कि विभाग द्वारा जन सहयोग से बड़े पैमाने पर किए ग… विकास कार्यों का ही परिणाम है कि वन स्थिति रिपोर्ट वर्ष 2009 में बताए गए वनावरण के सापेक्ष वर्ष 201… में राज्य के कुल वनावरण में 51 वर्ग किमी. की वृद्धि आकलित की गई है।

अरण्य भवन निर्माण

वन विभाग का जयपुर स्थित मुख्यालय कृषि भवन … स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के मुख्यालय के निकट वानिकी पथ पर वर्ष 1979 में निर्मित किया गया था। मुख्यालय का भवन तत्समय मात्र 20 से 25 अधिकारियों के उपयोग हेतु ही निर्मित किया गया था। समय के साथ-साथ विभाग की जिम्मेदारियां व्यापक रूप से बढ़ी हैं तथा अधिकारियों एवं उनके सम्बन्धित कार्यालयों में भी वृद्धि हुई है। अत: नवीन अरण्य भवन निर्माण की आधारशिला माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री द्वारा दिनांक 29.7.2012 को रखी गई है। इस नये भवन की कुल लागत ₹ 30 करोड़ आयेगी। भवन निर्माण हेतु राज्य सरकार से प्राप्त धनराशि को कैम्पा फण्ड की राशि के ब्याज से पांच वर्ष में लौटाई जायेगी। भवन निर्माण कार्य आरएसआरडीसी, जयपुर के माध्यम से करवाया जा रहा है तथा इस वर्ष ₹ 10.00 करोड़ व्यय किये जायेंगे।

ooo

प्रदेश को हरा-भरा बनाने के लिए पौधारोपण

पौधारोपण के लिए जाती भावी पीढ़ी : हरित राजस्थान कार्यक्रम को गति

छाया : के. आर. काला

5

हरित राजस्थान

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम, 2005 के मुख्य उद्देश्य में से एक पर्यावरण की रक्षा करना भी है। इस महत्त्व को ध्यान में रखते हुए योजनान्तर्गत अनुमत कार्यों की सूची में सूखे से बचाव के लिए वृक्षारोपण एवं वन संरक्षण के कार्यों को जल संरक्षण एवं जल संचय के पश्चात् प्राथमिकता में दूसरे स्थान पर रखा गया है। राज्य वैसे भी लगातार अकाल की त्रासदी को झेलता रहा है। वृक्षों के अविवेकपूर्ण कटाव से जहां पर्यावरण पर विपरीत असर पड़ा है, वहीं पशु–पक्षियों के समक्ष चारे की भी समस्या उत्पन्न हुई है। राज्य में वन क्षेत्र में कमी हुई है एवं इसके कारण वर्षा की मात्रा एवं वर्षा के दिनों में भी कमी हुई है। पर्यावरण की विपरीत परिस्थितियों में सबसे ज्यादा प्रभावित ग्रामीण गरीब जनता होती है।

अतः राज्य सरकार ने वर्ष 2009–10 से 2013–14 तक के लिए एक पंचवर्षीय योजना 'हरित राजस्थान' प्रारम्भ की है। योजना का उद्देश्य राजस्थान प्रदेश को हरा–भरा बनाने के लिए जन–जन के सहयोग से वृक्षारोपण करना है। यह अत्यन्त महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना को 'नरेगा' के सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है।

यह योजना सम्पूर्ण प्रदेश में लागू की गई है। योजना के अन्तर्गत प्रदेश में वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त सभी स्थानों जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें, आवासीय क्षेत्रों तथा सरकारी एवं निजी संस्थाओं के खाली पड़े अहातों व खाली पड़े भू–खण्डों, सरकारी भूमि, वन एवं चरागाह भूमि पर वृक्षारोपण एवं चरागाह विकास किया जाएगा।

राजकीय स्तर पर नोडल विभाग के रूप में राज्य का ग्रामीण विकास विभाग इस योजना के क्रियान्वयन हेतु राशि मनरेगा एवं नगरीय विकास विभाग एवं अन्य शहरी निकाय उपलब्ध करा रहे हैं। वन विभाग योजना के लिए पौधे उपलब्ध कराने के साथ–साथ वन भूमि तथा मार्गों पर वृक्षारोपण, कलस्टर वृक्षारोपण एवं उनके रख–रखाव का कार्य कर रहा है। राज्य के अन्य विभाग अपने–अपने क्षेत्रों में उपलब्ध स्थानों पर वृक्षारोपण व उनकी देखभाल कर रहे हैं। इस योजना में अराजकीय

माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा
बालाजी मंदिर, जोधपुर में पौधारोपण

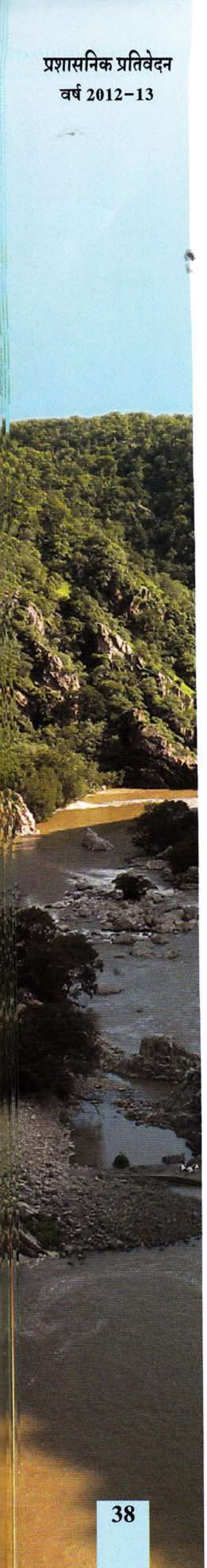

संस्थाओं को भी सहभागी बनाया गया है।

योजनान्तर्गत जिला स्तर पर सभी कार्यों के लिए जिला कलेक्टरों को उत्तरदायी बनाया गया है। कार्यक्रम का प्रबोधन राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली तथा जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समिति करेगी।

इस योजना का आगाज माननीय मुख्यमंत्री ने 18 जून, 2009 को शिक्षा संकुल परिसर, जयपुर में पौधारोपण कर किया था। इस दिन मुख्यमंत्री महोदय के साथ राज्य के सभी मंत्रियों व आगन्तुक अधिकारियों ने भी वृक्षारोपण किया था। इसके एक माह बाद 19 जुलाई, 2009 को राज्य भर में एक ही दिन वन महोत्सव आयोजित किए गए। जयपुर में राज्य के मुख्यमंत्री ने बाड़ा वाली ढ़ाणी में 60वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में पौधारोपण कर इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की।

चालू वर्ष 2012–13 के लिए वन विभाग को सभी जिलों में मार्ग वृक्षारोपण छोड़कर 41570 हैक्टेयर क्षेत्र में 68.373 लाख पौधे रोपित करने के लक्ष्य दिए गए थे जिसके विरुद्ध दिसम्बर, 2012 तक विभाग द्वारा 39871 है. क्षेत्र में 61.255 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य अर्जित कर लिया है। रोड साइड वृक्षारोपण के लिए विभाग को 975 रो. किमी. में 1.228 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य दिया गया था जिसके विरुद्ध विभाग ने दिसम्बर, 2012 तक 312 रो. किमी. में 0.985 लाख पौधे का रोपण कार्य पूर्ण कर लिया है।

वन विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों और संस्थाओं को 12116 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण (रोड साइड अतिरिक्त) कर 76.92 लाख पौधे रोपित किए जाने का लक्ष्य दिया गया था जिसके विरुद्ध अन्य विभागों ने दिसम्बर, 2012 तक 11187 हैक्टेयर क्षेत्र में 71.272 लाख पौधे रोपित करने का लक्ष्य अर्जित कर लिया है।

अन्य विभागों व संस्थाओं को रोड साइड वृक्षारोपण के लिए 346 रो. किमी. में 0.6 लाख पौधे रोपित करने का लक्ष्य दिया गया था जिसके विरुद्ध माह दिसम्बर, 2012 तक 152 रो. किमी. में 0.305 लाख पौधे रोपित करने का लक्ष्य अर्जित कर लिया गया है।

प्रदेश में क्रियान्वित किए जा रहे इस अभिनव कार्यक्रम में देश के अनेक गणमान्य राजनेता, उच्चाधिकारी व सेना भी भाग ले रही है।

हरित राजस्थान कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में मार्गों के किनारे 'रिंग–पिट' बनाए जाकर पौधारोपण का सफल कार्य किया जा रहा है। मरुस्थलीय जिलों में भी इसके सुफल प्राप्त हो रहे हैं।

संसद की वन एवं पर्यावरण पर स्थाई समिति के माननीय सदस्य माउन्ट आबू में पौधारोपण करते हुए
21 जुलाई, 2011

छाया : महेन्द्र कुमार सक्सेना

6

मृदा एवं जल संरक्षण

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय की मैक्रो मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर योजना के तहत केन्द्रीय प्रवर्तित योजनायें बाढ़ सम्भावित नदी परियोजना तथा नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत बनास एवं लूनी नदी के कैचमेंट में भू–संरक्षण कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं। ये कार्य मुख्य वन संरक्षक, बनास नदी परियोजना, जयपुर के नियंत्रण में उप वन संरक्षक (परियोजना), टोंक, वरिष्ठ योजना अनुसंधान एवं विस्तार अधिकारी, बनास नदी परियोजना, भीलवाड़ा, भू–संरक्षण अधिकारी (कृषि) बनास नदी परियोजना, सवाईमाधोपुर, भू–संरक्षण अधिकारी, लूनी नदी परियोजना, सोजत रोड, पाली द्वारा सम्पादित करवाये जाते हैं। नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत चम्बल, माही, दांतीवाड़ा, साबरमती नदी परियोजनाओं के कैचमेंट में भू–संरक्षण के कार्य सम्पादित किये जाते हैं। ये कार्य मुख्य वन संरक्षक, नदी घाटी परियोजना के नियंत्रण में उप वन संरक्षक (परियोजना), बेगूं, बांसवाड़ा एवं आबू रोड द्वारा सम्पादित किये जाते हैं।

इन योजनाओं के मुख्य उद्देश्य : जलग्रहण क्षेत्र में बहुआयामी उपचार द्वारा भूमि के अधोपतन (Degradation) को रोकने, जल ग्रहण क्षेत्रों में भूमि की योग्यता एवं नमी सोखने तथा **water holding capacity,** आर्द्रता की प्रवृत्ति को सुधारना; अनुकूल भूमि उपयोग (appropriate land use) प्रोत्साहित करना; नदी घाटी परियोजना के अन्तर्गत जलाशयों को साद से पटने से बचाने के लिए मृदा क्षरण (Soil Erosion) को रोकना। बाढ़ उन्मुख नदी परियोजना के अन्तर्गत जल प्रवाह तथा अधिकतम जल प्रवाह आयतन कम करना; जल ग्रहण क्षेत्रों के प्रबन्ध में जन भागीदारी सुनिश्चित करना तथा भूमि सुधार कार्यक्रमों के आयोजन एवं क्रियान्वयन की योग्यता विकसित करना है।

उक्त परियोजनाओं के तहत मुख्यतया चम्बल, माही, दांतीवाड़ा, साबरमती, बनास, लूणी एवं इनकी सहायक नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण हेतु कार्य

बनूआ जलग्रहण क्षेत्र में जल संरक्षण संरचना का निर्माण

छाया : महेन्द्र कुमार सक्सेना

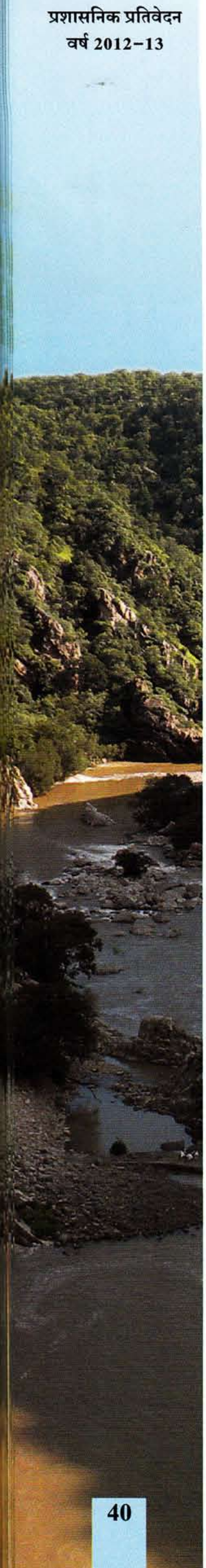

अरनूआ जलग्रहण क्षेत्र में अपर रिच स्ट्रेक्चर का निर्माण

अरनूआ जलग्रहण क्षेत्र में लोअर रिच स्ट्रेक्चर का निर्माण
छाया : महेन्द्र कुमार सक्सेना

करवाये जा रहे हैं। मृदा एवं जल संरक्षण कार्य कृषि, बंजर एवं वन भूमि पर करवाये जा रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में निर्गमित नालों का उपचार (Drainage Line Treatment) भी किया जा रहा है।

नदी घाटी परियोजनाएं

भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के तहत चम्बल, माही, दांतीवाड़ा एवं साबरमती नदी घाटी परियोजनान्तर्गत भू संरक्षण कार्य करवाने हेतु वित्तीय सहायता दी जा रही है। मैक्रो मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर स्कीम के तहत केन्द्र व राज्य सरकार की आनुपातिक हिस्सा राशि 90 एवं 10 प्रतिशत है। नदी घाटी परियोजना के अन्तर्गत (2011–12 में) जल ग्रहण क्षेत्रों में 11635 हैक्टेयर क्षेत्र भूमि का उपचार तथा 4536 संरचनाओं के निर्माण पर ₹ 1108.83 लाख व्यय किये गये हैं। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक अनुमानों में राशि ₹ 1500.00 लाख का प्रावधान विकास कार्यों हेतु स्वीकृत है जिसके विरुद्ध दिसम्बर, 2012 तक राशि ₹ 926.433 लाख आवंटित हुई है तथा 6608 हैक्टेयर ट्रीटमेंट एवं 2728 स्ट्रक्चर निर्माण का ₹ 893.467 लाख की राशि व्यय की गयी है। वर्ष 2012–13 को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का योजनावार विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :–

1. चम्बल परियोजना : चम्बल परियोजना का आवाह क्षेत्र नोन टी.एस.पी. क्षेत्र में आता है। इस परियोजना के अन्तर्गत चालू वर्ष में 14 जलग्रहण क्षेत्रों के कुल 2767 हैक्टेयर भूमि का उपचार तथा 367 संरचनाएं ₹ 449.40 लाख व्यय कर बनाए जाने का लक्ष्य था जिसमें से माह दिसम्बर, 2012 तक ₹ 247.02 लाख व्यय कर 1327 हैक्टेयर भूमि का उपचार कार्य तथा 204 संरचनाओं का निर्माण कार्य किया जा चुका है, शेष कार्य प्रगति पर है। इन विकास कार्यों से अब तक 107045 मानव दिवस सृजित हुए हैं। परियोजना क्षेत्र में उद्यानिकी एवं कृषि वानिकी योजना के अन्तर्गत अमरूद, आम, पपीता एवं आंवले के कुल 10500 पौधों का वितरण किया गया है।

2. माही परियोजना : माही परियोजना का आवाह क्षेत्र टी.एस.पी. क्षेत्र में आता है। इस परियोजना के अन्तर्गत चालू वर्ष में 11 जलग्रहण क्षेत्रों के कुल 4365 हैक्टेयर भूमि का उपचार तथा 3440 संरचनाएं ₹ 650.00 लाख व्यय कर बनाए जाने का लक्ष्य था जिसमें से माह दिसम्बर, 2012 तक ₹ 428.34 लाख व्यय कर 3444 हैक्टेयर भूमि का उपचार कार्य तथा 1874 संरचनाओं का निर्माण कार्य किया जा चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है। इन विकास कार्यों से अब तक 205809 मानव दिवस सृजित हुए हैं। परियोजना क्षेत्र में उद्यानिकी एवं कृषि वानिकी योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 के लिए पौध वितरण के लक्ष्य नहीं हैं।

3. दांतीवाड़ा परियोजना : दांतीवाड़ा परियोजना का आवाह क्षेत्र टी.एस.पी. क्षेत्र में आता है। इस परियोजना के अन्तर्गत चालू वर्ष में 07 जलग्रहण क्षेत्रों के कुल 498 हैक्टेयर भूमि का उपचार तथा 1731 संरचनाएं ₹ 205.28 लाख व्यय कर बनाए जाने का लक्ष्य था जिसमें से माह दिसम्बर, 2012 तक ₹ 80.66 लाख व्यय कर 348 हैक्टेयर भूमि का उपचार कार्य तथा 511 संरचनाओं का निर्माण कार्य किया जा चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है। परियोजना क्षेत्र में उद्यानिकी एवं कृषि वार्षिकी योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 के लिए 9250 फलदार पौधों का वितरण किया गया है।

4. साबरमती परियोजना : साबरमती परियोजना का आवाह क्षेत्र टी.एस.पी. क्षेत्र में आता है। इस परियोजना के अन्तर्गत चालू वर्ष में 05 जलग्रहण क्षेत्रों के कुल 1564 हैक्टेयर भूमि का उपचार तथा 1008 संरचनाएं ₹ 135.37 लाख व्यय कर बनाए जाने का लक्ष्य था जिसमें से माह दिसम्बर, 2012 तक ₹ 127.93 लाख व्यय कर 1489 हैक्टेयर भूमि का उपचार कार्य तथा 139 संरचनाओं का निर्माण कार्य किया जा चुका है, शेष कार्य प्रगति पर है। परियोजना क्षेत्र में उद्यानिकी एवं कृषि वानिकी योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में 23438 फलदार पौधों का वितरण किया गया है।

दांतीवाड़ा एवं साबरमती नदी परियोजना में विकास कार्यों के क्रियान्वयन में कुल 131951 मानव दिवस का सृजन हुआ है।

वर्ष 2012 वर्षा काल में परियोजना में निम्नानुसार साद स्थलों का चयन कर साद अध्ययन कार्य करवाया गया:

नाम परियोजना	साद अध्ययन हेतु चयनित स्थलों की संख्या
जम्बल	4
माही	5
दांतीवाड़ा/साबरमती	2
योग	**11**

संकलित साद आंकड़ों का कम्पाइलेशन कार्य अंतिम चरण में है एवं पी.क्यू.एस. डेटा कृषि मंत्रालय भारत सरकार को इसी माह में भिजवाया जा रहा है। इसके साथ केन्द्रीय मौसम विज्ञान विभाग, पूना में अनुबंधित दो मौसम शाला, चारभुजा (रावतभाटा) एवं प्रतापगढ़ में संकलित मौसम डेटाज भी आई.एन.डी. पूना को भिजवाये जा चुके हैं।

छाया : कन्हैया शर्मा

सरूटा जलग्रहण क्षेत्र में परकोलेशन टैंक

बाढ़ सम्भावित नदी परियोजनायें

भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत बाढ़ संभावित बनास तथा लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र में भू एवं जल संरक्षण के कार्य कराने हेतु वित्तीय सहायता दी जा रही है। मैक्रो मैनेजमेंट मोड के तहत केन्द्र व राज्य सरकार की आनुपातिक हिस्सा राशि क्रमश: 90 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत है। गत वित्तीय वर्ष 2011-12 में बनास नदी क्षेत्र में 8213 हैक्टेयर क्षेत्र का उपचार तथा 1594 संरचनाओं का निर्माण किया गया जिन पर ₹ 1231.12 लाख व्यय हुआ। लूणी नदी में 2617 हैक्टेयर भू-भाग का उपचार तथा 278 संरचनाएं निर्मित की गईं जिन पर ₹ 279.10 लाख व्यय हुआ।

बनास परियोजना में चालू वर्ष के लिए केन्द्र प्रवर्तित योजना व योजना मद में ₹ 1400.00 लाख वित्तीय लक्ष्यों के विरुद्ध माह दिसम्बर, 12 तक ₹ 843.55 लाख व्यय किये जाकर 42 उप जलग्रहण क्षेत्रों के 6340 हैक्टेयर भू भाग का उपचार तथा 1084 संरचनाओं का निर्माण किया गया है। लूणी नदी परियोजना में केन्द्र प्रवर्तित व योजना मद में चालू वर्ष में ₹ 300.00 लाख के वित्तीय लक्ष्य के विरुद्ध माह दिसम्बर, 2012 तक ₹ 121.60 लाख व्यय कर 10 जलग्रहण क्षेत्रों के 968 हैक्टेयर भू-भाग का उपचार तथा 144 संरचनाओं का निर्माण कार्य किया गया है। बाढ़ संभाव्य बनास तथा लूणी नदी परियोजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में ₹ 1700.00 लाख का वित्तीय प्रावधान अनुमोदित है जिसके विरुद्ध 90 प्रतिशत अंशदान के रूप में ₹ 1530.00 लाख भारत सरकार से प्राप्त होने हैं तथा 10 प्रतिशत अंशदान के रूप में राज्य सरकार से ₹ 170.00 लाख प्राप्त होने हैं। इसमें एफपीआर बनास की केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार की हिस्सा राशि क्रमश: ₹ 1260.00 एवं ₹ 140.00 कुल ₹ 1400.00 लाख तथा लूणी परियोजना की केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार की हिस्सा राशि क्रमश: ₹ 270.00 एवं ₹ 30.00 कुल ₹ 300.00 लाख हैं। वित्तीय वर्ष 2012-13 में उक्त प्रावधान से बनास नदी परियोजना में कुल 11666 हैक्टेयर तथा लूणी नदी परियोजना में 2500 हैक्टेयर में कार्य कराया जाना है। इस प्रकार दोनों परियोजनाओं में कुल 14166 हैक्टेयर में कार्य कराया जाना है।

इन परियोजनाओं में माह दिसम्बर, 2012 तक

उपचारित जल ग्रहण क्षेत्र इस प्रकार है :-

नाम योजना	उप जलग्रहण क्षेत्र की संख्या	नवम्बर, 2011 तक उपचारित जलग्रहण क्षेत्रों की संख्या	
		हैक्टे.	जलग्रहण संरचनाओं की संख्या
एफपीआर बनास नदी	42	5280	832
एफपीआर लूणी नदी	10	968	144
योग	**52**	**6248**	**976**

सांभर नम भूमि योजना

मुख्य वन संरक्षक, बनास नदी परियोजना जयपुर के अधीन भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पोषित सांभर नम भूमि संरक्षण परियोजना के अन्तर्गत भू संरक्षण अधिकारी, सोजत रोड के माध्यम से भू एवं जल संरक्षण के अभियांत्रिकी कार्य सम्पादित करवाए जा रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य सांभर नम भूमि जो कि एक रामसर साइट है, इसको संरक्षित करना है। इस योजनान्तर्गत अभियांत्रिकी कार्य इस प्रकार सम्पादित करवाये जाते हैं कि झील में वर्षा जल का प्रवाह बना रहे व उसके साथ जो क्षार का बहाव है, वह रोका जा सके जिससे झील की भराव क्षमता बनी रही है व क्षेत्र का पारिस्थितिकीय संतुलन बना रहे। इस परियोजना पर गत वर्ष माह मार्च, 2012 तक 40 संरचनाओं का निर्माण कर 517 हैक्टेयर का उपचार कर ₹ 34.02 लाख राशि व्यय किये गये। गत वर्ष की अवशेष राशि ₹ 25.30 लाख एवं इस वर्ष आवंटित ₹ 30.99 लाख कुल ₹ 56.29 लाख का इस वर्ष माह दिसम्बर, 12 तक ₹ 36.73 लाख का उपयोग कर 43 संरचनाओं का निर्माण कर 77 हैक्टेयर क्षेत्र उपचारित किया गया है।

उपजलग्रण क्षेत्र जूड़ा में निर्मित जल संरक्षण संरचना

छाया : एच. के. सारस्वत

000

7

मूल्यांकन एवं प्रबोधन

विभिन्न विभागीय योजनान्तर्गत उपलब्ध विभिन्न संसाधनों के अधिकतम सदुपयोग एवं विकास कार्यों के उत्कृष्ट सुपरिणाम प्राप्ति की दृष्टि से विभिन्न स्तरों पर वानिकी कार्यों के समवर्ती मूल्यांकन की आवश्यकता अनुभूत की जाती रही है ताकि उन क्षेत्रों व दिशाओं का विभाग को पता चल सके जिनमें कार्य काफी अच्छा हो रहा है तथा जिन स्थानों पर कार्यों में सुधार व उत्कृष्टता समाहित करने की कम अथवा अधिक गुंजाइश है। अत: वन विकास कार्यक्रमों का सामयिक प्रबोधन एवं कार्यों में गुणात्मक एवं मात्रात्मक सुधार सुनिश्चित करना ही विभाग की प्रबोधन एवं मूल्यांकन शाखा का मूल उद्देश्य है।

पौधारोपण क्षेत्र देवलत, चित्तौड़गढ़ में प्राकृतिक पौधों का उपचार एवं गुणात्मक सुधार कार्य के बारे में समझाइश करते हुए अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एम.एण्ड ई.)

विभाग द्वारा वन विकास कार्यों में गुणात्मक सुधार करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं तथा उठाये जा रहे हैं, जिससे विभागीय कार्यों में गुणात्मक एवं मात्रात्मक सुधार हुआ है तथा इन प्रयासों के जरिए भविष्य में भी विभागीय कार्यों में निखार आएगा :

- वृक्षारोपण क्षेत्रों को 2 से 5 हैक्टेयर क्षेत्र के खण्डों में विभक्त करना एवं खण्डवार किये गये कार्यों की नपती करना।

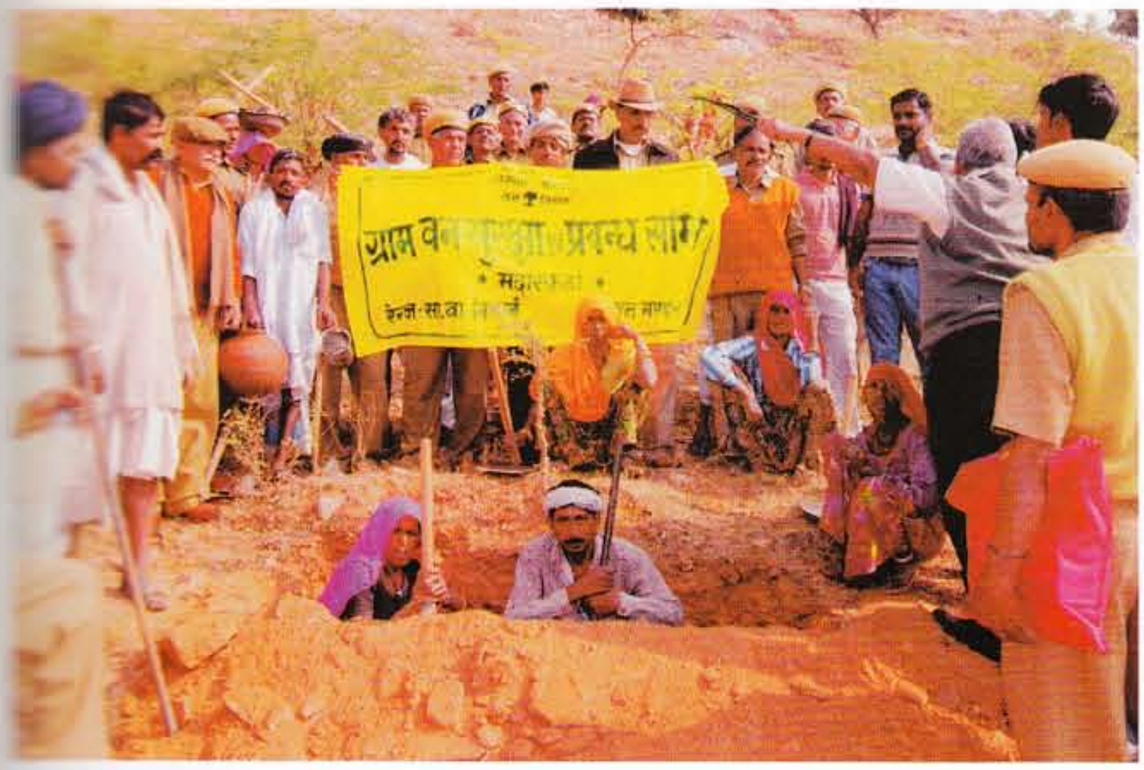

वृक्षारोपण मेदारकलां V, टोंक में वर्षा जल संरक्षणार्थ बनाई जाने वाली ट्रेंचों को पौधारोपण स्थलों पर विद्यमान उपयोगी प्राकृतिक पौधों के समीप बनाने के लाभ व गुणात्मक सुधार हेतु समझाइश करते हुए अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एम.एण्ड ई.)

- प्रत्येक कार्य स्थल पर संशोधित पौधारोपण कार्ड का संधारण करना जिसमें कार्यस्थल का उपचार नक्शा एवं खण्डवार किये गये कार्यों का विवरण दर्ज किया जाता है।
- पौधारोपण साइट पर साइन बोर्ड लगाना जिस पर एक तरफ पौधारोपण स्थल का उपचार नक्शा एवं दूसरी तरफ किये गये कार्य का पूर्ण विवरण अंकित किया जाना आवश्यक है।
- लूज स्टोन वॉल फैन्सिंग (सूखे पत्थरों द्वारा चुनाई गई बाड़) को ढहाकर प्रवेश न कराया जावे एवं कांटेदार तारों को खोलकर प्रवेश न कराया जाये जिससे पौधारोपण सुरक्षित रहे। इस हेतु लोहे का प्रवेश द्वार बनाया जाना सुनिश्चित करवाना।
- पौधारोपण कार्यों व वन क्षेत्रों की प्रभावी बाड़बंदी, सुनिश्चित करवाना।
- पौधारोपण कार्यों की सुरक्षार्थ कैटलगार्ड्स व चौकीदारों हेतु कैटलगार्ड हट्स का निर्माण सुनिश्चित करवाना।
- पौधारोपण स्थलों पर विद्यमान मूल्यवान स्थानीय प्रजातियों के पौधों जैसे गूगल,

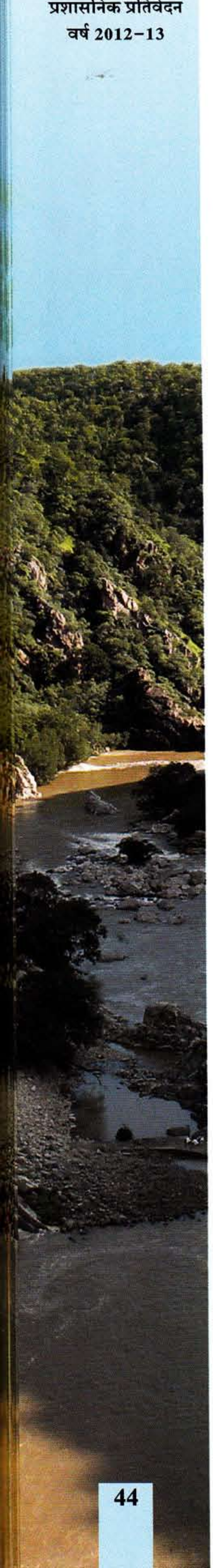

खिरनी, खेजड़ी, रोहिड़ा, जाल, धोंक आदि के पौधों व रूट स्टॉक को उपचारित करवाना, उनके लिये थाँवले बनवाकर अथवा उनके समीप ट्रेंचे खुदवाकर वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करवाना।

- रेगिस्तानी क्षेत्रों में पौधारोपण में इजरायली बबूल आदि के साथ 40–60 प्रतिशत खेजड़ी, रोहिड़ा, जाल, बेर, फोग का समावेश करवाना।
- अन्य क्षेत्रों में भी 40–60 प्रतिशत स्थानीय उपयोगी प्रजातियों जैसे खैर, खिरनी, कदम्ब, धोंक, गुर्जन, गूगल आदि का पौधारोपण कार्यों में समावेश करवाना।
- पौधारोपण में तकनीकी कार्यों के लिए मॉडल में राशि प्रावधानानुसार व नियमानुसार औजारों की व्यवस्था व उनका उपयोग सुनिश्चित करवाना।

इन कार्यों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए मुख्यालय स्तर पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशिक्षण, अनुसंधान, शिक्षा एवं प्रसार) के अधीन एक अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रबोधन एवं मूल्यांकन) पदस्थापित है जिनकी सहायतार्थ एक मुख्य वन संरक्षक (समवर्ती मूल्यांकन) कार्यरत है।

विभाग द्वारा किये गये विभिन्न पौधारोपण कार्यों के समय–समय पर मूल्यांकन हेतु सम्भागीय स्तर पर प्रबोधन एवं मूल्यांकन इकाइयां सृजित हैं। सभी मूल्यांकन इकाइयों के प्रभारी उप वन संरक्षक स्तर के अधिकारी हैं। राज्य वन प्रशासन में संभागीय मुख्य वन संरक्षक की व्यवस्था होने के साथ ही प्रत्येक संभाग में प्रबोधन एवं मूल्यांकन कार्यों को अंजाम देने के लिए संभागीय मुख्यालय पर एक उप वन संरक्षक (आयोजना एवं प्रबोधन) लगाया गया है। इस प्रकार राज्य में सात इकाइयां कार्य कर रही हैं। इन इकाइयों का प्रभार राज्य वन सेवा के उप वन संरक्षक स्तर के अधिकारियों के पास है किन्तु अधीनस्थ कार्मिकों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने के कारण ये इकाइयां सीमित मूल्यांकन कार्य ही कर रही हैं।

समस्त उप वन संरक्षक गण (प्रबोधन एवं मूल्यांकन), मुख्य वन संरक्षक, समवर्ती मूल्यांकन, जयपुर/अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रबोधन एवं मूल्यांकन के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन रहकर उनके निर्देशानुसार कार्य करते हैं।

मूल्यांकन इकाइयों के कार्य

संभाग स्तर पर सृजित इकाइयों द्वारा चयनित कार्य स्थलों पर सम्पादित सभी कार्यों का शत–प्रतिशत/सैम्पलिंग पद्धति से मूल्यांकन कार्य कराया जाता है।

इस वर्ष चयनित अग्रिम कार्यों का मूल्यांकन भी शुरू किया गया ताकि अग्रिम कार्यों की गुणवत्ता को पौधारोपण से पूर्व सुनिश्चित किया जा सके ताकि शुरुआती दौर में ही कमियां दूर करवाई जा सकें।

इस वर्ष चयनित पौधशालाओं का मूल्यांकन भी शुरू किया गया ताकि पौधारोपण के लिए उपयोगी स्थानीय प्रजातियों के पौधे भी तैयार करवाए जा सकें, साथ ही पौध वितरण हेतु उन्नत किस्म की प्रजातियों की पौध तैयार की जा सके।

राज्य सरकार की अत्यन्त महत्वाकांक्षी योजना हरित राजस्थान में विभाग के विभिन्न वन मण्डलों द्वारा किये गये कार्यों का मूल्यांकन भी मूल्यांकन इकाइयों द्वारा किया गया है।

विभिन्न वन मण्डलों द्वारा सम्पादित किये गये वानिकी विकास कार्यों का वित्तीय वर्ष 2012–13 में विभिन्न समवर्ती मूल्यांकन दलों द्वारा कई वन मण्डलों में मूल्यांकन कार्य किया गया।

कार्यों के मूल्यांकन हेतु 30 कॉलम का प्रपत्र जारी किया गया है जिनका मूल्यांकन कर टिप्पणी अंकित किया जाना आवश्यक है जिससे पौधारोपण कार्य की गुणवत्ता का बेहतर आकलन हो सके।

मूल्यांकन इकाइयों द्वारा जिन वन मण्डलों की मूल्यांकन रिपोर्ट प्रेषित की उनका मुख्यालय स्तर पर

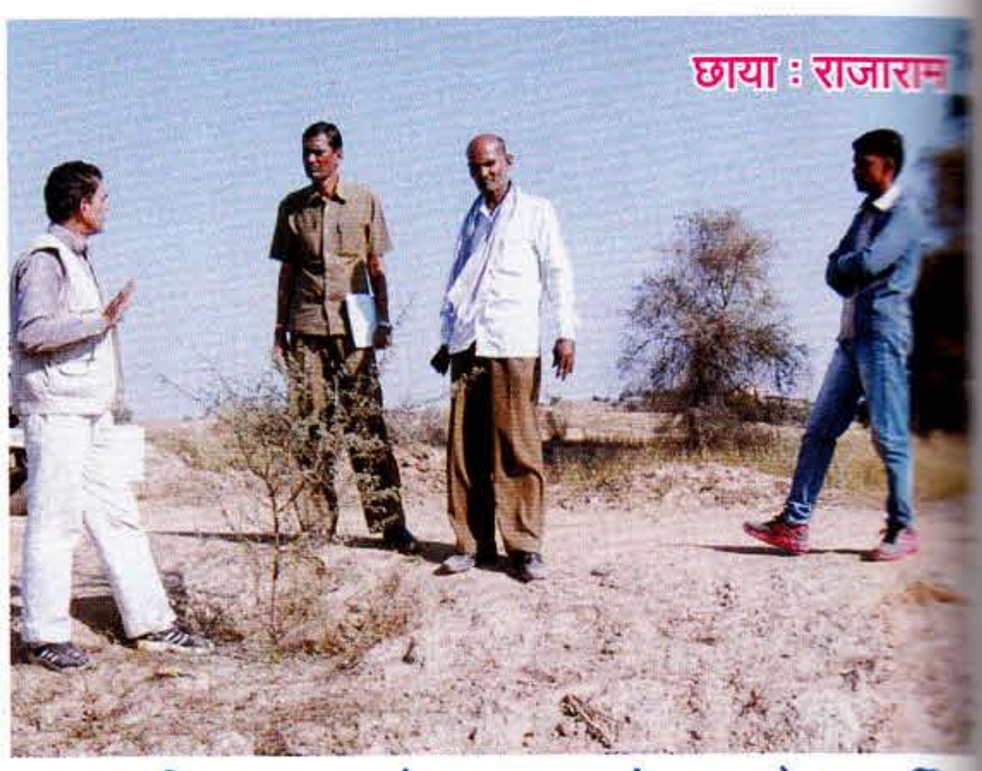

भरूसरी माइनर वृक्षारोपण का मूल्यांकन करते वनकर्मी

निरीक्षण किया जाकर कार्यस्थलों में पाई गई कमियों के बारे में सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षकगण को पत्र लिखकर प्रतियां पालनार्थ सम्बन्धित उप वन संरक्षक व उप वन संरक्षक, पी. एण्ड एम. को दी जाती है।

मूल्यांकन कार्यों के दौरान चयनित स्थलों का निरीक्षण मूल्यांकन प्रक्रिया निष्पक्ष व सही होने की दृष्टि से राजस्थान के विभिन्न वन मण्डलों में अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रबोधन एवं मूल्यांकन), जयपुर द्वारा दौरे किये जाते हैं। प्रबोधन एवं मूल्यांकन शाखा को अधिकारियों के दौरे, रात्रि विश्राम आदि की मॉनिटरिंग का कार्य भी दिया हुआ है।

इसी प्रकार विभागीय कार्य अच्छी गुणवत्ता के हों यह सुनिश्चित करने व करवाने हेतु न केवल विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा दौरे किये जाते हैं अपितु अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एम. एण्ड ई. द्वारा भी निरीक्षण के दौरान गुणवत्ता में सुधार हेतु विस्तृत समझाइश की जाती है तथा गुणवत्ता में सुधार की दृष्टि से निरीक्षण प्रतिवेदन भी सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षक, उप वन संरक्षक, उप वन संरक्षक (पी. एण्ड एम.) को पालना करने व पालना सुनिश्चित करवाने हेतु भेजे जाते हैं।

वर्ष 2012–13 में किये गये विभागीय कार्यों के मूल्यांकन की स्थिति

क्र.सं.	संभाग का नाम	मूल्यांकन हेतु साइटों का चयन			औसत जीवितता				
		शत प्रतिशत	सैम्पलिंग पद्धति	योग	80 प्रतिशत से अधिक	60–80 प्रतिशत तक	40–60 प्रतिशत तक	40 प्रतिशत से कम	योग/वि.वि.
1.	अजमेर	35	34	69	2	10	3	1	शेष का मूल्यांकन किया जाना है।
2.	उदयपुर	6	3	9	–	2	2	5	9
3.	भरतपुर	11	1	12	3	8	–	1	12
4.	बीकानेर	21	13	34	13	14	7	–	34
5.	जोधपुर	5	5	10	2	8	–	–	10
6.	जयपुर	12	12	24	7	15	2	–	24
7.	कोटा	5	5	10	–	2	1	–	3
	योग	**95**	**73**	**168**	**27**	**59**	**15**	**7**	**92 (शेष का मूल्यांकन किया जाना है)**

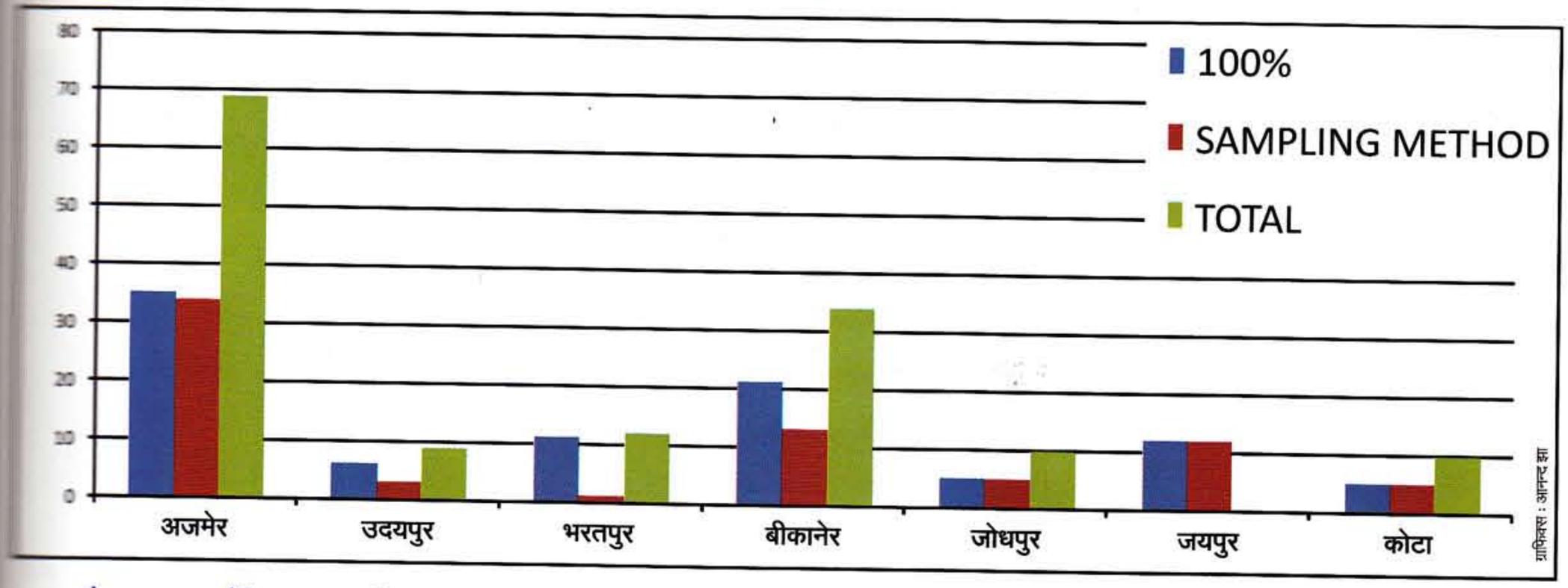

पौधशालाओं का मूल्यांकन : जयपुर स्थित मूल्यांकन इकाई ने गत वर्ष से पौधशालाओं का मूल्यांकन कार्य भी किया है। गत वर्ष एक पौधशाला तथा चालू वर्ष 2012–13 में 5 पौधशालाओं का मूल्यांकन किया गया है।

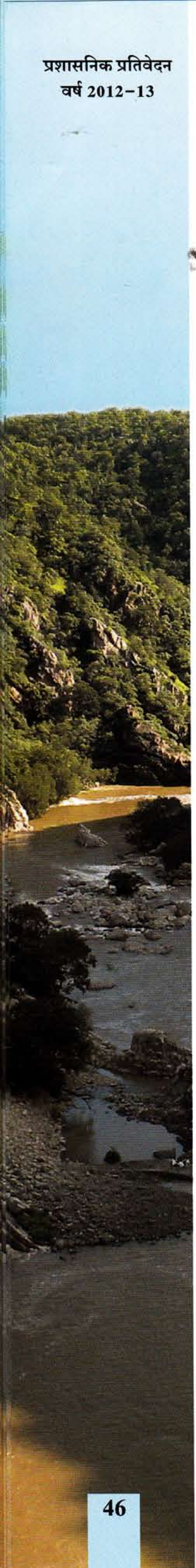

वर्ष 2011–12 में किये गये मनरेगा कार्यों के मूल्यांकन की स्थिति

क्र.सं.	संभाग का नाम	मूल्यांकन हेतु साइटों का चयन			औसत जीवितता				
		शत प्रतिशत	सैम्पलिंग पद्धति	योग	80 प्रतिशत से अधिक	60–80 प्रतिशत तक	40–60 प्रतिशत तक	40 प्रतिशत से कम	योग/वि.वि.
1.	अजमेर	12	21	33	22	07	03	01	33
2.	जोधपुर	06	–	06	–	06	–	–	06
3.	जयपुर								
	योग	**18**	**21**	**39**	**22**	**13**	**03**	**01**	**39**

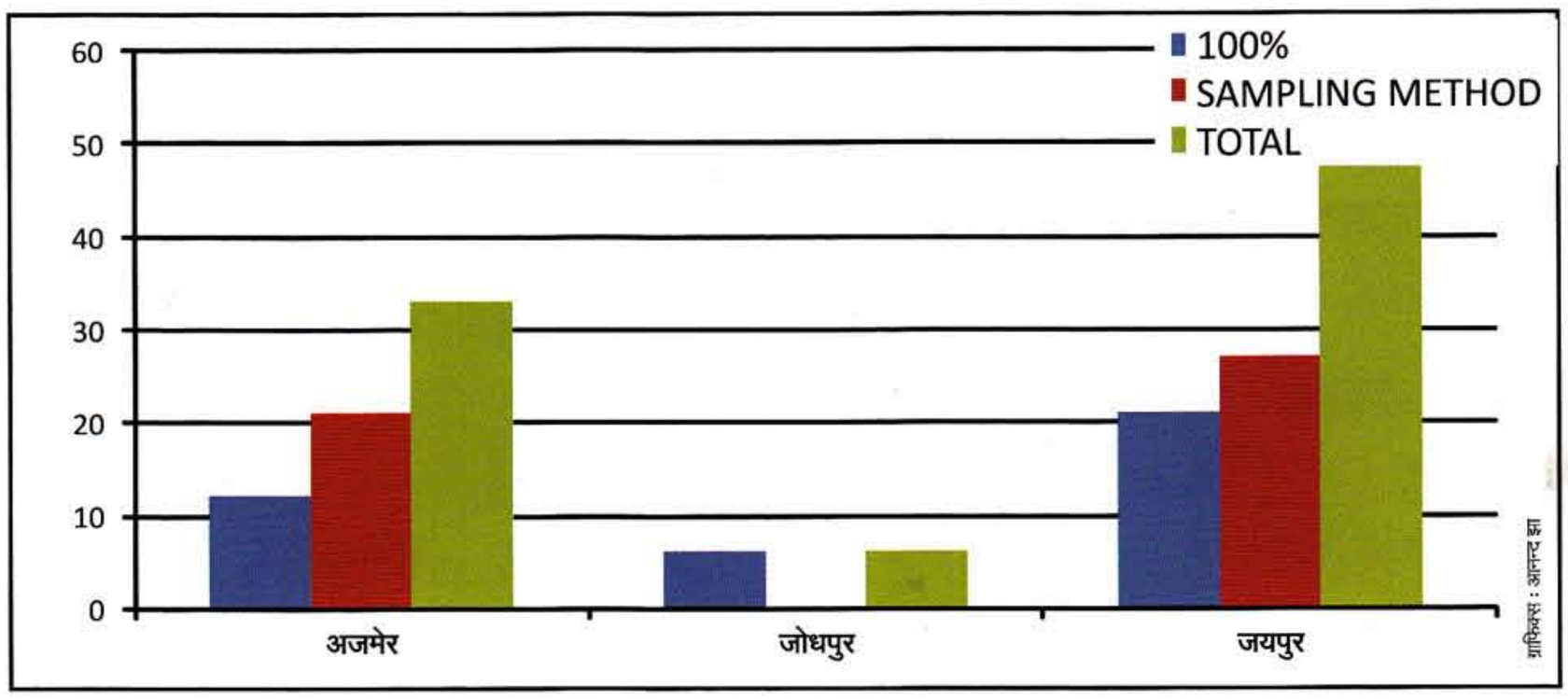

वर्ष 2012–13 में किये गये मनरेगा कार्यों के मूल्यांकन की स्थिति

क्र.सं.	जिला	साइटों की संख्या जिनका मूल्यांकन किया गया	मूल्यांकित क्षेत्र (हैक्टेयर)	भारित जीवितता प्रतिशत	
				पौधारोपण	बीजाई
1.	भरतपुर	02	100	49	–
2.	धौलपुर	07	370	41.1	–
3.	अजमेर	–	–	–	–
4.	हनुमानगढ़	01	16	67.20	–
5.	जोधपुर	–	–	–	–

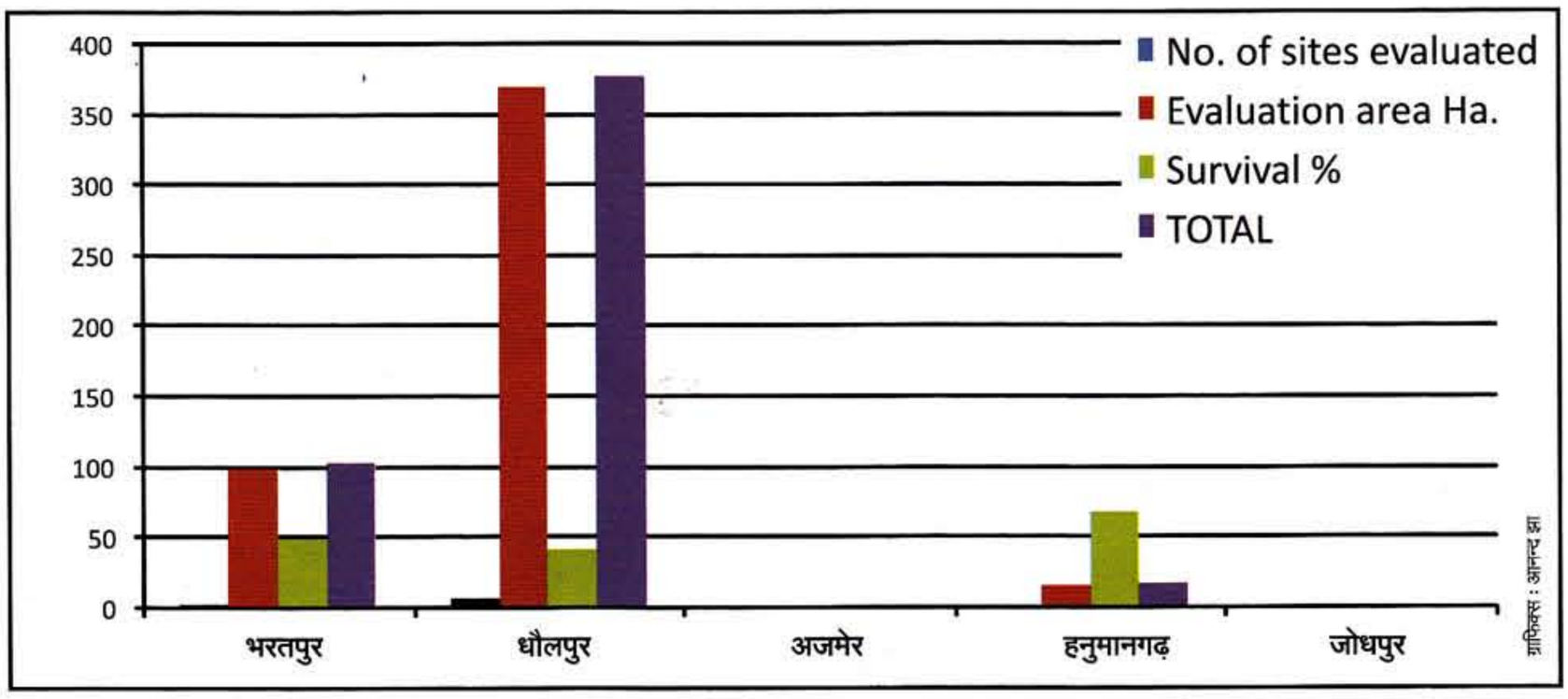

8

वन्य जीव संरक्षण एवं प्रबंधन

जैव विविधता के संदर्भ में राजस्थान राज्य पूरे देश में प्रसिद्ध है। विषम जलवायु व सीमित वन क्षेत्र होने के बावजूद भी राज्य में वन्य जीवों के संरक्षण हेतु किये गये सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप देश-विदेश से लाखों पर्यटक इन वन्य जीवों के स्वच्छन्द विचरण के अवलोकन हेतु राजस्थान में स्थित अभयारण्यों/राष्ट्रीय उद्यानों में आते हैं। विश्व में लुप्त हो रहे दुर्लभ वन्य जीवों व पक्षियों को संरक्षण देने में राज्य का वन विभाग महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर रहा है। इन दुर्लभ वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु राज्य में 3 राष्ट्रीय उद्यान, 26 अभयारण्य एवं 9 कन्जर्वेशन रिजर्व स्थित हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 9636.9824 वर्ग कि.मी. है। उक्त का विवरण परिशिष्ट-1 पर द्रष्टव्य है।

वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के प्रावधानान्तर्गत राज्य में शिकार पूरी तरह निषेध है। वर्तमान में अच्छे एवं सघन वन क्षेत्र मुख्यत: अभयारण्यों एवं राष्ट्रीय उद्यानों में स्थित हैं, जिन पर आसपास में विद्यमान आबादी के कारण अत्यधिक जैविक दबाव बना रहता है। इस दबाव के कारण वन्य जीव प्रबंधकों एवं स्थानीय ग्रामवासियों के मध्य निरन्तर संघर्ष होता है। इस तनाव एवं प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए संरक्षित क्षेत्रों से लगे बफर क्षेत्रों को विकसित किया जा रहा है, ताकि अतिरिक्त जैविक दबाव से निरन्तर ह्रास हो रहे वन्य जीव क्षेत्रों में वन्य जीवों के लिए पानी, आवास एवं भोजन आदि की सुविधाओं का विकास हो सके। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वन्य जीव क्षेत्रों में ढांचागत विकास हैबीटाट सुधार, जल संसाधनों का विकास, अग्नि निरोधक कार्य एवं वन पथों को विकसित किया जा रहा है।

वन्य जीव प्रभाग के अधीन वर्तमान में सम्पादित की जा रही महत्त्वपूर्ण गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

1. **वार्षिक योजनाएं :** राज्य में स्थित वन्य जीव अभयारण्यों एवं टाईगर रिजर्व क्षेत्रों में वन्य जीव प्रबन्धन के लिए वित्तीय पोषण केन्द्रीय प्रवर्तित योजना "Integrated Development of Wild Life Habitats" एवं "Project Tiger" के तहत वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त स्टेट कैम्पा, राजस्थान प्रोटेक्टेड एरिया कन्जर्वेशन सोसायटी, तेरहवें वित्त आयोग में स्वीकृत प्रावधानों से भी वन्य जीव संरक्षण कार्य करवाये जा रहे हैं। उक्त सभी अभयारण्यों की वार्षिक योजनाएं प्रतिवर्ष तैयार कर भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित की जाती हैं। अभयारण्यों में सुरक्षा, ढांचागत विकास, आवास स्थलों का विकास, जल प्रबंधन, ईको-डवलपमेंट गतिविधियां एवं प्रसार व प्रचार कार्य किये जाते हैं।

माननीया वन एवं पर्यावरण मंत्री बीना काक दिनांक 20 जुलाई, 2012 को वन्य जीव बचाओ वाहन का लोकार्पण करते हुए पास में खड़े हैं प्र.मु.व.सं. (एच.ओ.एफ.एफ.) यू. एम. सहाय

छाया : विपिन गुप्ता

सरिस्का अभयारण्य में बाघों के पुनर्वास के उपरांत सिग्नल रिसिवर एन्टीना के माध्यम से उनकी लोकेशन का अवलोकन करते हुए माननीया वन एवं पर्यावरण मंत्री वीना काक (दिनांक 22–23 फरवरी, 2013)

2. राज्य में 5 जन्तुआलय जयपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर एवं जोधपुर में स्थित हैं, जिनका प्रबंधन केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जा रहा है। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित कॉन्सेप्ट प्लान के अनुसार जोधपुर, उदयपुर, कोटा एवं जयपुर में स्थित जन्तुआलयों के सैटेलाइट केन्द्र 1. माचिया जैविक उद्यान 2. सज्जनगढ़ जैविक उद्यान 3. अभेड़ा जैविक उद्यान एवं 4. नाहरगढ़ जैविक उद्यान में चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जावेगा।

वर्ष 2012–13 के दौरान महत्त्वपूर्ण गतिविधियां

1. राज्य में स्थित वन्य जीव अभयारण्यों का वित्तीय पोषण केन्द्रीय प्रवर्तित योजना "Integrated Development of Wild Life habitats" एवं "Project Tiger" के तहत वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 2012–13 के बजट में केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के लिए ₹ 4302.62 लाख का प्रावधान है तथा राज्य योजना मद में ₹ 4352.23 लाख का बजट प्रावधान है। वर्ष 2012–13 में केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत रणथम्भौर में ग्राम विस्थापन करने हेतु राशि ₹ 26.00 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई है तथा सरिस्का में ग्राम विस्थापन करने हेतु ₹ 670.99 लाख के गत वर्ष के शेष को इस वर्ष व्यय करने की स्वीकृति प्राप्त हुई है तथा ₹ 630.00 लाख की नवीन स्वीकृति प्राप्त हुई है।

2. वर्ष 2011–12 के दौरान 14 वन्य जीव अभयारण्यों में केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के तहत वन्य जीव संरक्षण के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट, हैबीटाट डवलपमेंट, वाटर पॉइन्ट्स, फायर लाइन्स, दीवार निर्माण इत्यादि कार्य करवाये गये हैं। वर्ष 2012–13 में ₹ 497.66 लाख की वार्षिक कार्ययोजना केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत की गई। इसके अतिरिक्त उक्त योजना में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के लिए ₹ 38.35 लाख तथा राष्ट्रीय मरु उद्यान, जैसलमेर के लिए ₹ 24.55 लाख की वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत की गई है। उक्त कार्य प्रगति पर है।

चिड़ियाघर

3. राज्य के जयपुर, उदयपुर, जोधपुर व कोटा चिड़ियाघरों के सैटेलाइट केन्द्र नाहरगढ़ जैविक उद्यान, सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, माचिया जैविक उद्यान एवं अभेड़ा जैविक उद्यान में विकसित करने

के उद्देश्य से केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से इनका मास्टर एवं ले-आउट प्लान स्वीकृत करवा लिया गया है।

4. स्वीकृत मास्टर एवं ले आउट प्लान के अनुसार सज्जनगढ़ जैविक उद्यान की विस्तृत परियोजना राशि ₹ 9.30 करोड़ की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई है। वर्ष 2012-13 के लिए राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना में ₹ 100.00 लाख स्वीकृत किये गये हैं।

5. नाहरगढ़ जैविक उद्यान (जयपुर) में राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के अन्तर्गत नाहरगढ़ उद्यान के विकास हेतु वर्ष 2010-11 में ₹ 383.00 लाख आवंटित किये गये, जिसे माह जनवरी, 2011 तक उपयोग कर लिया गया है। वर्ष 2012-13 के लिए राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजनान्तर्गत ₹ 200.00 लाख स्वीकृत किये गये हैं।

6. माचिया बायोलोजिकल पार्क के विकास के लिए ₹ 20.50 करोड़ प्रस्तावित किये गये हैं। राज्य सरकार द्वारा ₹ 20.50 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। वर्ष 2012-13 में ₹ 7.00 करोड़ का प्रावधान है। शेष राशि आगामी वर्षों में राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना तथा तेरहवें वित्त आयोग के तहत उपलब्ध करायी जायेगी।

रणथम्भौर एवं सरिस्का टाईगर रिजर्व

7. रणथम्भौर हेतु स्पेशल टाईगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित करा लिया गया है, इसके तहत एक डी.एस.पी., 3 सब इन्सपेक्टर, 18 हैड कांस्टेबल एवं 81 कांस्टेबल व 9 कांस्टेबल ड्राइवर सुरक्षा कार्य हेतु लगाये जाने हैं। इनकी भर्ती की प्रक्रिया पुलिस विभाग में प्रक्रियाधीन है।

8. बाघ परियोजना रणथम्भौर एवं सरिस्का में सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यकतानुसार होम गार्ड्स की तैनाती की जाती है।

9. रणथम्भौर बाघ परियोजना में विभाग द्वारा उठाये गये प्रबन्धात्मक एवं सुरक्षात्मक उपायों के फलस्वरूप बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है।

मादा चिपका (A female Savannah Nightjar) धरती के रंग की होती है जो धरती पर चिपक कर बैठती है। इसकी आंखें (इनसेट में) अपनी पूंछ तक देखने में सक्षम होती हैं

भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा कराई गई नवीनतम गणना वर्ष 2010 के अनुसार रणथम्भौर टाईगर रिजर्व में 30-32 बाघ एवं शावक पाये गये हैं।

10. सरिस्का बाघ परियोजना के Critical Tiger Habitat क्षेत्र में 28 गांव हैं। भगानी गांव को माह नवम्बर, 2007 में तथा उमरी को वर्ष 2011 में सरिस्का से बाहर विस्थापित कर दिया गया है। माह नवम्बर, 2012 की स्थिति अनुसार ग्राम विस्थापन की प्रगति निम्नानुसार है:-

सरिस्का टाईगर रिजर्व : माह नवम्बर, 2012 (वर्ष 2012-13) की स्थिति अनुसार

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कुल परिवार	विस्थापित परिवार	विस्थापन से शेष परिवार
1.	भगानी	21	21	0
2.	उमरी	85	85	0
3.	डाबली	126	104	22
4.	सुकोला	46	12	34
5.	क्रास्का	200	12	188
6.	देवरी	181	26	155
7.	कांकवाड़ी	170	132	38
8.	हरिपुरा	74	04	70
9.	रोटक्याला	55	46	09
	योग	**958**	**442**	**516**

शेष परिवारों के विस्थापन की कार्यवाही प्रगति पर है। वर्ष 2012-13 में सरिस्का बाघ परियोजना के लिए ग्रामों के विस्थापन हेतु राशि ₹ 670.99 लाख भारत सरकार द्वारा गत वर्ष की अवशेष राशि को उपयोग करने की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 630.00 लाख की राशि रीलीज की गई है।

11. रणथम्भौर बाघ परियोजना के Critical Tiger Habitat क्षेत्र में 64 गांव हैं। टाईगर रिजर्व से माह मार्च, 2009 में ग्राम इण्डाला को तथा वर्ष 2011-12 में ग्राम पादड़ा को पूर्ण रूप से विस्थापित कर दिया गया है। माह नवम्बर, 2012 तक ग्राम विस्थापन की प्रगति निम्नानुसार है :-

रणथम्भौर टाईगर रिजर्व : माह नवम्बर, 2012 (वर्ष 2012-13) की स्थिति अनुसार

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कुल परिवार	विस्थापित परिवार	विस्थापन से शेष परिवार
1.	इण्डाला	33	33	0
2.	पादड़ा	111	111	0
3.	माचनकी (कैलादेवी)	58	58	0
4.	कालीभाट	47	32	15
5.	मोर डूंगरी	157	153	04
6.	भिड	164	73	91
7.	कटूली	151	126	25
8.	हिन्दवाड़	575	321	254
9.	भीमपुरा (कैलादेवी)	97	68	29
10.	डंगरा (कैलादेवी)	79	30	49
11.	ऊंची गुवाड़ी (कैलादेवी)	143	83	60
	योग	**1615**	**1088**	**527**

वर्ष 2012-13 में रणथम्भौर बाघ परियोजना के लिए ग्रामों के विस्थापन हेतु भारत सरकार को ₹ 51.60

सज्जनगढ़ अभयारण्य में तेंदुए के पदचिह्न की माप

करोड़ के प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। भारत सरका द्वारा ₹ 26.00 करोड़ की राशि जारी की गई है, जिस पूर्व में स्वीकृत 10 ग्रामों को विस्थापित किये जाने कार्यवाही प्रगति पर है।

12. **रणथम्भौर एवं सरिस्का टाईगर रिजर्व में बा संरक्षण फाउंडेशन की स्थापना :** राज्य में स्थि बाघ रिजर्व क्षेत्रों के लिए पारिस्थितिकीय पर्यट पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रमों एवं बाघ/जै विविधता के संरक्षण के लिए तथा इनके प्रबंधन क सरल और पारदर्शी बनाने हेतु बाघ संरक्ष फाउंडेशन की स्थापना की गई है। फाउंडेशन क प्रमुख उद्देश्य सभी स्टेक होल्डर्स की भागीदारी के माध्यम से बाघ/जैव विविधता के संरक्षण के लि बाघ रिजर्व प्रबंधन को सरल बनाना और सहाय प्रदान करना है। फाउंडेशन के गठन से बाघ रिज के प्रबंधन हेतु राज्य सरकार, भारत सरका इच्छुक स्वयंसेवी संस्था, निजी संस्था एवं अन्य

सीतामाता अभयारण्य में उड़न गिलहरी

से आवश्यकतानुसार वित्तीय सहायता की प्राप्ति होगी। फाउंडेशन के गठन से अति आवश्यक कार्यों के सम्पादन हेतु उपयुक्त प्रशासनिक एवं वित्तीय व्यवस्था होगी एवं क्रियान्वयन हेतु आदेशों/निर्णयों में त्वरित कार्यवाही हो पाएगी।

13. **टाईगर रिजर्व क्षेत्र में नाबार्ड द्वारा पोषित वाटर हार्वेस्टिंग परियोजनाएं :** राज्य सरकार द्वारा रणथम्भौर, सरिस्का, सवाई मानसिंह एवं कैलादेवी अभयारण्यों में वन्य जीवों विशेषत: बाघ हेतु पानी की समस्या के निराकरण हेतु नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित वाटर हार्वेस्टिंग परियोजनाएं स्वीकृत हैं। इन क्षेत्रों में ₹ 40.99 करोड़ की 85 जल संरचनाओं के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इस वर्ष ₹ 19.92 करोड़ का प्रावधान स्वीकृत है।

14. बाघ परियोजना, सरिस्का में रणथम्भौर से दो बाघ एवं तीन बाघिनों को सफलतापूर्वक विस्थापित किया गया था। बाघों के स्थानान्तरण के पश्चात् इनकी निरन्तर मॉनिटरिंग की जा रही है। दिनांक 23.2.2011 को एक बाघ केवलादेव नैशनल पार्क, भरतपुर से सरिस्का बाघ परियोजना में विस्थापित किया गया। वर्ष 2012–13 के दौरान तीन बाघ/बाघिन रणथम्भौर से सरिस्का लाया जाना प्रस्तावित है। माह जनवरी, 2013 में 2 बाघिनों को रणथम्भौर से स्थानान्तरित किया गया।

15. सरिस्का एवं रणथम्भौर टाईगर रिजर्व के बफर क्षेत्र का राजपत्र दिनांक 6.7.2012 द्वारा प्रकाशन किया जा चुका है। सरिस्का हेतु 332.22 वर्ग कि.मी. तथा रणथम्भौर हेतु 297.9365 वर्ग कि.मी. क्षेत्र बफर क्षेत्र घोषित किया गया है।

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर

16. केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर में गोवर्धन ड्रेन से पानी लिफ्ट कर पहुंचाने हेतु एक प्रोजेक्ट राशि ₹ 65.00 करोड़ का तैयार किया गया है। राज्य सरकार के पत्र दिनांक 29.1.2009 से राशि ₹ 56.22 करोड़ की आयोजना मद में प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है। योजना आयोग, भारत सरकार से इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु ₹ 50.76 करोड़ की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्राप्त हो चुकी है जिसके विरुद्ध ₹ 50.76 करोड़ की राशि वित्त विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी की जा चुकी है। इस परियोजना का क्रियान्वयन जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 2011–12 में इस कार्य हेतु ₹ 36.22 करोड़ का प्रावधान स्वीकृत था, जिसे संशोधित आय–व्ययक अनुमानों में ₹ 43.31 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके तहत गोवर्धन ड्रेन से भूमिगत पाइप लाइन बिछाकर पानी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में मौजूद झीलों तक पहुंचाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा दिनांक 29.9.2012 से पानी की आवक प्रारम्भ कर दी गई है। इसके अतिरिक्त चम्बल–धौलपुर

पेयजल परियोजना से 62.5 एम.सी.एफ.टी. एवं पांचना डेम से भी पानी की सप्लाई आवश्यकतानुसार की जाएगी।

17. **कन्जर्वेशन रिजर्व :** प्रदेश में 9 कन्जर्वेशन रिजर्व घोषित कराये गये हैं, जिनकी स्थिति एवं क्षेत्रफल परिशिष्ट सं. 6 पर दर्ज है।

18. **मनरेगा :** वन्य जीव प्रभाग के अधीन मनरेगा योजनान्तर्गत ईको-रेस्टोरेशन मॉडल में वर्ष 2010-11 में स्वीकृत दीवार 360.371 कि.मी. के विरुद्ध 15 जनवरी, 2012 तक 202.434 कि.मी. दीवार का निर्माण किया जा चुका है। वर्ष 2011-12 में ईको-रेस्टोरेशन मॉडल में 239.785 कि.मी. दीवार स्वीकृत है, जिसके विरुद्ध 15 जनवरी, 2012 तक दीवार निर्माण (कुल 36.275 कि.मी.) हुआ है। शेष कार्य प्रगति पर है।

19. **ईको-ट्यूरिज्म :** राज्य में ईको-ट्यूरिज्म के क्षेत्र में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के लिए ₹ 261.19 लाख की परियोजना, माउंट आबू (सालगांव) के लिए ₹ 231.05 लाख, कुम्भलगढ़-टॉडगढ़ रावली- रणकपुर सर्किट के लिए ₹ 594.55 लाख एवं रणथम्भौर बाघ परियोजना के लिए ₹ 434.86 लाख की परियोजना केन्द्र सरकार, पर्यटन मंत्रालय की स्वीकृति अनुसार विकास कार्य करवाये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त राज्य योजना के अन्तर्गत 9 ईको-ट्यूरिज्म साइट्स मीनाल (₹ 48.50 लाख) एवं हमीरगढ़ (भीलवाड़ा) (₹ 80.00 लाख), बस्सी (₹ 77.00 लाख) एवं सीतामाता (चित्तौड़गढ़) (₹ 93.00 लाख), पंचकुण्ड (अजमेर) (₹ 82.00 लाख), सुन्धामाता (जालौर) (₹ 95.00 लाख) एवं गुढ़ा विश्नोई (जोधपुर) (₹ 28.30 लाख) मुकन्दरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान (₹ 84.00

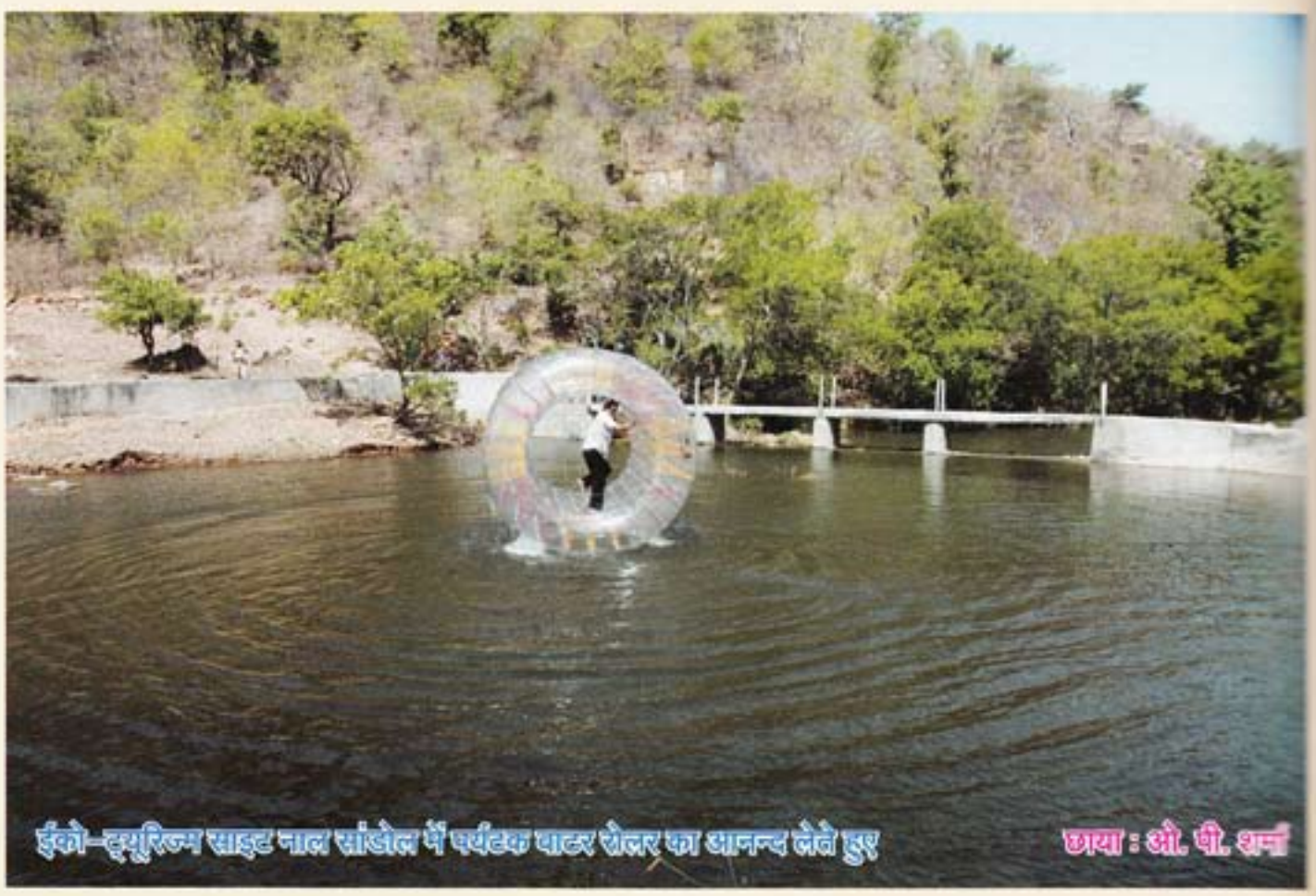

लाख) एवं भैंसरोडगढ़ (₹ 23.62 लाख) की स्वीकृत कराई गई हैं। वर्ष 2012-13 के दौरान इन परियोजना के लिए ₹ 300.00 लाख व्यय किये जायेंगे।

छाया : ओ. पी. शर्मा

ईको-ट्यूरिज्म साइट नाल सांडोल में पर्वतों की दो चोटियों के बीच रस्से पर (रोप-वे) चलते वन संरक्षक के. सी. मीणा

20. राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 के दौरान शाकम्भरी, बीड़, झुंझुनूं, गोगेलाव, उम्मेदगंज एवं रोटू को कन्जर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। जवाई बांध क्षेत्र को लेपर्ड कन्जरवेंसी घोषित कराया जाना प्रक्रियाधीन है।

21. वर्ष 2012-13 के दौरान कुम्भलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान घोषित किये जाने के आशय की अधिसूचना जारी की गई। इसी प्रकार मुकन्दरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान की अन्तिम अधिसूचना जारी की गई।

22. राज्य सरकार द्वारा प्रथम बार प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र के प्रबंधन हेतु सलाहकार समिति (Advisory Committee) का गठन आदेश दिनांक 28.5.2012 द्वारा किया गया।

23. सभी संरक्षित क्षेत्रों के चारों ओर ईको-सेन्सिटिव जोन के चिह्नीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा आदेश दिनांक 3.7.2012 द्वारा समिति का गठन किया गया। समितियों के प्रस्ताव अनुसार विस्तृत प्रस्ताव भारत सरकार की गाइड लाइन्स अनुसार राज्य सरकार को प्रेषित किये गये।

24. तालछापर अभयारण्य में हिरणों की बढ़ती हुई संख्या को दृष्टिगत रखते हुये उसकी समीपस्थ 1258 हैक्टेयर भूमि अभयारण्य के विस्तार हेतु प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को प्रेषित किये गये।

25. राज्य सरकार द्वारा गठित समितियों के प्रस्तावों के आधार पर मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व (कोर एवं बफर) के प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को प्रेषित किये गये।

ईको-ट्यूरिज्म साइट नाल सांडोल में जिप लाइनिंग विधि से नदी पार करता पर्यटक

छाया : ओ. पी. शर्मा

○○○

9

कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त

कार्य आयोजना एवं वन बंदोबस्त द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:–

(अ) कार्य आयोजना अधिकारियों द्वारा तैयार की जा रही कार्य आयोजना के कार्यों का पर्यवेक्षण।

(ब) वन बन्दोबस्त संबंधित सभी प्रकरणों का परीक्षण कर निस्तारण की कार्यवाही करवाना।

(स) कार्यालय संबंधित अन्य प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यों का प्रावैधिक सहायक से निस्तारण करवाना।

मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बंदोबस्त राजस्थान, जयपुर द्वारा इन कार्यों के सम्पादन करवाने एवं पर्यवेक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिनका पृथक् से कोई कार्यालय नहीं है, जो कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त में ही पदस्थापित है।

कार्य आयोजना :– वानिकी कार्य आयोजना जिले के वन क्षेत्रों के प्रबन्धन हेतु दस वर्ष के लिए तैयार की जाती है, वर्तमान में निम्न वन क्षेत्रों के लिए कार्य आयोजना स्वीकृत एवं क्रियान्वयन में है :

क्र.सं.	नाम जिला अथवा क्षेत्र	स्वीकृत कार्य आयोजना अवधि
1.	बांसवाड़ा	2008–09 से 2017–18 तक
2.	चित्तौड़गढ़	2008–09 से 2017–18 तक
3.	उदयपुर	2009–10 से 2018–19 तक
4.	इं.गां.न.प. स्टेज द्वितीय क्षेत्र (इं.गां.न.प. के वन मण्डल बीकानेर खण्ड –I, बीकानेर खण्ड–II, ओ.ई.सी.एफ. मोहनगढ़, जैसलमेर)	2009–10 से 2018–19 तक
5.	जयपुर	2010–11 से 2019–20 तक
6.	इं.गां.न.प. स्टेज प्रथम (इं.गां.न.प. के वन मण्डल श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, छत्तरगढ़)	2011–12 से 2020–21 तक
7.	राजसमंद	2011–12 से 2020–21 तक
8.	चूरू	2011–12 से 2020–21 तक
9.	दौसा	2011–12 से 2020–21 तक
10.	टोंक	2012–13 से 2021–22 तक
11.	भीलवाड़ा	2012–13 से 2021–22 तक

वर्तमान में भारतीय वन सेवा के चार कार्य आयोजना अधिकारी कार्यालय क्रमशः उदयपुर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर, कोटा एवं जयपुर तथा राजस्थान वन सेवा के तीन कार्य आयोजना अधिकारी कार्यालय क्रमशः भरतपुर, अजमेर एवं जोधपुर को स्थाई रूप से स्वीकृत हैं। वर्तमान में अजमेर, भरतपुर, कोटा, जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर कार्यालय में राजस्थान वन सेवा के अधिकारी कार्यरत हैं तथा कार्य आयोजना, बीकानेर का चार्ज अतिरिक्त रूप से सहायक वन संरक्षक के पास है। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प 12 (24) वन/08 दिनांक 22.6.2009 से ही कार्य आयोजना अधिकारियों एवं अधीनस्थ स्टाफ उदयपुर एवं बीकानेर को छोड़कर सम्बन्धित सम्भागीय मुख्य वन संरक्षकगण के कैडर स्ट्रेन्थ में शामिल है। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.12 (24) वन/2008 जयपुर दिनांक 28.12.2010 से संभागीय मुख्य वन संरक्षकगण की कार्यालय में पदस्थापित वन संरक्षकगण, वन संरक्षक कार्य आयोजना घोषित है। वर्तमान में वन मण्डल अजमेर, कोटा, करौली, सिरोही, डूंगरपुर, अलवर की कार्य आयोजना, कार्य आयोजना अधिकारियों द्वारा तैयार की जा रही है।

कार्य आयोजना शीघ्र तैयार करने के उद्देश्य से निम्न अधिकारियों को राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.12 (24) वन/2008 जयपुर दिनांक 7 जनवरी, 2011 एवं दिनांक 29 नवम्बर, 2011 से कार्य आयोजना अधिकारी घोषित किया है।

क्र. सं.	कार्य आयोजना नाम जिला	कार्य आयोजना तैयार करने हेतु कार्य आयोजना अधिकारी घोषित
1.	जैसलमेर	उप वन संरक्षक, जैसलमेर
2.	बाड़मेर	उप वन संरक्षक, बाड़मेर
3.	पाली	उप वन संरक्षक, पाली
4.	सवाईमाधोपुर	उप वन संरक्षक, सवाईमाधोपुर
5.	टोंक	उप वन संरक्षक, टोंक
6.	सीकर	उप वन संरक्षक, सीकर
7.	झुंझुनूं	उप वन संरक्षक, झुंझुनूं
8.	जोधपुर	मण्डल वन अधिकारी, जोधपुर
9.	जालौर	उप वन संरक्षक, जालौर
10.	भरतपुर	मण्डल वन अधिकारी, भरतपुर
11.	धौलपुर	उप वन संरक्षक, धौलपुर
12.	भीलवाड़ा	उप वन संरक्षक, भीलवाड़ा
13.	नागौर	उप वन संरक्षक, नागौर
14.	बारां	मण्डल अधिकारी, बारां
15.	बूंदी	मण्डल वन अधिकारी, बूंदी
16.	झालावाड़	मण्डल अधिकारी, झालावाड़

घोषित कार्य आयोजना अधिकारियों द्वारा कार्य आयोजनाओं के कार्यों को परामर्शदात्री सेवाओं से तैयार करवाने की कार्यवाही जारी है। इन कार्यों के सतत् प्रबोधन एवं समुचित व्यवस्था तथा निर्धारित समय अवधि में कार्य सम्पादन करवाने का दायित्व वन संरक्षक (कार्य आयोजना) एवं सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक को सौंपा गया है। उपरोक्त जिलों की तैयार की जा रही कार्य आयोजनाओं में से वन मण्डल पाली, सवाईमाधोपुर, सीकर, झुंझुनूं, भरतपुर, धौलपुर, अजमेर, अलवर, कोटा, करौली एवं डूंगरपुर की कार्य आयोजनाएं तैयार कर भारत सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित की जा चुकी हैं तथा शेष जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, बारां, बूंदी, सिरोही एवं झालावाड़ की कार्य आयोजनाएं तैयारी का कार्य जारी है।

वन बन्दोबस्त : वन विभाग के नियंत्रण अधीन विभिन्न वन क्षेत्रों को राजस्थान वन अधिनियम के अन्तर्गत आरक्षित अथवा रक्षित वन घोषित किया जाकर उन क्षेत्रों का राजस्व अभिलेख में वन विभाग के नाम अमलदरामद कराया जाता है। मौके पर वन सीमा पर मिनारें बनाकर इन वन क्षेत्रों का सीमांकन किया जाता है। यह प्रक्रिया वन बन्दोबस्त कहलाती है।

राजस्थान वन अधिनियम के तहत अधिसूचनाओं का प्रकाशन : किसी वन क्षेत्र को आरक्षित/रक्षित वन घोषित करने के लिए राजस्थान वन अधिनियम की धारा 4 अथवा 29(3) के अन्तर्गत प्रारम्भिक विज्ञप्ति राज्य सरकार स्तर से जारी करवाकर राजपत्र में प्रकाशित करवायी जाती है। प्रारम्भिक विज्ञप्ति के राजपत्र में प्रकाशन के पश्चात् वन बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा वन बन्दोबस्त नियम, 1958 की प्रक्रिया के अनुसार जांच कर अधिकारों एवं रियायतों का निर्धारण किया जाकर अंतिम विज्ञप्ति आरक्षित

अथवा रक्षित वन घोषित किये जाने वाले वन क्षेत्र की अधिसूचना तैयार की जाती है जिसकी राजस्थान वन अधिनियम की धारा 20 अथवा 29 (1) के अन्तर्गत राज्य सरकार स्तर से विज्ञप्ति जारी की जाती है तथा राजपत्र में प्रकाशन होता है। प्रारम्भिक एवं अंतिम रूप से घोषित तथा अवर्गीकृत वन क्षेत्रों की स्थिति 30–3–2012 के अनुसार निम्नानुसार है :–

क्षेत्रफल वर्ग कि.मी.

अंतिम रूप से अधिसूचित वन क्षेत्र (धारा 20 एवं 29(1) के अन्तर्गत)	प्रारम्भिक रूप से अधिसूचित वन क्षेत्र (धारा 4 एवं 29(3) के अन्तर्गत)
25999.97	3926.18

वन भूमि का राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद : वन क्षेत्रों का राजस्व अभिलेख में अमलदरामद भी वन बन्दोबस्त प्रक्रिया का एक अंग है। वर्तमान में वन भूमि के अमलदरामद की 31 मार्च, 2012 तक की स्थिति इस प्रकार है :–

क्षेत्रफल वर्ग कि.मी.

कुल वन क्षेत्र	अमलदरामद शुदा वन भूमि का क्षेत्रफल	अमलदरामद से शेष वन भूमि
32736.64	27840.36	4896.28
प्रतिशत	85.04	14.96

वन भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद कराने के लिए विभाग काफी समय पूर्व से ही प्रयासरत है। इस कार्य की महत्ता को ध्यान में रखते हुए समन्वय समिति की बैठक (दिनांक 17.6.1999) में इस एजेण्डा को शामिल करवाया गया था।

राज्य सरकार प्रशासनिक सुधार विभाग (अनुच्छेद-3) की राज आज्ञा क्रमांक प.6(35) प्र.सु. अनुदेश-3/99 दिनांक 31.8.99 से वन भूमि का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करवाने के लिए प्रत्येक जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था जिसके सदस्य सचिव सम्बन्धित उप वन संरक्षक (नोडल अधिकारी) थे। समिति का कार्यकाल समय-समय राज आज्ञा पर दिनांक 24.2.2001, 19.2.2003, 27.6.2005, 9.5.2007 एवं 14.11.2011 से बढ़ाते हुए 31.12.2012 तक बढ़ाया गया पर वर्ष 2012-13 में माह नवम्बर, 2012 तक 1093.128 हैक्टेयर वन भूमि का अमलदरामद हुआ है। अमलदरामद से शेष वन भूमि को राजस्व विभाग ने निम्न कारणों से विवादास्पद बताया हुआ है।

क्र.सं.	राजस्व विभाग द्वारा शेष वन भूमि को विवादास्पद माने जाने का कारण	क्षेत्रफल (वर्ग किमी.) 2011-12
1.	राजस्व रिकार्ड में अनसर्वेड	2958.76
2.	राजस्व रिकार्ड में चरागाह	122.56
3.	राजस्व रिकार्ड में आवंटन	240.14
4.	राजस्व रिकार्ड में खातेदारी	189.56
5.	राजस्व रिकार्ड में आबादी	18.22
6.	राजस्व रिकार्ड में इंटिरियर लाइन	116.12
7.	राजस्व रिकार्ड में अन्य विभाग की भूमि दर्ज होना चरागाह	306.02
8.	राजस्व रिकार्ड में अन्य विवाद/कारण	944.90
	योग	**4896.28**

उपरोक्तानुसार अमलदरामद से शेष वन भूमि का राजस्व विभाग द्वारा आसानी से नामान्तरण वन विभाग के नाम नहीं किया जा रहा है। इसके सम्बन्ध में अतिरिक्त मुख्य सचिव वन विभाग के परिपत्र 29.2.2012 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद का कार्य जिला कलेक्टर एवं उप वन संरक्षक से सम्पन्न करवाने के लिए अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देशित किया गया है। इस सम्बन्ध में समय-समय पर माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री महोदया, राजस्थान सरकार, मुख्य सचिव, राजस्थान एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव वन, राजस्थान की अध्यक्षता में बैठकें आयोजित की गईं। अमलदरामद से शेष वन भूमि का राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज की कार्यवाही करने के लिए उक्त मीटिंगों के मिनिट्स अधीनस्थ कार्यालयों को प्रेषित किये गये हैं।

सीमांकन : वित्तीय वर्ष 2011-12 में निम्नानुसार मिनारें (सीमा स्तम्भ) लगाये गये:-

सीतामाता अभयारण्य में हस्तीकर्ण पलाश का पौधा

क्र.सं.	मुख्य वन संरक्षकगण	लगाये गये सीमा स्तम्भ	राशि (₹ लाखों में)
1.	मुख्य वन संरक्षक, अजमेर	810	10.49
2.	मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर	625	8.75
3.	मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर	836	11.46
4.	मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर	466	7.154
5.	मुख्य वन संरक्षक, कोटा	755	10.316
6.	मुख्य वन संरक्षक, जयपुर	1228	16.18
7.	मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर	1633	23.10
8.	मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव, उदयपुर	206	2.80
9.	मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव, जयपुर	200	2.73
	योग	**6759**	**92.983**

राज्य वन क्षेत्र के सीमांकन की स्थिति निम्नानुसार है (दिनांक 31.3.2012 की स्थिति)

वन बंदोबस्त एवं आवश्यकता अनुसार सीमा स्तम्भ लगाने से शेष (31.3.05)	सीमा स्तम्भ लगाए जा चुके हैं	सीमा स्तम्भ जो लगाए जाने शेष हैं
2,83,943	69,682	2,14,261
प्रतिशत	24.54	75.46

छाया : के. सी. मीणा

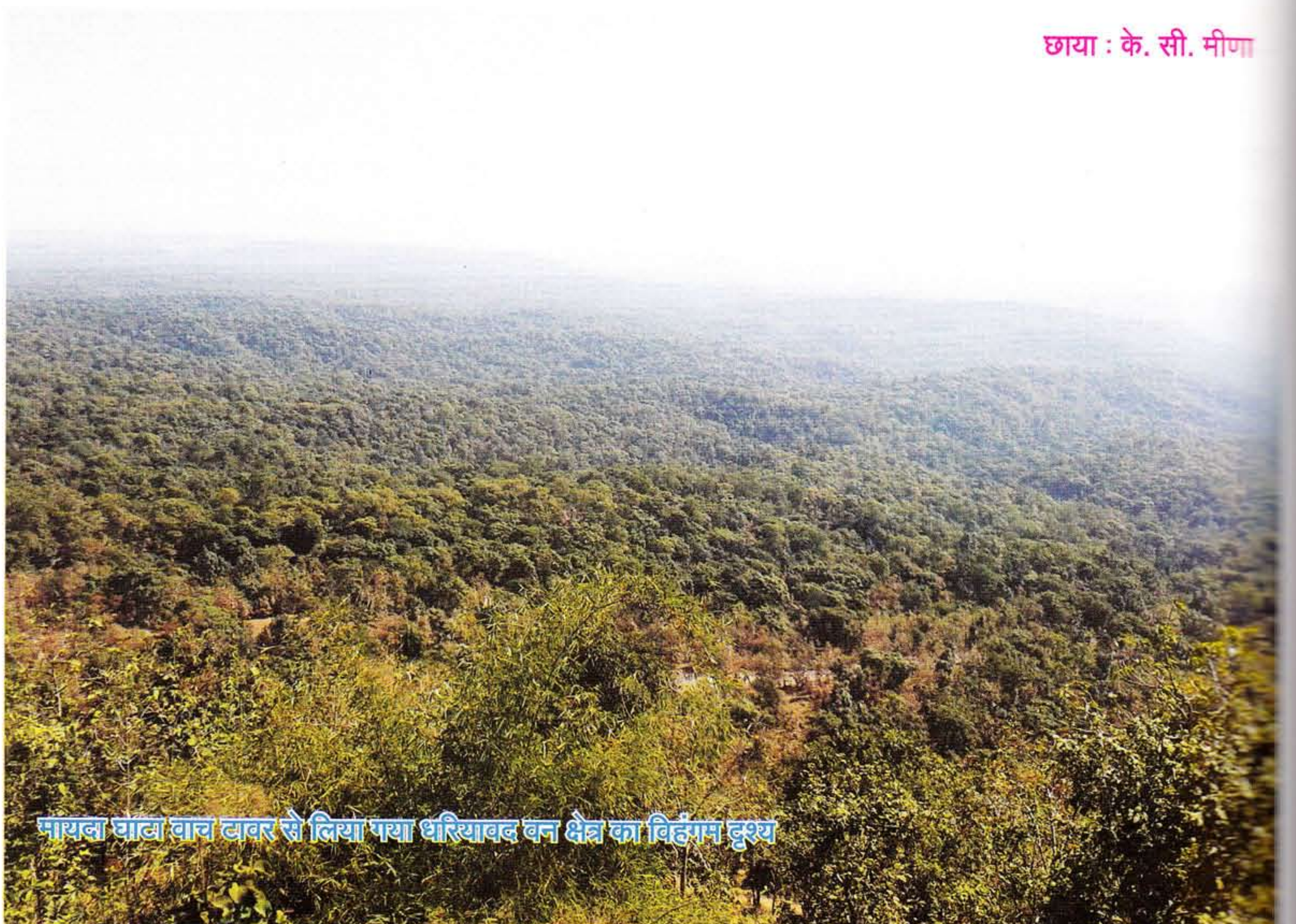

मायदा घाटा वाच टावर से लिया गया धरियावद वन क्षेत्र का विहंगम दृश्य

इस वित्तीय वर्ष 2012–13 में 8200 सीमा स्तम्भ (मिनारें) लगाने का लक्ष्य निम्नानुसार मुख्य वन संरक्षकगण को आवंटित है, जो प्रगति पर है।

क्र.सं.	मुख्य वन संरक्षकगण	लगाये जाने वाले सीमा स्तम्भ	राशि (₹ लाखों में)
1.	मुख्य वन संरक्षक, अजमेर	700	10.50
2.	मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर	1000	15.00
3.	मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर	1000	15.00
4.	मुख्य वन संरक्षक, जयपुर	1200	18.00
5.	मुख्य वन संरक्षक, कोटा	600	9.00
6.	मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर	1500	22.50
7.	मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर	200	3.00
8.	मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, जयपुर	600	9.00
9.	मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, जोधपुर	700	10.50
10.	मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उदयपुर	300	4.50
11.	मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, कोटा	400	6.00
	योग	**8200**	**123.00**

प्रारम्भिक एवं अन्तिम विज्ञप्ति के क्रम में प्रारम्भिक, प्लेन टेबल सर्वे आदि के लिए वर्ष 2011–12 में निम्नानुसार आवंटन के विरुद्ध उपलब्धि हुई :

क्र.सं.	सर्वे कार्य का नाम	लक्ष्य		प्राप्ति	
		भौतिक (वर्ग कि.मी.)	वित्तीय (₹ लाखों में)	भौतिक (वर्ग कि.मी.)	वित्तीय (₹ लाखों में)
1.	प्रारम्भिक सर्वे	250	5.00	113.36	1.52
2.	प्लेन टेबल सर्वे	176.74	7.60	63.08	3.27

○○○

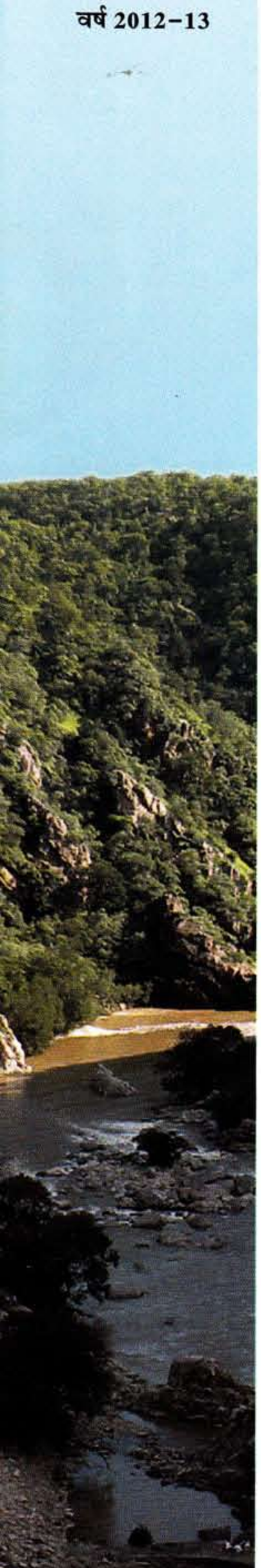

10

वन अनुसंधान

राज्य के वन विभाग में शोध एवं अनुसंधान कार्यों के लिए वर्ष 1956 में राज्य वन वर्धन अधिकारी के नेतृत्व में एक सिल्वीकल्चर वन मण्डल की स्थापना की गयी। वर्तमान में इस कार्य का नेतृत्व मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी कर रहे हैं। मुख्य वन संरक्षक (वन वर्धन) कार्यालय, अधीन ग्रास फार्म नर्सरी, जयपुर; वन अनुसंधान फार्म, गोविन्दपुरा, जयपुर; विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान, झालाना, जयपुर; बीज उत्पादन एवं भण्डारण, जयपुर एवं वन अनुसंधान फार्म, बांकी, उदयपुर केन्द्र कार्यरत है। वन वर्धन कार्यालय में बीज परीक्षण एवं जल–मृदा परीक्षण से सम्बन्धित दो प्रयोगशालाएं भी हैं।

अनुसंधान एवं अन्य गतिविधियां :

- वन अनुसंधान कार्यों की निरन्तरता एवं उनको विभागीय आवश्यकता अनुरूप दिशा देने के लिए विभाग में वर्ष 2005–06 में एक शोध परामर्शी समूह (Research Advisory Group) का गठन किया हुआ है। दिनांक 31.5.2012 को प्रधान मुख्य वन संरक्षक (टी.आर.ई.ई.) की अध्यक्षता में शोध परामर्शी समूह की बैठक में वर्ष 2011–12 में किये गये प्रयोगों की समीक्षा तथा नये प्रयोग/कार्यों का अनुमोदन किया गया। बैठक में वर्ष 2011–12 में पूर्ण किये गये 14 प्रयोगों की समीक्षा की गई। शोध परामर्शी समूह की बैठक में निम्न नये प्रयोग/कार्यों का अनुमोदन किया गया :–

1. Clonal propagation (vegetative propagation) of Shisham *(Dalbergia sissoo)* in mist chamber as well as in agrinet house.
2. Raising of fruit plants through Clonal propagation (vegetative propagation) of *phyllanthus emblica, Psidium guajava* and *Punica granatum.*
3. Development of nature trail at Arboretum.
4. Provenance trial of *Jatropha curcas*.
5. Regeneration of Padal *(Stereospermum suaveolens)* by Root Sucker Method.

- शुष्क वन अनुसंधान केन्द्र (आफरी) जोधपुर में निम्न तीन Collaborative अनुसंधान परियोजनाएं प्रगति पर हैं :

1. Productivity and Biometrics studies of some important species in semi-arid regions of Rajasthan for their sustainable management.
2. Phytoremediation of soil for productivity enhancement during land disposal of effluent.
3. Assessment of Guggul germ plasm for studying population density, Female-male plant ratio for in-situ and ex-situ conservation in Rajasthan.

- नीम चमेली *(Millingtonia hortensis)* की जड़ों से सकर्स के टुकड़े लेकर मदर बैड्स में मिट्टी में क्षैतिज रूप से दबाये गये। सकर्स में सफलतापूर्वक फूटान किया। इन फूटे हुए सकर्स को थैलियों में स्थानान्तरित कर सफलतापूर्वक पौधे तैयार किये गये।

- श्योनाक *(Oroxylum indicum)* के बड़ी थैलियों के पौधों को भूमि सतह पर मृदा मिश्रण पर Raised bed पैटर्न पर रखा गया। थैलियों से निकलने वाली जड़ों को काटा नहीं गया बल्कि उठे हुए बेड में अन्दर घुसने दिया गया। वर्षा ऋतु में थैलियों को हटाया गया जिससे बाहर निकलती जड़ें टूटकर भूमि में ही रह गयीं। भूमि में रह गयीं सभी जड़ों ने फूटान कर नये पौधों को जन्म दिया।

- वानिकी अनुसंधान कार्यों के लिए जोधपुर आफरी द्वारा आयोजित Stakeholders की बैठक में वन वर्धन कार्यालय के अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया तथा इसके अलावा आफरी, जोधपुर की शोध

परामर्शी समूह (Research Advisory Group) की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक हेतु मुख्य वन संरक्षक, वन वर्धन द्वारा महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये गये।

- वर्ष 2011-12 में वन अनुसंधान फार्म, गोविन्दपुरा, जयपुर में कैम्पा कार्यक्रम के अन्तर्गत 1000 मीटर पक्की दीवार का निर्माण कराया गया एवं एक वाटर हार्वेस्टिंग संरचना का निर्माण कराया गया।

- वर्ष 2012 में कार्यालय वन वर्धन की वार्षिक रिपोर्ट तैयार की गयी जिसमें वर्ष 2011-12 के समस्त कार्यों एवं गतिविधियों का समावेश किया गया। रिपोर्ट में ग्रास फार्म नर्सरी परिसर में स्थित समस्त वनस्पति एवं जीवजगत का विवरण भी दिया गया। ग्रास फार्म नर्सरी परिसर क्षेत्र को कंजरवेशन रिजर्व घोषित करने हेतु तकनीकी दस्तावेज भी तैयार किया गया।

- वर्ष 2012 में वन अनुसंधान फार्म, गोविन्दपुरा में 1.5 हैक्टेयर क्षेत्र में ग्राफ्टेड आंवला के 500 वृक्ष लगाये गये, जिसमें से 250 पौधों को Drip irrigation पद्धति से पानी पिलाया जा रहा है।

- वर्ष 2011-12 में वन अनुसंधान फार्म गोविन्दपुरा में आसपास के ग्रामीणों के 247 परिवारों को 297 टन धामण घास *(Cenchrus ciliaris)* निकासी के रूप में नि:शुल्क दी गयी। वर्ष 2012 में आसपास के ग्रामीणों के 178 परिवारों को 470.016 टन धामण घास *(Cenchrus ciliaris)* निकासी के रूप में नि:शुल्क दी गयी।

- वर्ष 2012 वन मण्डल बारां से पीले फूलों वाले पलास *(Butea monosperma Var. Lutea)* के बीज एकत्रित करवाये गये तथा एकत्रित बीजों से विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान व ग्रास फार्म नर्सरी, जयपुर में पौधे तैयार किये जा रहे हैं।

बीज, मृदा व जल की जाँच :- वन वर्धन शाखा की मृदा व बीज परीक्षण प्रयोगशालाएं न केवल विभिन्न कार्यालयों द्वारा भेजे गये बीज, मिट्टी व पानी के नमूनों की जाँच करती है अपितु आम जनता द्वारा लाये गये नमूनों की नि:शुल्क जाँच कर उपयुक्त सुझाव देती है। बीज परीक्षण प्रयोगशाला में वर्ष 2011-12 में वन विभाग के बीस विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त सैतीस वानिकी प्रजातियों के बीजों के 151 सैम्पल एवं इस वर्ष में दिसम्बर, 2012 तक 204 सैम्पल का परीक्षण कर रिपोर्ट भिजवाई गई है। इसी प्रकार वन विभाग के कार्यालयों एवं किसानों से वर्ष 2011-12 में 23 सैम्पल जल के तथा 57 सैम्पल मृदा के और इस वर्ष दिसम्बर, 2012 तक जल के 3 एवं मृदा के 24 सैम्पलों की जांच कर रिपोर्ट सम्बन्धित को भिजवाई गई है।

बीज उत्पादक क्षेत्र (Seed Production Area):- अच्छी किस्म के वृक्ष तैयार करने के लिए उन्नत किस्म के बीजों का विशेष महत्त्व होता है। उन्नत व निरोगी बीजों के लिए वन वर्धन कार्यालय निरोग वृक्ष एवं वृक्षारोपण क्षेत्रों का चयन कर उन्हें बीज उत्पादक क्षेत्र घोषित कर वहीं से श्रेष्ठ किस्म के बीज एकत्रित कर राज्य के विभिन्न कार्यालयों को प्रेषित करता है। वर्ष 2011-12 में तालिकानुसार नये वन क्षेत्रों में उच्च गुण (phenotypically superior) के वृक्ष होने के कारण बीज उत्पादन क्षेत्र की घोषणा की गई :-

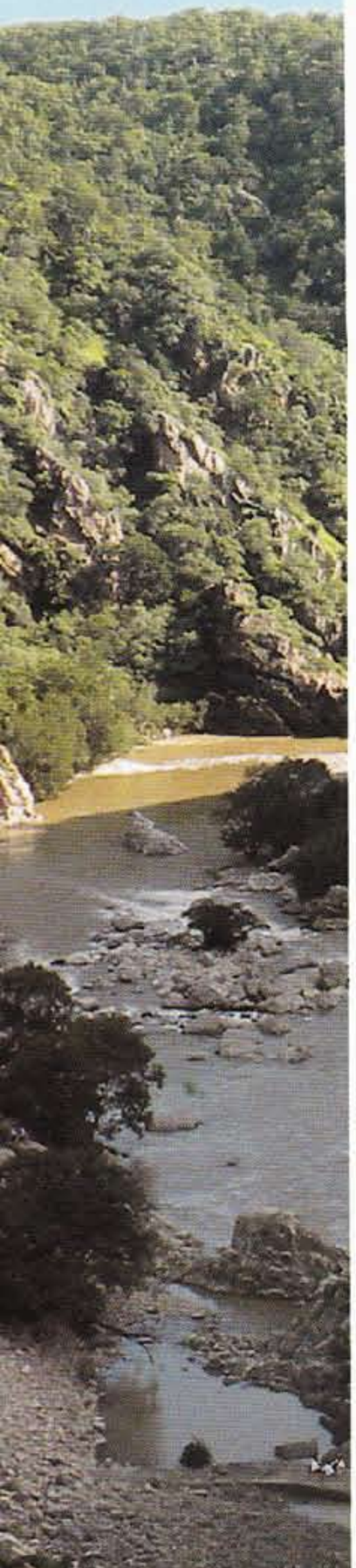

छाया सौजन्य : श्रुति शर्मा

आंवला बीज (*Phyllanthus emblica*) उत्पादक क्षेत्र, गोविन्दपुरा, जयपुर

S.No.	Name of SPA	Area	Species	Division	Year of creation
1.	Beed Govindpura , Govindpura Research Farm, Jaipur	95 Ha	*Prosopis cineraria*	CF (Silva)	2011-12
2.	Gurumba Plantation 89-90, Range Pushker	50 Ha	*Acacia senegal*	Ajmer	2011-12
3.	Ganoli, Range Mandalgarh	100 Ha	*Acacia leucophloea*	Bhilwara	2011-12
4.	Beer Fatehpur, Range Fatehpur	180 Ha	*Acacia senegal*	Sikar	2011-12
5.	Umarjhala Pathara, Range Ghatol	50 Ha	*Acacia catechu*	Banswara	2011-12

वर्ष 2012–13 में जयपुर, दौसा, अलवर, टोंक, भरतपुर, बाड़मेर, सीकर, नागौर, भीलवाड़ा, करौली, उदयपुर आदि जिलों में विभिन्न प्रजातियों के बीज उत्पादक क्षेत्रों को घोषित करने की कार्यवाही प्रगति पर है।

इसके अतिरिक्त पुराने बीज उत्पादन क्षेत्रों की समीक्षा की गई जिसके अन्तर्गत बीज उत्पादन क्षेत्र शीशम (संजय वन, शाहपुरा) और खेजड़ी (भैंसलाना, जोबनेर) का बीज उत्पादन क्षेत्र का दर्जा समाप्त किया गया।

बीज एकत्रीकरण :– वर्ष 2011–12 में विभिन्न बीज उत्पादक क्षेत्रों से कुमठा *(Acacia senegal)* का 1135 किलो बीज एकत्रित करवाया जाकर विभिन्न वन मण्डलों को कीमतन उपलब्ध कराया गया। वर्ष 2012–13 में कुमठा *(Acacia senegal)*, इजरायली बबूल *(Acacia tortalis)*, खैर *(Acacia catechu)* का बीज विभिन्न बीज उत्पादक क्षेत्रों से एकत्रित करवाये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है।

औषधीय पौधे :– बांकी अनुसंधान फार्म, उदयपुर की पौधशाला में विभिन्न प्रजातियों के औषधीय पौधों का

छाया सौजन्य : एस. के. अग्रवाल

बांकी अनुसंधान केन्द्र, उदयपुर में सर्पगंधा *(Rauwolfia serpentina)* का औषधीय पौधा

तैयार कर वन विभाग के वृक्षारोपण क्षेत्रों हेतु एवं आमजन को वितरित करने का कार्य किया जाता है। वर्ष 2011–12 में 10,000 औषधीय पौधे लगभग 43 विभिन्न प्रजातियों के तैयार किये जाकर इनका वितरण वित्तीय वर्ष 12–13 में किया गया है। मुख्य प्रजातियां जिनके पौधे तैयार किये गये वे निम्न प्रकार हैं :– दमा बेल *(Tylophora asthamatica)*, अश्वगंधा *(Withania somnifera)*, अरीठा *(Sapindus emarginatus)*, अकरकरा *(Acmella oleracea)*, सिन्दूरी *(Bixa orellana)*, हडजोड *(Cissus quadrangula)*, विष तेन्दू *(Diospyros montana)*, तनस *(Ougeinia oojeinensis)*, हिंगोट *(Balanitis aegyptica)*, श्योनाक *(Oroxylum indicum)*, गूगल *(Commiphora wightii)*, बहेड़ा *(Terminalia bellerica)*, चित्रक *(Plumbago zeylanica)*, मालकांगनी *(Celastrus paniculatus)*, सर्पगंधा *(Rauwolfia serpentina)*, जमालगोटा *(Jatropha gossypifolia)*, पीपलामूल *(Peperomia pellucida)*, तुलसी *(Ocimum sanctum)*, काला धतूरा *(Datura ferox)*, शतावरी *(Asparagus racemosus)*, शिकाकाई *(Acacia sinuata)*, पत्थर चट्टा *(Bryophyllum pinnatum)*, गुडमार *(Gymnema sylvestre)* प्रमुख है। वर्ष 12–13 में भी विभिन्न प्रजातियों के 10000 औषधीय पौधे बांकी अनुसंधान फार्म में तैयार किये जा रहे हैं।

गूगल :– वन अनुसंधान फार्म, बांकी में गूगल के पौधे को कटिंग द्वारा विभिन्न हार्मोन का इस्तेमाल कर 95 प्रतिशत तक परिणाम प्राप्त कर तैयार किया गया। विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान एवं ग्रास फार्म नर्सरी, जयपुर में गूगल के Orchard का संधारण किया गया। विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान, जयपुर में गूगल का जीवितता प्रतिशत 90 तथा ग्रास फार्म नर्सरी, जयपुर में जीवितता 80 प्रतिशत से अधिक है।

पौधशालाएं :– विभिन्न प्रजातियों के पौधे पौधशालाओं में तैयार कर वितरण करना इस कार्यालय की मुख्य गतिविधियों में से एक है। वर्ष 2011–12 में 5.95 लाख लक्ष्य के विरुद्ध 3.33 लाख पौधों का वितरण किया गया। वर्ष 2012–13 में 4.25 लाख लक्ष्य के विरुद्ध माह दिसम्बर, 2012 तक 3.246 लाख पौधों का वितरण किया जा चुका है। वर्ष 2012–13 में विभिन्न नर्सरियों के लिए 2.25 लाख पौधे तैयारी करने का लक्ष्य आवंटित किया गया है लेकिन इस कार्यालय के अधीन विभिन्न नर्सरियों में वर्ष 11–12 के लगभग 4.00 लाख पौधे वितरण के पश्चात् बचे हुए हैं जिनका वितरण आगामी वर्ष में जुलाई, 2013 से किया जाएगा। ग्रास फार्म नर्सरी व बांकी अनुसंधान केन्द्र, उदयपुर में इस वर्ष टेबुविया ओरिया, टेबुविया रोजिया, अलमण्डा, आकाश नीम, श्योनाक, कैथ, काईजेलिया, कल्पवृक्ष व अन्य कुल 80 महत्त्वपूर्ण प्रजातियों के पौधे भी वितरण के लिए तैयार किये जा रहे हैं। नर्सरी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रास फार्म नर्सरी में नौ पक्के बेड्स भी बनाये गये।

तकनीकी बुलेटिन :– वन वर्धन कार्यालय द्वारा वर्ष 2011–12 में दो तकनीकी बुलेटिन बटरकप ट्री/गलगल *(Cochlospermum religiosum)* व मालकांगनी *(Celastrus paniculatus)* जारी किये गये। इन बुलेटिनों में मालकांगनी व बटरकप ट्री के बारे में समस्त जानकारियों का समावेश किया गया है। बुलेटिन में इस कार्यालय द्वारा मालकांगनी पर किये गये प्रयोग व

उनके परिणामों का भी उल्लेख किया गया है। वर्ष 2012–13 में तीन तकनीकी बुलेटिन जारी करने की कार्यवाही प्रगति पर है।

प्रकृति पथ ग्रास फार्म नर्सरी, जयपुर में वर्ष 2011–12 में चिरौंजी, हरड़, महुआ, अरीठा, रायन, गधापलास, स्पेथोडिया, आकाश नीम, कैथ, हवन आदि के वृक्ष लगाये गये तथा वर्ष 2012 में इनका संधारण किया गया।

इस कार्यालय द्वारा वानिकी अनुसंधान कार्यों के लिए आफरी, जोधपुर तथा स्थानीय स्तर पर राजस्थान विश्व विद्यालय के वनस्पति विभाग एवं दुर्गापुरा अनुसंधान केन्द्र से अनुसंधान गतिविधियों हेतु तालमेल किया जाता है।

वृक्ष वानिकी उद्यान में पाम के पौधे

वन भूमि को अतिक्रमण से बचाने हेतु दीवार निर्माण, गोविन्दपुरा, जयपुर

छाया सौजन्य : श्रुति शर्मा

11

विभागीय कार्य

विभागीय कार्य योजना:

वर्ष 1968 से पूर्व जलाऊ लकड़ी एवं अन्य वन उपज की मांग की पूर्ति हेतु वन क्षेत्रों के ठेके खुली नीलामी द्वारा दिये जाते थे। ठेकेदारों द्वारा अपने लाभ के लिए वन क्षेत्रों की निरंकुश एवं अवैज्ञानिक तरीकों से कटाई किए जाने के कारण वनों को अत्यधिक क्षति होती थी, जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर वर्ष 1968 में विभागीय कार्ययोजना द्वारा वनों के चिह्नित कूपों को वैज्ञानिक पद्धति से स्वीकृत कार्य आयोजना के अनुसार विदोहन कर आम जनता को सस्ती दरों पर जलाऊ लकड़ी, कोयला, इमारती लकड़ी एवं अन्य वन उपज उपलब्ध कराई जाने एवं राजस्व अर्जन हेतु स्वीकृति प्रदान की।

विभागीय कार्ययोजना के उद्देश्य :

- ठेकेदार द्वारा निरंकुश कटाई से वनों की सुरक्षा;
- विदोहन किये गये वनों की सुरक्षा एवं प्रबन्धन तथा वन पुनरुत्पादन के लिए वैज्ञानिक पद्धति अपनाना ;
- उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर कोयला एवं जलाऊ लकड़ी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना;
- पिछड़े वर्ग एवं जनजाति के श्रमिकों को उचित श्रमिक दर पर श्रम कार्य दिलवाना; तथा
- राज्य के लिए राजस्व प्राप्ति करना आदि।

प्रशासनिक व्यवस्था :

मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य, जयपुर के नियंत्रण में प्रदेश में वन उपज के विदोहन व निस्तारण का कार्य किया जाता है। इसके अधीन पांच उप वन संरक्षक निम्न प्रकार से कार्यरत हैं –

1. उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, बीकानेर
2. उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, स्टेज–II, बीकानेर
3. उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, सूरतगढ़
4. उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, उदयपुर
5. उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, जयपुर

उक्त वन मण्डलों को विभागीय कार्य मण्डल कहा जाता है। उप वन संरक्षक, बीकानेर/सूरतगढ़ एवं स्टेज–II, बीकानेर द्वारा इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार पूर्व में, नहर के किनारे एवं नहर क्षेत्र में कराये गये वृक्षारोपणों का विदोहन कराया जा रहा है।

उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, उदयपुर में मुख्यत: भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्य वर्किंग स्कीम के अनुसार बांस कार्य का विदोहन उदयपुर जिले में करवाया जा रहा है।

उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, जयपुर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ाईकरण के फलस्वरूप वृक्षों के विदोहन से प्राप्त होने वाली लकड़ी एवं प्रादेशिक वन मण्डलों से प्राप्त गिरी पड़ी लकड़ी के विदोहन का कार्य कराया जा रहा है।

विभागीय कार्ययोजना की विभिन्न योजनाएँ:

लकड़ी व्यापार योजना:

बढ़ती हुई जनसंख्या एवं औद्योगीकरण से वनों पर बढ़ते दबाव से वन क्षेत्र एवं उनकी सघनता में हुई कमी के कारण राज्य सरकार ने वर्ष 1993–94 से प्राकृतिक वन क्षेत्रों से जलाऊ लकड़ी का विदोहन पूर्ण रूप से बन्द किया हुआ है। प्राकृतिक वन क्षेत्रों में लकड़ी विदोहन हेतु वृक्षों का पातन बंद होने के कारण सूखी–गिरी पड़ी लकड़ी का संग्रहण मात्र ही कराया जाता है। यह कार्य संबंधित प्रादेशिक वृत्त के वन संरक्षक एवं प्रादेशिक उप वन संरक्षक की सहमति के आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य में विभिन्न सड़कों एवं नहर के किनारों पर खड़े वृक्षों के आंधी–तूफान से गिरने अथवा सूख जाने पर उनसे भी कुछ मात्रा में लकड़ी प्राप्त होती है। मार्च, 1999 में दसवर्षीय वर्किंग प्लान के तहत वर्किंग स्कीम को केन्द्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् दिसम्बर, 1999 में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना प्रथम चरण में खड़े परिपक्व वृक्षारोपणों का योजना के अनुसार चरणबद्ध रूप से विदोहन आरम्भ किया गया है। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, स्टेज–द्वितीय में सूखे पेड़ों एवं गिरी पड़ी लकड़ी को इकट्ठा कराया जाकर उसका बेचान जैसलमेर विक्रय केन्द्र पर आरम्भ किया गया। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 में कराए गए वन उपज के विदोहन से प्राप्त आय एवं उत्पादन का विवरण तालिकानुसार है :

वर्ष	उत्पादन (क्विंटल में)		योग	प्राप्त राजस्व
	इमारती लकड़ी	जलाऊ लकड़ी	क्विंटल	(₹ लाखों में)
1	2	3	4	5
2011–12	1.64 Lac Qtl.	2.80 Lac Qtl.	4.44 Lac Qtl.	₹2107.47

वित्तीय वर्ष 2012–13 में राशि ₹ 2200.00 लाख के राजस्व लक्ष्य जलाने की लकड़ी एवं कोयला व्यापार योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है जिनमें शत–प्रतिशत अर्जन के पूर्ण प्रयास किये जावेंगे क्योंकि उक्त प्रस्तावित राजस्व लक्ष्यों को अर्जित करने के लिए लगभग 5.50 लाख क्विंटल जलाऊ एवं इमारती लकड़ी का उत्पादन इंदिरा गांधी नहर परियोजना, स्टेज–प्रथम एवं स्टेज–द्वितीय के पेड़ों के पातन से प्राप्त लकड़ी से होगा इसके अतिरिक्त सूखी–गिरी पड़ी लकड़ी एवं सड़क किनारे के पेड़ों की कटाई से प्राप्त लकड़ी द्वारा भी उत्पादन संभव होगा।

वित्तीय वर्ष 2012–13 में माह दिसम्बर, 2012 तक राशि ₹ 982.03 लाख का राजस्व अर्जन आवंटित लक्ष्य ₹2200.00 लाख के विरुद्ध कर लिया गया तथा 5.50 लाख क्विंटल लकड़ी उत्पादन लक्ष्य के विरुद्ध 1.83 लाख क्विंटल लकड़ी उत्पादन लक्ष्य अर्जित कर लिया गया। वर्ष 2012–13 में आवंटित लक्ष्यों के विरुद्ध अर्जित उत्पादन एवं राजस्व की स्थिति का विवरण निम्नानुसार है :

विभागीय कार्य मण्डल का नाम	आवंटित राजस्व लक्ष्य (लाखों में)	राजस्व आय माह 12 /2012 तक प्राप्ति राशि (₹ लाखों में)	उत्पादन लक्ष्य (क्विंटल लाखों में)	उत्पादन प्राप्ति (क्विंटल में) (माह 12/2012)		योग (क्विंटल लाखों में)
				इमारती लकड़ी (क्विंटल लाखों में)	जलाऊ लकड़ी (क्विंटल लाखों में)	
1	2	3	4	5	6	7
बीकानेर	–	514.24	2.50	0.35	0.11	0.46
सूरतगढ़	–	624.85	2.00	0.32	0.35	0.67
उदयपुर	–	5.47	0.50	0.12	0.04	0.16
जयपुर	–	234.49	0.50	.013	0.41	0.54
स्टेज–II	–	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	**2200.00**	**1379.05**	**5.50**	**0.92**	**0.91**	**1.83**

बाँस विदोहन योजना :

इस योजना के अन्तर्गत उदयपुर के वन क्षेत्रों में स्वीकृत वर्किंग स्कीम के आधार पर बाँस विदोहन कार्य करवाया जाता है। स्वरूपगंज एवं उदयपुर में बाँस डिपो कायम किये गये हैं, जहां बाँस के कूपों से बाँस कटवाकर एकत्रित कराया जाता है व हर माह निश्चित तिथियों पर नीलाम किया जाकर राजस्व प्राप्त किया जाता है। गत वर्ष 2011–12 में इस योजना के अन्तर्गत उत्पादन एवं आय की सूचना निम्न प्रकार है :–

वर्ष	मानक बांस उत्पादन के लक्ष्य (संख्या लाखों में)	मानक बांस उत्पादन (संख्या लाखों में)	मानक बांसों से प्राप्त राजस्व आय (₹ लाखों में)
2011–12	12.00	14.01	298.24

वर्ष 2012–13 में बांस में राजस्व आय का लक्ष्य राशि ₹ 320.00 लाख प्रस्तावित है तथा 12.00 लाख मानक बांसों का उत्पादन होना भी संभावित है जिसके अर्जन के पूर्ण प्रयास किये जायेंगे।

वित्तीय वर्ष 2012–13 में माह दिसम्बर, 2012 तक बांस से प्राप्त राजस्व आय आवंटित लक्ष्य ₹320.00 लाख के विरुद्ध ₹ 224.66 लाख हो चुकी है तथा 4.62 लाख मानक बांस का उत्पादन हो चुका है। बांस उत्पादन मात्र विभागीय कार्य मण्डल, उदयपुर में किया जाता है।

वर्ष 2012–13 में आवंटित लक्ष्यों के विरुद्ध अर्जित उत्पादन एवं राजस्व आय की प्रगति निम्नानुसार है :–

वर्ष	उत्पादन		राजस्व आय (राशि ₹ लाखों में)	
	लक्ष्य (मानक बांस)	उत्पादन (मानक बांस) 12/2012	राजस्व लक्ष्य (राशि ₹ लाखों में)	प्राप्ति 12/2011 तक
2012–13	12.00	4.82 लाख	320.00	224.66 लाख

वर्ष 2012–13 में माह दिसम्बर, 2012 तक कुल (लकड़ी एवं बांस योजना सहित) राजस्व आय ₹1206.70 लाख प्राप्त किया जा चुका है।

अन्य कार्य :

उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डलों के द्वारा स्वीकृत योजना में वन उपज के विदोहन के अतिरिक्त करवाये जाने वाले कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :

1. वन क्षेत्र जो अन्य परियोजनाओं के लिये हस्तान्तरित किये जाते हैं ऐसे क्षेत्रों में वन उपज का विदोहन।
2. प्रादेशिक वन मण्डलों में गिरी–पड़ी लकड़ी का निष्पादन।
3. राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य मार्गों के किनारे से प्राप्त वन उपज का विक्रय करना।
4. उदयपुर वन मण्डल द्वारा राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना एवं आयोजना भिन्न मद के अन्तर्गत बांस उत्पादन बढ़ाने हेतु बांस थुरों में कल्चरल कार्य भी करवाये जा रहे हैं।

○○○

सीतामाता अभयारण्य में गर्म एवं ठण्डे पानी का झरना — छाया : पी. सी. जैन

12

तेन्दू पत्ता योजना

राजस्थान राज्य के वन उत्पादों में तेन्दू पत्ता लघु वन उपज, आय प्राप्ति का प्रमुख स्रोत है। तेन्दू के वृक्षों से प्राप्त पत्तों से बीड़ी बनाने का कार्य किया जाता है। तेन्दू के वृक्ष ज्यादातर झालावाड़, बारां, कोटा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर जिलों के वन क्षेत्रों में पाये जाते हैं, किन्तु अल्प संख्या में ये वृक्ष बूंदी, सिरोही, भीलवाड़ा, पाली, अलवर एवं धौलपुर जिलों के वन क्षेत्रों में भी पाये जाते हैं।

राजस्थान राज्य में तेन्दू पत्ता का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1974 में राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) अधिनियम, 1974 पारित कर किया गया। राष्ट्रीयकरण के मुख्य उद्देश्य विभिन्न संग्रहण एजेंसियों को समाप्त कर व्यापार पर राज्य सरकार का नियंत्रण स्थापित करना, श्रमिकों को ठेकेदारों के शोषण से मुक्ति दिलवाना, तेन्दू वृक्षों में वैज्ञानिक रूप से कर्षण कार्य व अन्य सुधार कार्य करवाये जाकर पत्ते की किस्म में सुधार लाना एवं राज्य के राजस्व में वृद्धि करना था।

राष्ट्रीयकरण के पश्चात् राज्य सरकार ही तेन्दू पत्ता का व्यापार करने हेतु अधिकृत है। तेन्दू पत्ता संग्रहण करने वाले श्रमिकों को शोषण से मुक्ति हेतु अधिनियम की धारा–6 के अन्तर्गत विभिन्न संभागों के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रत्येक संभाग हेतु पृथक्–पृथक् सलाहकार समितियों का गठन किया जाता है जिससे सम्बन्धित राज्याधिकारियों के अतिरिक्त क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों एवं तेन्दू पत्ता व्यापारियों को भी मनोनीत किया जाता है। उक्त सलाहकार समितियां प्रतिवर्ष राज्य में तेन्दू पत्ता संग्रहण–कर्ता श्रमिकों को चुकायी जाने वाली संग्रहण दरों को निर्धारित किये जाने की सिफारिश करती है। संग्रहण दरों में राष्ट्रीयकरण के पश्चात् उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। वर्ष 1974 में यह दर ₹ 18 से 20 प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई थी जो निरन्तर वृद्धि के पश्चात् वर्ष 2013 के संग्रहण काल हेतु ₹ 700 प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई है।

तेन्दू पत्ता व्यापार हेतु अधिनियम की धारा–3 के अन्तर्गत प्रतिवर्ष सम्पूर्ण राज्य के तेन्दू पत्ता उत्पादन क्षेत्रों को इकाइयों में विभक्त कर इकाई का गठन किया जाकर उनका बेचान नीलामी द्वारा किया जाता है। विक्रय से अवशेष रही इकाइयों में राज्यादेश के अनुरूप विभागीय तौर से पत्ता संग्रहित करवाया जाकर पत्तों का नीलामी द्वारा बेचान किया जाता है, अथवा पड़त रखा जाता है।

वर्ष 2012 के लिए राज्य की कुल 174 इकाइयों का गठन किया गया जिनके बेचान से लगभग ₹ 1933.81 लाख की आय प्राप्त होने का अनुमान है।

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	निष्पादन का तरीका	इकाइयों की संख्या	विक्रय से प्राप्त होने वाली आय
1.	निविदा/नीलामी से अग्रिम व्ययन द्वारा	174	1933.81

वर्ष 2012 हेतु सलाहकार समितियों की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा ₹ 625 प्रति मानक बोरा संग्रहण दर निर्धारित की गई थी। कुल 450659 मानक बोरा संग्रहित हुआ जिस हेतु आय लगभग ₹ 2816.62 लाख श्रमिकों को सीधे ही क्रेताओं द्वारा पारिश्रमिक चुकाया गया है।

वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 की वास्तविक राजस्व प्राप्तियां अग्रानुसार रही है :–

क्र. सं.	विवरण	वास्तविक प्राप्तियां (₹ लाखों में) 2011–12	नवम्बर, 12 तक कुल प्राप्तियां वर्ष 2012–13 (₹ लाखों में)
1.	तेन्दू पत्तों के विक्रय से प्राप्त आय	1056.79	1345.96
2.	अन्य विविध आय	15.51	9.94
	योग	**1072.30**	**1355.90**

वर्ष 2013 से संग्रहण काल हेतु राज्य सरकार द्वारा सलाहकार समितियों का गठन किये जाने के पश्चात् माह नवम्बर–दिसम्बर में संभाग स्तर पर बैठकों का आयोजन किया जाकर वर्ष 2013 के संग्रहण काल हेतु ₹ 700 प्रति मानक बोरा संग्रहण दर निर्धारित की गई है।

वर्ष 2013 के लिए राज्य में कुल 172 तेन्दू पत्ता इकाइयों का गठन किया जाकर राजपत्र में प्रकाशन करवाया जा चुका है तथा उक्त इकाइयों के विक्रय हेतु निविदाएं दिनांक 16.01.13 को आमंत्रित की जाकर दिनांक 17.01.13 को खोली जानी हैं।

राजस्थान पंचायतीराज (उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपान्तरण) अधिनियम 1999 एवं राजस्थान पंचायतीराज (उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपान्तरण) नियम 2011 के नियम 26 (2) व 26 (3) की पालना में अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों को तेंदू पत्ता योजना से प्राप्त शुद्ध आय राशि ₹ 268.34 लाख तथा बांस योजना के अन्तर्गत ₹ 40.38 लाख कुल ₹ 308.72 लाख का हस्तान्तरण वर्ष 2011–12 के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर द्वारा किया जा चुका है। वर्ष 2012–13 के लिए कुल बजट प्रावधान ₹ 339.59 लाख रखे गये हैं जिनमें ₹ 281.99 लाख तेंदू पत्ता योजना से सम्बन्धित हैं।

○○○

अर्द्ध सदाबहार वनों के बीच माउन्ट आबू में स्थित नक्की झील

छाया : महेन्द्र कुमार सक्सेना

13

सूचना प्रौद्योगिकी

वन विभाग की सूचना प्रौद्योगिकी शाखा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त के अधीन मुख्य वन संरक्षक, सूचना प्रौद्योगिकी के नियंत्रण में कार्य कर रही है। चालू वर्ष में इस शाखा द्वारा किए गए कार्यों का विवरण इस प्रकार है :–

विभागीय वेबसाइट (rajforest.nic.in) का विकास एवं संधारण :

राजस्थान की वन सम्पदा के क्षेत्रफल, प्रकार एवं उनमें पाई जाने वाली वनस्पतियां, वनों के सम्बन्ध में लागू होने वाले कानून एवं वन प्रबन्ध, वन संरक्षण विभिन्न परियोजनाओं की जानकारी वेबसाइट के माध्यम से आम जन को उपलब्ध कराई गयी है। साथ ही वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रस्तावों की स्थिति का मासिक तौर पर विवरण, विभागीय अधिकारियों की सूची एवं उनके पदस्थापन इत्यादि पूर्व वर्ष की भांति ही दिए गए हैं एवं समय–समय पर अद्यतन भी किए जाते हैं।

विभागीय वेबसाइट के माध्यम से विभाग के कार्य–कलापों को आमजन के लिए अधिकाधिक उपयोगी बनाने हेतु इस वर्ष नवीन सूचनाओं का समावेश किया गया है। इस प्रयास से वेबसाइट का आकार लगभग 2 जीबी विभागीय वेबसाइट पर सही एवं शीघ्रतापूर्वक सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए विभाग के विभिन्न अनुभागों को उनसे सम्बन्धित पृष्ठ आवंटित कर उनमें संशोधन एवं नवीन सूचनाएं दर्शाने की सुविधा प्रदान की गयी है। परिणामस्वरूप आमजन को नवीनतम सूचनाएं उपलब्ध हुई हैं। पिछले वर्ष में निम्न कार्य किये गये:–

a) विभाग की विभिन्न शाखाओं के अनुसार User Login की सुविधा से त्वरित कार्यवाही एवं नवीनतम सूचना उपलब्ध होने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

b) विभागीय सूचनाओं यथा कार्य आदेश, पदस्थापन, बजट, निविदाएं इत्यादि की सूचनाएं उपलब्ध करायी गयी हैं जिससे विभिन्न स्तर के कार्यालयों को तीव्र सूचना सम्प्रेषण होने से इन्हें क्रियान्वित करने में त्वरितता रहती है।

c) वेबसाइट पर उपलब्ध सूचनाओं को अनुभाग अनुसार व्यवस्थित करने का कार्य किया गया है जिससे आमजन को सूचना प्राप्त करने में सुविधा हो।

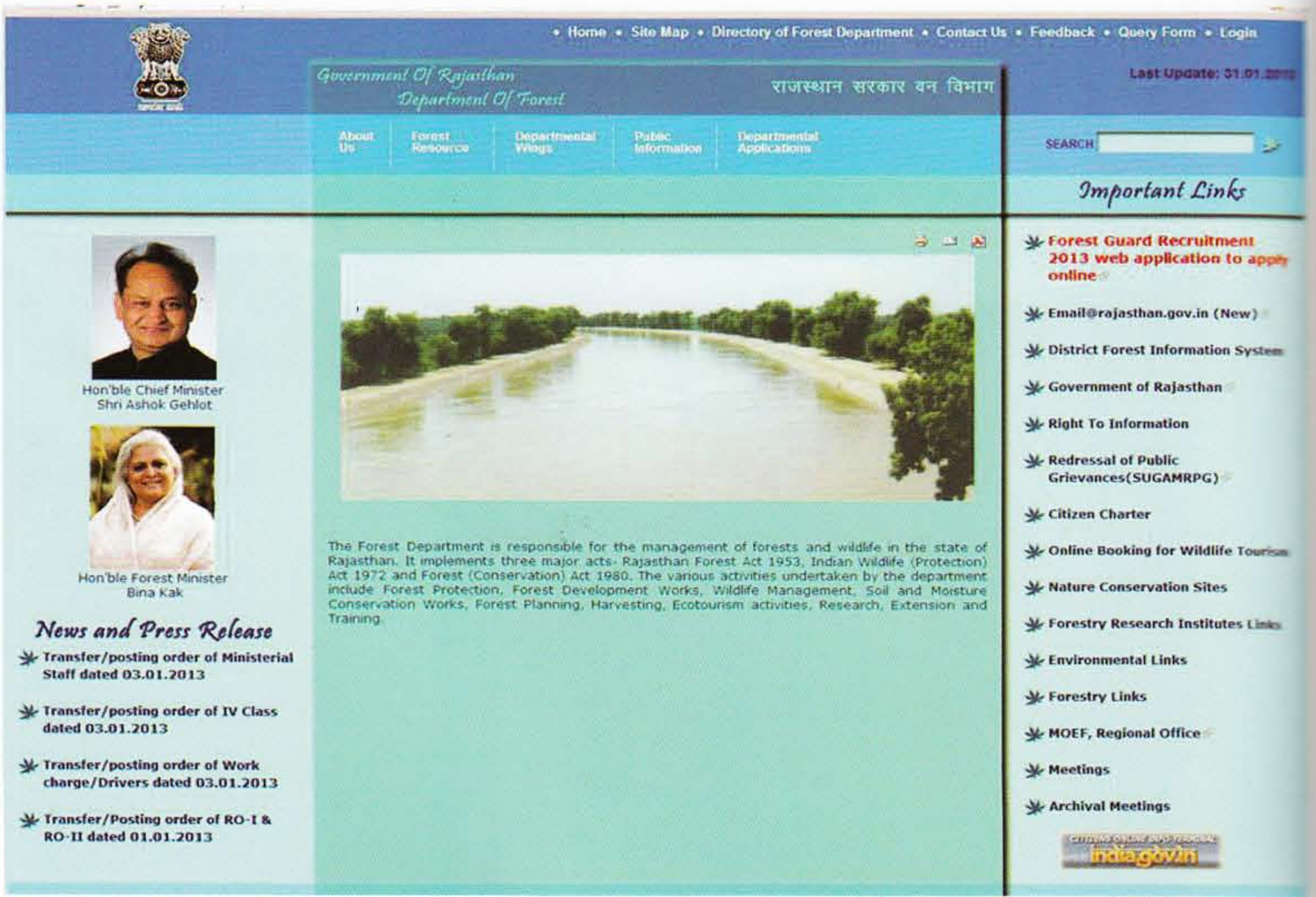

जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी (Remote Sensing, GIS and GPS etc.) का विकास :

1. स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेन्टर, जोधपुर के सहयोग से कैडस्ट्रल स्तर पर वन एटलस बनाने का कार्य प्रगति पर है। इसके अन्तर्गत अब तक जयपुर, दौसा, धौलपुर, टोंक, चूरू, सीकर, सवाईमाधोपुर, करौली (बफर) एवं झुंझुनूं के उपलब्ध अधिसूचित वन खण्डों का डिजिटाइजेशन पूर्ण कर लिया गया है तथा बूंदी, पाली, अलवर, अजमेर, बारां, बाड़मेर, भीलवाड़ा, भरतपुर, कोटा, जालौर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर एवं करौली जिले के अधिसूचित वन खण्डों का डिजिटाइजेशन कार्य प्रगति पर है। डिजिटाइजेशन के उपरान्त जी.आई.एस. डेटा का उपयोग करते हुए अन्य जिलों के लिए वन एटलस प्रारूप बनाने की कार्यवाही की जा रही है।

2. सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग द्वारा GIS Data के माध्यम से राजीव गांधी बायोस्फीयर रिजर्व की प्रबन्धन योजना तैयार की गयी है एवं 1:50000 स्केल पर मैप्स बनाकर केन्द्र सरकार को भेजे गये हैं।

3. GIS Data का उपयोग कार्य आयोजना सम्बन्धी स्टाक मैप्स एवं मैनेजमेंट मैप्स तैयार करने में किया गया है। इसमें दौसा, टोंक, सीकर, सवाईमाधोपुर, झुंझुनूं, नागौर एवं धौलपुर जिलों के मैप्स तैयार कर लिये गये हैं तथा शेष के लिए कार्यवाही की जा रही है।

4. डिजिटाइजेशन उपरान्त इस डाटा को उपयोग हेतु भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, देहरादून एवं उनके माध्यम से केन्द्र सरकार एवं माननीय उच्चतम न्यायालय को उपलब्ध कराया गया है। इस डाटा का उपयोग कर नम भू–खण्डों का अधिसूचना हेतु चिह्नीकरण, रणथम्भौर प्रबंधन योजना में सहयोग डिवीजन में kml file का उपलब्ध कराने का कार्य ग्रीन इंडिया मिशन में लैंडस्केप चिह्नीकरण एवं योजना सूत्रीकरण आदि अनेक कार्य किये गये हैं।

5. संभागीय एवं जिला स्तर पर GPS उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में तकनीकी तथा वित्तीय सहयोग प्रदान किया जा रहा है। इस क्रम में कोटा में GPS नाका स्तर तक उपलब्ध कराये गये हैं तथा शेष जिलों में भी उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

6. फील्ड स्तर पर GIS तकनीकी सम्बन्धी जानकारी देने हेतु समय–समय पर इस शाखा के तकनीकी अधिकारियों द्वारा विभाग के प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से फील्ड स्तर के कर्मचारी/अधिकारियों को प्रशिक्षण तथा सहायता प्रदान की गयी है।

ई–मेल सिस्टम का व्यापक उपयोग:

ई–मेल के माध्यम से सूचनाओं के त्वरित प्रवाह हेतु राजस्थान सरकार के डोमेन (rajasthan.gov.in) पर विभागीय अधिकारियों के लिए जारी किये गये E-mail IDs अब NIC के माध्यम से संचालित किये जा रहे हैं। इनमें हुए परिवर्तन एवं नवीन पदों के लिए E-mail IDs जारी कराने का कार्य किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों के सरकारी E-mail IDs अब NIC के mail server पर उपलब्ध होंगे।

वन प्रबंधन सूचना तंत्र (Forest Management Information System)

विभाग में बेहतर रूप से सूचनाओं के प्रबंधन एवं प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए वन प्रबंधन सूचना तंत्र के अन्तर्गत पूर्व में विकसित किये गये Module का संधारण एवं विकास किया जा रहा है एवं आवश्यकता अनुसार नवीन Module विकसित किये जा रहे हैं जिससे मासिक प्रगति प्रतिवेदन (MPR) के साथ–साथ अन्य सूचनाएं भी मंगायी जा सकेंगी। वन प्रबंधन सूचना तंत्र द्वारा विभाग की अनेक सूचनाओं को कम्प्यूटर में अत्यन्त व्यवस्थित रूप में संधारित करने से समय की बचत के साथ–साथ कार्यकुशलता भी बढ़ेगी। सूचना online में उत्तरोत्तर विकास करते हुए इसे पूर्णतया Web based बनाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे MPR online के साथ–साथ विभागीय जांच आदि की सूचना online भरकर प्रेषित की जा सकेगी। साथ ही Posting Information System को NIC से डाटा प्राप्त कर और अधिक विकसित कर इसे फील्ड कार्यालयों के उपयोग हेतु बनाया जा रहा है।

Forest Land Record Database Application

वन भू–अभिलेखों के रिकार्ड संधारण एवं अद्यतन किए जाने हेतु NIC जयपुर के माध्यम से Forest Land Record Database विकसित करने हेतु एक ऑन–लाइन

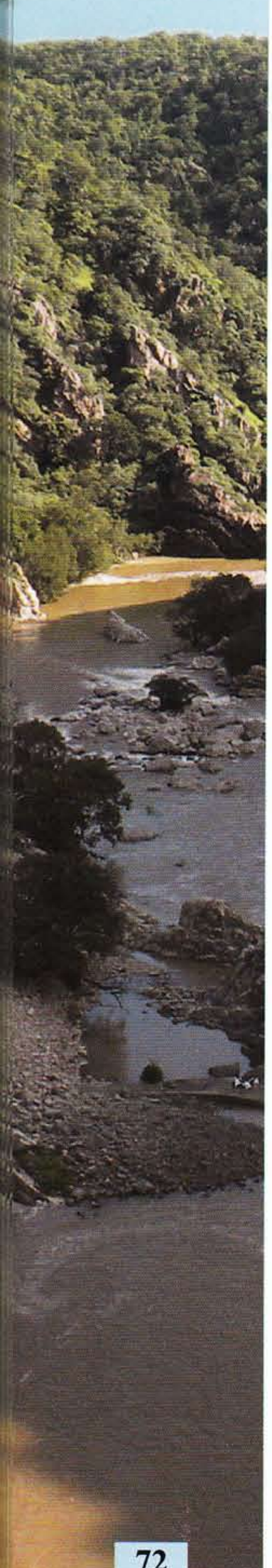

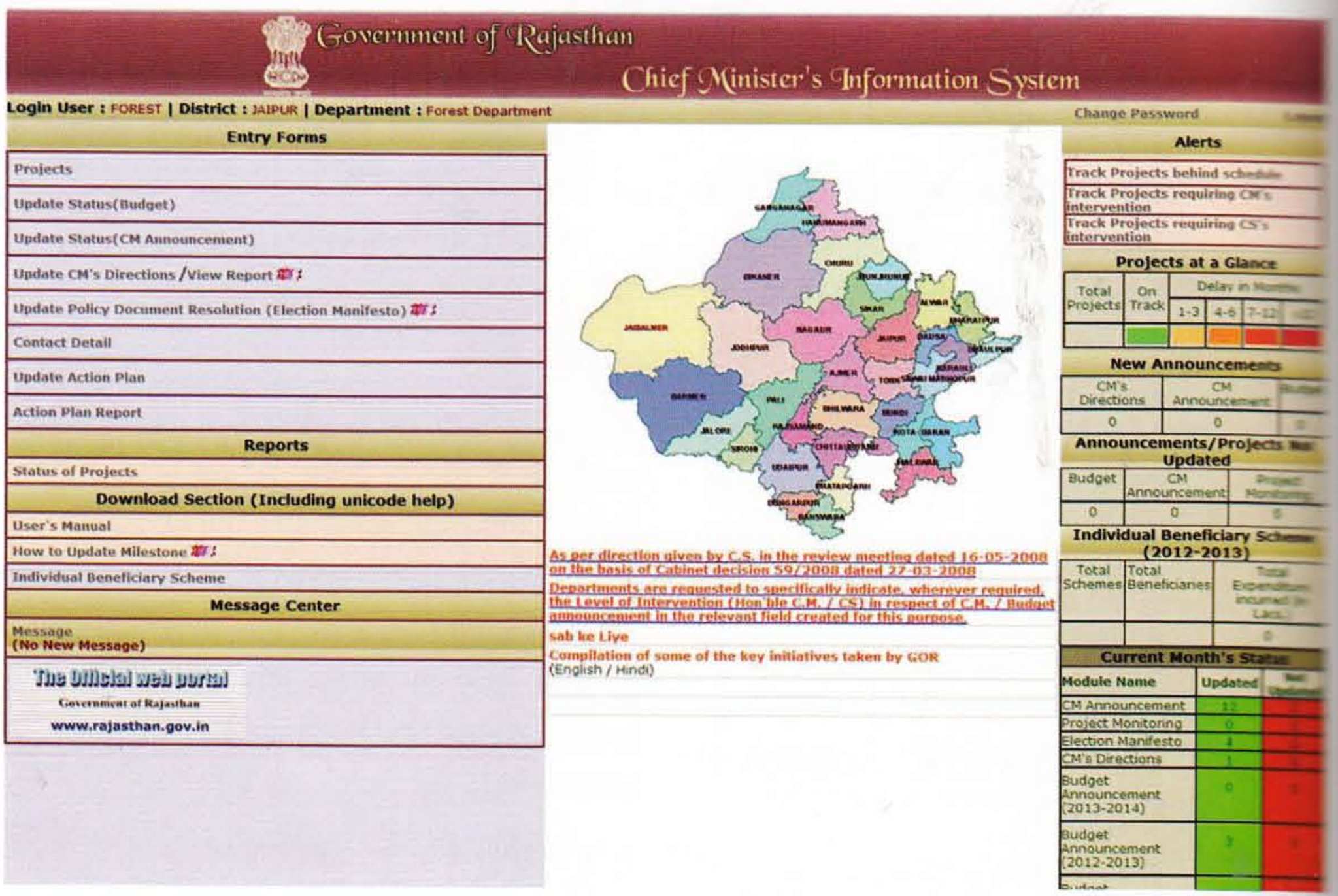

एप्लीकेशन का विकास किया गया है इसके माध्यम से नागरिकों द्वारा वन भू–अभिलेख को देखा जा सकेगा। अब तक जिला उदयपुर, भरतपुर, अजमेर, दौसा, सीकर, झालावाड़, झुंझुनूं, डूंगरपुर एवं नागौर का वन भूमि रिकॉर्ड कम्प्यूटराइज्ड कर दिया गया है जिसके प्रमाणीकरण की कार्यवाही की जा रही है। जयपुर, अलवर, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, बारां व प्रतापगढ़ की वन भूमि के रिकॉर्ड के कम्प्यूटराइजेशन का कार्य प्रगति पर है।

वित्तीय वर्ष 2011–12 में वन भू–अभिलेखों एवं जी.आई.एस. डिजिटाइजेशन प्रक्रिया को शामिल करते हुए NIC जयपुर के माध्यम से GIS based Forest Database Management Phase-I परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। इसके अन्तर्गत वन खण्डों के डिजिटाइज्ड मैप्स तथा स्केण्ड मैप्स को संधारित, परिवर्तित एवं उपयोगानुसार संशोधित रूप में तैयार कर इन्हें खसरावार लिंक करने का कार्य किया जा रहा है।

चीफ मिनिस्टर इंफोर्मेशन सिस्टम (CMIS)

इसके अन्तर्गत मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा विभाग की विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा के लिए ऑन–लाइन सूचनाएं मांगी जाती हैं। उच्च कार्यालयों से प्राप्त CM Announcement, Budget Announcement तथा Election Manifesto/CM direction को नियमित रूप से अपडेट किया जाता है।

Secretariat Local Area Network (SecLAN)

राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर स्थित विभिन्न सरकारी कार्यालय भवनों को सेक्रेटेरियल लोकल एरिया नेटवर्क से जोड़े जाने का कार्य सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। गत वित्तीय वर्ष में विभाग के मुख्यालय वन भवन के अतिरिक्त अरावली भवन भी SecLAN से जुड़ गया है। अरावली भवन में स्थापित SecLAN के माध्यम से IP phone सुविधा, Information Kiosk आदि कार्यों के विस्तार करने में आसानी होगी। इसके माध्यम से समस्त सरकारी कार्य Website updation, MIS application (pay manager, IFMS, CMIS) का अपडेशन आसान होने से कार्यों के निष्पादन में तेजी आवेगी।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Video Conferencing) :

राज्य सरकार के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम के तहत प्रत्येक माह के तृतीय शुक्रवार का दिन वन विभाग के लिए रखा गया है। इसमें सचिवालय स्थित NIC के VC

केन्द्र के माध्यम से जिला मुख्यालय स्थित विभाग के कार्यालयों को कनेक्ट कर कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जाती है जिससे समस्याओं के त्वरित निराकरण में सहयोग मिलता है। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार समय–समय पर विशेष कार्यक्रम द्वारा मुख्य सचिव महोदय स्तर पर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाकर जिला स्तर के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गयी है। विभाग द्वारा 20.4.2011, 5.9.2011, 15.11.2011, 16.1.2012, 22.02.2012, 18.05,2012, 21.09.2012, 19.11.2012 एवं 21.12.2012 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की गई।

कम्प्यूटरीकरण (Computerization):

गत वित्तीय वर्ष 2010–11 में विभाग में रेंज स्तर तक कम्प्यूटर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग से अनुमोदन के उपरान्त 30 कम्प्यूटर उपलब्ध कराने हेतु राशि आवंटित की गयी। रेंज स्तर तक कम्प्यूटर सुविधा विकास के क्रम में 2012–13 में 40 कम्प्यूटर एवं सम्बन्धित सामग्री उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा रही है।

ITPROWL (Integrated IT Project for Wildlife)

यह एक इन्टीग्रेटेड एम.आई.एस. एप्लीकेशन है जिसे राज्य सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के माध्यम से राजकॉम्प द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसके द्वारा राज्य के चिड़ियाघरों एवं सरिस्का अभयारण्य, रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट नैशनल पार्क एवं माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य में वन्य जीव प्रबंधन हेतु विभिन्न सूचनाओं के संधारण एवं मॉनिटरिंग का कार्य तीव्र एवं आधुनिक तरीके से किया जाना संभव होगा। ITPROWL के Zoo module का जयपुर Zoo में सफल परीक्षण करने के उपरान्त इसे राज्य के अन्य चिड़ियाघरों उदयपुर, जोधपुर, कोटा में भी आरम्भ किया जाना है। इसके लिए इस अनुभाग द्वारा उन जन्तुआलयों में आवश्यक सुविधाएँ तकनीक उपलब्ध कराने के लिए राशि आवंटित की गयी है।

विभाग में फील्ड स्टाफ को CUG (BSNL)

विभाग में फील्ड स्टाफ को CUG (BSNL) के अन्तर्गत जोड़ने एवं कार्यालयों को ब्रांड बैंड से जोड़ने की कार्यवाही की जा रही है जिससे विभाग में सूचनाओं का सम्प्रेषण त्वरित होगा एवं वन सुरक्षा में सहयोग मिलेगा।

E-Procurement :

विभाग में राशि ₹ 50.00 लाख से अधिक के टेंडर को ई–प्रोक्यूरमेंट के माध्यम से कराया जाना अनिवार्य है। टेंडर से सम्बन्धित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ई–प्रोक्यूरमेंट हेतु DOIT के माध्यम से प्रशिक्षण दिलाया गया तथा DSC (Digital Signature Certificate) जारी करवाये गये तथा टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के यूजर नेम एवं पासवर्ड तैयार किये गये। ई–प्रोक्यूरमेंट के माध्यम से टेंडर करवाने की प्रक्रिया जन्तुआलय जयपुर, विभागीय कार्य वन मण्डल सूरतगढ़ एवं बीकानेर में की गयी।

अन्य क्रियाकलाप एवं प्रस्तावित परियोजनाएं :

विभाग के लिए Posting Information System बनाने की कार्यवाही आरम्भ की गई है जिसमें डाटा NIC के Salary Online Application से प्राप्त किया जा रहा है। जयपुर जन्तुआलय तथा केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान में CCTV के माध्यम से Monitoring आरम्भ की गई। रणथम्भौर में पर्यटक जिप्सियों व राजकीय वाहनों की GPS के माध्यम से Monitoring हेतु Wireless GPS सफल परीक्षण किया गया। विभाग में जांच शाखा में File Tracking का सॉफ्टवेयर स्थापित किया गया। इसे अब अन्य प्रभागों में भी क्रमिक रूप से स्थापित किया जा रहा है। PDCOR, Rajasthan के माध्यम से वन खंडों के DGPS सर्वे की कार्यवाही भी आरम्भ की जा रही है। e-Governance कार्यों के अन्तर्गत आई.टी. के उपयोग हेतु विभाग की ओर से अनेक छोटी परियोजनाएं जैसे NNRMS (National Natural Resources Management System), WICS (Wildlife IT Center for Sariska) आदि बनायी गयी हैं जिन्हें अगले वर्ष लिया जाएगा।

ooo

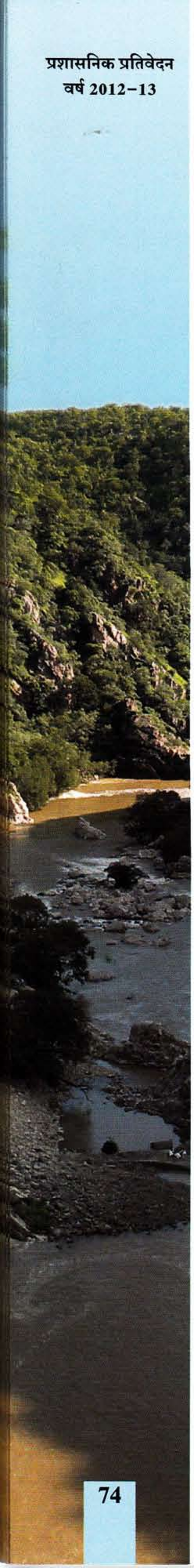

14

मानव संसाधन विकास

वन प्रशिक्षण :

विकास की दौड़ और बढ़ती आबादी से वनों पर दबाव भी निरन्तर बढ़ रहा है एवं बदलती परिस्थितियों का सफलतापूर्वक सामना करना भी अपने आप में एक चुनौती है। ऐसे में यह आवश्यक है कि अधिकारियों के प्रशिक्षण के साथ–साथ सभी स्तरों के कर्मचारियों का निरन्तर प्रशिक्षण कराया जाये। प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य ज्ञान को नीति तथा कार्य से जोड़ने में मदद करना है। तद्नुसार राजस्थान में वानिकी प्रशिक्षण में दीर्घकालीन उपयोगी प्रभाव वाले परिवर्तन किये गये हैं।

विभाग द्वारा मानव संसाधन प्रबन्ध एवं विकास के अन्तर्गत प्रशिक्षण को अत्यधिक महत्त्व दिया जा रहा है। राज्य सरकार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राज्य में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षण हेतु सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

राज्य में प्रशिक्षण देने हेतु तीन संस्थाएं यथा वानिकी प्रशिक्षण संस्थान जयपुर, राजस्थान वन प्रशिक्षण केन्द्र अलवर तथा मरु वन प्रशिक्षण केन्द्र जोधपुर में स्थित है। प्रशिक्षण कार्यों की राज्य के संदर्भ में उपयोगिता, प्रासंगिकता, विश्वसनीयता और वैधता बढ़ाने हेतु पाठ्यक्रम में परिवर्तन, प्रशिक्षण प्रविधियों में सुधार तथा नवीन शोध पर आधारित पाठ्य सामग्री का संयोजन तथा संकाय सदस्यों की दक्षता वृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। संस्थानों में सभी विषयों/विधाओं के उच्च कोटि के वक्ताओं व विद्वानों को आमंत्रित कर प्रशिक्षण दिलाए जाने की व्यवस्था है। वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर ने ज्ञान को कार्य से जोड़ने की रणनीति पर आधारभूत एवं व्यापक कार्य आरम्भ किया है। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी राज्य के वानिकी प्रशिक्षण संस्थाओं में विभाग के सभी कार्यालयों से प्राप्त सुझावों एवं प्रतिभागियों से प्राप्त पृष्ठ पोषण के आधार पर प्रशिक्षण कैलेण्डर बनाया जाकर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में विभाग के सभी संवर्गों (भारतीय वन सेवा से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक) के लिए कौशल संवर्धन, थीमेटिक व कार्यानुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनके अतिरिक्त एनसीसी कैडेट्स तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों हेतु पर्यावरण जागरूकता एवं पौधारोपण तकनीक पर भी प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं।

राज्य के तीनों प्रशिक्षण संस्थानों में वर्ष 2012–2013 में माह दिसम्बर, 2012 तक आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण अग्रांकित है :–

वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर

वर्ष 2012–13

1. वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर वर्ष 2011–12 में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बजट के बिन्दु संख्या 245 में राज्य सेवा के सभी अधिकारियों के लिए सेवा में रहते हुए अपने सम्पूर्ण सेवाकाल में 3 प्रशिक्षण दिए जाने की घोषणा की थी ताकि उनकी कार्य कुशलता व दक्षता में बढ़ोतरी हो सके। इस घोषणा के अनुरूप संस्थान ने इस वर्ष 16 व 24 वर्ष की सेवा पूर्ण करने

वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर में क्षमता संवर्धन पर प्रशिक्षण

छाया : राजेश शर्मा

वाले 26 अधिकारियों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम "Water Conservation & Rain Water Harvesting" विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में देश के लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा कक्षा कक्ष एवं क्षेत्र भ्रमण कर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया।

2. कम्प्यूटर प्रशिक्षण (लेवल–I) कार्यक्रम के अन्तर्गत 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर राज्य वन सेवा के आठ अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

3. जयपुर क्षेत्र व करौली वन मण्डल के 100 कार्मिकों को राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फैज–द्वितीय के अन्तर्गत प्रशिक्षित किया गया।

4. राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के अन्तर्गत 80 कार्मिकों की एक दिवसीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।

5. 7 क्षेत्रीयों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण (लेवल–प्रथम का) दिया गया।

6. राज्य वन सेवा के 19 अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रशिक्षण दिया गया।

7. 33 मंत्रालयिक कार्मिकों को 2 दिवसीय कार्यालय प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया गया।

8. 15 मंत्रालयिक कार्मिकों को 3 दिवसीय कम्प्यूटर प्रशिक्षण (लेवल–प्रथम) दिया गया।

9. 37 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को एक दिवसीय क्षमता संवर्धन का प्रशिक्षण दिया गया।

10. एक दिवसीय क्षमता संवर्धन कार्यक्रम में 26 वाहन चालकों को प्रशिक्षण दिया गया।

11. पंचायत समिति में कार्यरत 35 खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (बीईईओ) को एक दिवसीय पौधारोपण एवं पौधशाला तकनीक का प्रशिक्षण दिया गया।

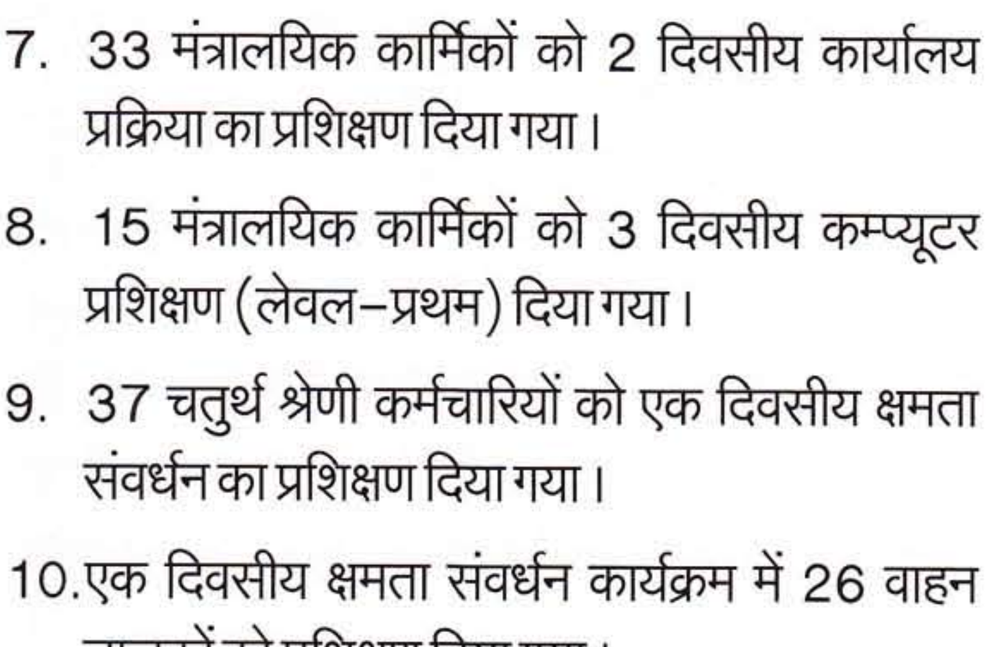
छाया : राजेश शर्मा
वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर में LITES Updation पर प्रशिक्षण

छाया : राजेश शर्मा
एन.सी.सी. कैडेट को प्रशिक्षण देते
वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर के क्षेत्रीय वन अधिकारी

12. एक दिवसीय वर्षा जल संग्रहण एवं पौधारोपण तकनीक का 77 अध्यापकों/विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया।

13. एक दिवसीय पौधारोपण एवं पौधशाला तकनीक का 41 एन.सी.सी. कैडेट्स व स्टाफ को प्रशिक्षण दिया गया।

14. एक दिवसीय 'ग्रीन टीचर', अक्षय ऊर्जा एवं पर्यावरण का 60 सहभागियों को प्रशिक्षण दिया गया।

15. प्रेस/मीडिया से संबंधित 30 व्यक्तियों को जैव विविधता फिल्म समारोह दिखाया गया।

16. राजस्थान विश्वविद्यालय के 40 विद्यार्थी/अध्यापकों को झालाना वन क्षेत्र में भ्रमण कराया गया।

17. राजस्थान विश्वविद्यालय व उससे सम्बद्ध कॉलेजों के 60 विद्यार्थियों/अध्यापकों हेतु फिल्म शो का आयोजन किया गया।

18. 'जलवायु परिवर्तन' पर 30 वन अधिकारियों/मीडिया कर्मियों को फिल्म दिखाई गई।

19. 43 उप वन संरक्षकों/सहायक वन संरक्षकों/क्षेत्रीयों हेतु 'शिकारी एवं शिकार' विषयक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

20. राजस्थान विश्वविद्यालय एवं उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों के 60 अध्यापक एवं विद्यार्थियों हेतु 'पर्यावरण जागरूकता' विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

21. स्काउट एवं गाइड्स के 39 कैडेट्स हेतु एक दिवसीय 'पर्यावरण जागरूकता' विषयक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

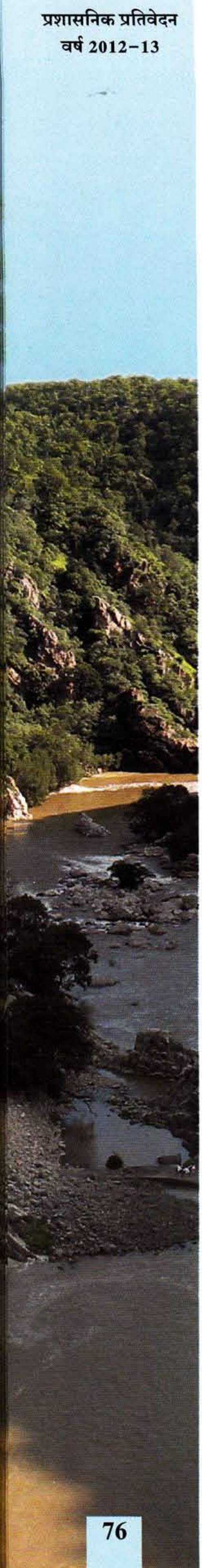

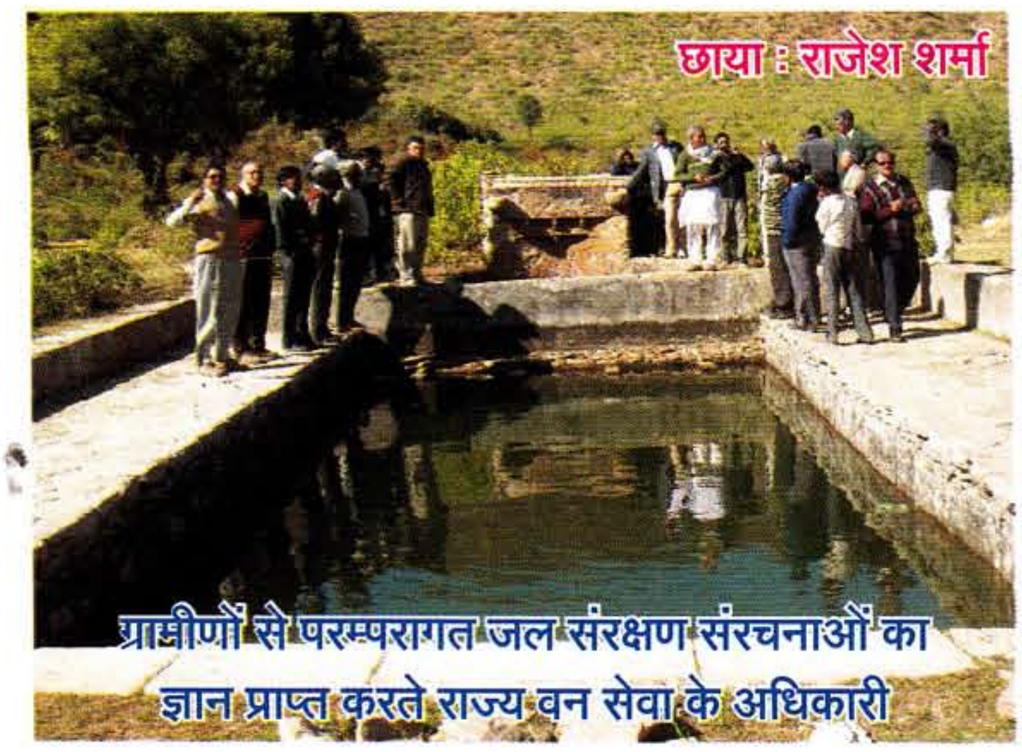

छाया : राजेश शर्मा

ग्रामीणों से परम्परागत जल संरक्षण संरचनाओं का ज्ञान प्राप्त करते राज्य वन सेवा के अधिकारी

22. एन.सी.सी. के 59 कैडेट्स व स्टाफ हेतु 'पर्यावरण जागरूकता' विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

23. एक्जीक्यूटिव डवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर 20 सहायक वन संरक्षक व क्षेत्रीयों को प्रशिक्षित किया गया।

24. तैंतीस सहायक वन संरक्षक/क्षेत्रीयों हेतु दो दिवसीय विधि प्रवर्तन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

25. अठारह क्षेत्रीयों हेतु 3 दिवसीय विधि प्रवर्तन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

26. दो दिवसीय Litigation Information Tracking & Evaluation System (LITES) का प्रशिक्षण 67 उप वन संरक्षकों/सहायक वन संरक्षकों/क्षेत्रीयों/कार्यालय सहायकों/वरिष्ठ लिपिकों/कनिष्ठ लिपिकों को दिया गया।

27. एक दिवसीय जैव विविधता संरक्षण विषयक कार्यशाला का आयोजन 138 प्रशिक्षणार्थियों हेतु किया गया। इस संस्थान के आगामी वर्ष 2013–14 के प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम परिशिष्ट–9 पर द्रष्टव्य हैं।

शिक्षा एवं प्रशिक्षण (वन) अलवर

वर्ष 2012–13

1. 32 वनपालों को 6 माह का आधारभूत प्रशिक्षण दिया गया।
2. 33 विद्यार्थियों को एक दिवसीय 'पौधशाला तकनीक' का प्रशिक्षण दिया गया।
3. 25 वनपालों/वनरक्षकों को 14 दिवसीय फ्रंट लाइन स्टाफ प्रशिक्षण दिया गया।
4. 19 वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के सदस्यों को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया।

मरु वन प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर

वर्ष 2012–13

1. 27 वनरक्षकों को 3 माह का नियमित आधारभूत प्रशिक्षण दिया गया।
2. 31 वनपालों/वनरक्षकों को 3 दिवसीय वन प्रबंधन की नवीन तकनीक का प्रशिक्षण दिया गया।
3. 31 प्रशिक्षणार्थियों को 5 दिवसीय 'क्षमता संवर्धन' कार्यक्रम का प्रशिक्षण दिया गया।
4. 29 वनपालों/वनरक्षकों को 2 दिवसीय वानस्पतिक विस्तार अनुसंधान एवं पौधशाला तकनीक का प्रशिक्षण दिया गया।
5. 33 वनपालों/वनरक्षकों को दो दिवसीय पारी पर्यटन विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया गया।
6. वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा आयोजित 32 वनपालों/वनरक्षकों को 14 दिवसीय फ्रन्ट लाइन स्टाफ प्रशिक्षण दिया गया।

स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण :

विभाग द्वारा कार्मिकों व ग्राम्य वन सुरक्षा समितियों के पदाधिकारियों–सदस्यगणों को स्थानीय वन मण्डल स्तर पर भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर प्रशिक्षण दिया जाता है। इनके अतिरिक्त विद्यालयी छात्र–छात्राओं तथा अध्यापकों हेतु भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस हेतु वन मण्डलों को पृथक् से बजट आवंटित किया जाता है।

स्थानीय स्तर पर वनकर्मियों को प्रशिक्षण देते हुए वन संरक्षक

15

संचार एवं प्रसार

गणतंत्र दिवस, 2013 पर वन मण्डल, धौलपुर द्वारा निकाली गई झांकी तथा पुरस्कार प्राप्त करते उप वन संरक्षक, धौलपुर, के. आर. काला

किसी भी कार्यक्रम की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि कार्यक्रम के उद्देश्य तथा उससे प्राप्त होने वाले संभावित लाभों के बारे में जनसाधारण को पूर्ण जानकारी हो। वन विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी गतिविधियों एवं उनसे प्राप्त होने वाले संभावित लाभों की जानकारी जन साधारण तक पहुंचाने एवं वन संरक्षण एवं वन संवर्धन के कार्य में अधिकाधिक जन सहयोग आकर्षित करने के उद्देश्य से विभाग में मुख्यालय एवं परियोजना स्तर पर प्रचार–प्रसार प्रकोष्ठ गठित किये गये हैं। संचार एवं प्रसार (Communication & Extension) के अन्तर्गत इस वर्ष माह दिसम्बर, 2012 तक मुख्य रूप से निम्न कार्य किये गये हैं:

- राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज–2 के अन्तर्गत 5 लघु डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई गईं जो आजीविका (आय) अर्जन गतिविधियों, धार गाँव के ग्रामीण विद्युतीकरण, वन्य जीव व ईको–ट्यूरिज्म जैसे विषयों पर बनवाई गई हैं। ये फिल्में आमजन में संचार–प्रसार का सशक्त माध्यम है।
- वर्षा ऋतु के दौरान विभिन्न स्थानों पर वन महोत्सवों का आयोजन कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा शुभारम्भ किये गये 'हरित राजस्थान कार्यक्रम' की जानकारी जन–जन तक पहुंचाने के साथ–साथ आम जनता से पौधारोपण कार्य करवाया गया।
- राज्य स्तरीय वन महोत्सव के अतिरिक्त विभिन्न जिलों में 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, (World Forestry Day), 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस (World Earth Day), 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस (World Biodiversity Day), 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस (World Environment Day), 1 से 7 जुलाई, वानिकी सप्ताह (Forestry Week), 16 सितम्बर विश्व ओजोन दिवस (World Ozone Day) एवं 1 से 7 अक्टूबर वन्य प्राणी सप्ताह (Wildlife Week) के आयोजन किये गये हैं। उक्त कार्यक्रमों में जन चेतना रैली, पौधारोपण कार्यक्रम, वन्य जीव प्रशिक्षण कार्यक्रम, लघुनाटक आयोजित किये गये हैं।
- 26 जनवरी, 2013 को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर विभिन्न जिलों में पर्यावरण सम्बन्धी झांकियां निकाली गई हैं। जिला धौलपुर की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।
- संचार प्रसार एवं प्रशिक्षण का एक सशक्त माध्यम विभागीय वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आम जनता के लिए अधिकाधिक जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया। इस क्रम में संचार एवं प्रसार हेतु एक पृथक् से वेब पेज भी बनाया गया है।

○○○

16

सामाजिक, आर्थिक समृद्धि में वनों का योगदान एवं साझा वन प्रबन्ध

पूर्व में वनों का वैज्ञानिक तरीके से विदोहन कर अधिकाधिक आय प्राप्त करना वन विभाग का महत्त्वपूर्ण कार्य हुआ करता था। कालान्तर में पर्यावरण के संरक्षण एवं पारिस्थितिकीय संतुलन बनाये रखने को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राज्य में वन क्षेत्रों के विदोहन पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगा दिया गया।

वनों का प्रत्यक्ष योगदान

❖ निःशुल्क लघु वन उपज प्राप्तिः

वनों की सुरक्षा एवं प्रबन्ध में स्थानीय लोगों को भागीदार बनाकर उन्हें लाभ में हिस्सा दिये जाने के उद्देश्य से 'जनसहभागिता' की अवधारणा का प्रादुर्भाव हुआ। पूर्ण जन भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वनों तथा वन विकास कार्यों से प्राप्त होने वाले सकल लाभों में स्थानीय जनता की भागीदारी सुनिश्चित की गई। वानिकी विकास कार्यों के लिए उपयोग में ली जाने वाली वन भूमि, पंचायत भूमि अथवा राजस्व भूमि की उत्पादकता बढ़ाने को प्राथमिकता दिये जाने के फलस्वरूप स्थानीय लोगों को घास, छांगण आदि के रूप में करोड़ों रुपये मूल्य की लघु वन उपज निःशुल्क प्राप्त हो रही है।

❖ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product) में वनों का योगदान :

वनों का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में काफी महत्त्वपूर्ण योगदान है। यह योगदान परोक्ष एवं प्रत्यक्ष दोनों प्रकार से है। वानिकी सेक्टर के विभिन्न घटकों द्वारा राज्य के घरेलू उत्पाद में योगदान इस प्रकार है :

घटक	योगदान (₹ लाखों में)
ईंधन	22250.00
चारा	126815.00
इमारती लकड़ी	17000.00
लघु वन उपज	5400.00
योग	**171465.00**

झाड़ोल में बांस का फर्नीचर बनाते सुरक्षा समिति के सदस्यगण

छाया : ओ. पी. शर्मा

झाड़ोल वन सुरक्षा समिति के सदस्यों द्वारा लघु वन उपज बांस से निर्मित तैयार सोफा   छाया : ओ. पी. शर्मा

लघु वन उपज की आपूर्ति

राज्य में ग्रामीणों के सहयोग से प्रबन्धित क्षेत्रों से प्राप्त होने वाली घास व अन्य लघु वन उपज ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के माध्यम से उन्हें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है ताकि वे वनों की सुरक्षा व प्रबन्ध के बदले कुछ न कुछ लाभ भी प्राप्त कर सकें और वन उपज का वैज्ञानिक प्रबन्धन भी हो सके। विभागीय वृक्षारोपणों से करोड़ों रुपये मूल्य की घास प्रतिवर्ष ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों के माध्यम से ग्रामवासियों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है।

वन मित्र

वन विभाग अपने सीमित संसाधनों से वन एवं वन्य जीव सुरक्षा का कार्य कर रहा है तथापि दीर्घकालिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु यह आवश्यक है कि स्थानीय स्तर पर वन प्रशासन एवं स्थानीय समुदायों के मध्य संवाद बना रहे। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु राज्य सरकार के संकल्प सं. 22.8 से ''वन मित्र'' की नियुक्ति प्रस्तावित की गई थी। योजना को दिनांक 17 जुलाई, 2009 को प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है।

योजनान्तर्गत ऐसी ग्राम पंचायतें जिनमें वन क्षेत्र हैं, वहां पर्यावरण, वन्य जीव एवं वन संरक्षण के प्रति जागरूकता का संचार करने के लिए वन क्षेत्र में रहने वाले एक युवक का चयन 'वन मित्र' के रूप में किया जाएगा। वन मित्र की योग्यता आठवीं पास तथा आयु सीमा 20 से 25 वर्ष निर्धारित की गई है। वन मित्र की नियुक्ति, संबंधित ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति करेगी तथा इसे ₹1500 प्रतिमाह स्टाई फण्ड देय होगा। इसकी नियुक्ति एक वर्ष के लिए होगी जिसे आगे एक वर्ष बढ़ाया जा सकता है। ये 'वन मित्र', वन क्षेत्रों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु ग्रामवासियों में जागरूकता बढ़ाने, पर्यावरण संरक्षण का प्रचार-प्रसार करने, स्थानीय वन प्रशासन को सहयोग करने, वन विकास कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करने तथा आर्थिक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा।

वर्तमान में विभाग में कुल 345 वन मित्र कार्यरत हैं। इन्हें मण्डल स्तर पर प्रशिक्षित किया गया है।

वनों का परोक्ष योगदान

पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकीय संतुलन में योगदान

पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकीय संतुलन में वनों का परोक्ष योगदान सर्वाधिक है। एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार एक वृक्ष अपनी 50 वर्ष की आयु में 1982 के

मूल्यों पर आधारित लगभग ₹ 15 लाख मूल्य के बराबर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष योगदान प्रदान करता है। इस प्रकार वनों से प्रतिवर्ष अरबों–खरबों ₹ मूल्य के बराबर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सेवाएं मानव समाज को प्राप्त होती हैं।

साझा वन प्रबन्ध

वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध गतिविधियों में स्थानीय समुदायों की सक्रिय सहभागिता लेने का विधिवत कार्यक्रम 15 मार्च, 1991 के राज्यादेश से आरम्भ कर दिया गया था। समय–समय पर इस आदेश में वांछित संशोधन किए जाते रहे हैं। वर्तमान में वन क्षेत्रों के प्रबन्ध के लिए 17.10.2000 व संरक्षित क्षेत्रों के प्रबन्ध के लिए 24.10.2002 के राज्यादेशों के अनुरूप साझा वन प्रबन्ध की संकल्पना की क्रियान्विति की जाती है।

राज्य में 5396 ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियां गठित हैं जो लगभग 9.13 लाख हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र का प्रबन्धन कर रही हैं। समितियों द्वारा प्रबन्धित कुल क्षेत्र में से 2.66 लाख हैक्टेयर वृक्षारोपण क्षेत्र है। संरक्षित क्षेत्रों के लिए 272 ईको डवलपमेंट कमेटियां गठित की जा चुकी हैं।

राज्य में कार्यरत समितियों में से 4920 पंजीकृत समितियां हैं तथा शेष 452 नवगठित समितियां पंजीकरण की प्रक्रिया में हैं। कुल समितियों में 5,96,052 व्यक्ति सदस्य हैं जिनमें से 2,11,727 महिलाएं हैं। कुल सदस्यों में 76735 सदस्य अनुसूचित जाति तथा 2,70,699 व्यक्ति अनुसूचित जनजाति से हैं। कुल समितियों में से 3,979 समितियों में महिलाओं की उप समितियों के गठन का कार्य पूर्ण हो गया है। महिला उप समितियों में 43,562 महिलाएं सदस्य हैं।

राज्य की कुल समितियों में से 3,280 समितियों ने अपने बैंक खाते खोल रखे हैं जिनमें ₹ 766.49 लाख की धनराशि जमा है। 1,016 समितियों ने पृथक् से अनुरक्षण कोष स्थापित कर रखे हैं जिनमें ₹ 6.69 करोड़ की विशाल धनराशि जमा है। यह अनुरक्षण कोष विभागीय गतिविधियों के बन्द होने के बाद क्षेत्र के प्रबन्ध हेतु प्रयुक्त किया जाता है। इस व्यवस्था से भारी व्यय के बाद तैयार वृक्षारोपणों के बजट के अभाव में नष्ट होने का खतरा समाप्त हो जाएगा। राज्य में कार्यरत वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियां, सदस्यता शुल्क, वन अपराधों पर शास्ति–वसूली, वन

प्रदेश की राज्यपाल महामहिम श्रीमती मारग्रेट अल्वा एवं आदिवासी क्षेत्र विकास मंत्री डॉ. महेन्द्रजीत सिंह मालवीय वन सुरक्षा समितियों द्वारा निर्मित उत्पादों का अवलोकन करते हुए दिनांक 12.7.2012 केवड़ा की नाल, उदयपुर

ओगणा रेंज में सुरक्षा समिति के सदस्यों द्वारा खारपाठे के रस का उत्पादन

छाया : ओ. पी. शर्मा

उपज के विक्रय व अन्य स्रोतों से आय एकत्रित करती है। संकलित सूचनाओं के अनुसार समितियों के पास ₹ 4,54,11,713 इस मद में जमा हैं।

समितियां घास, लघु वन उपज की बिक्री/नीलामी से भी लाभ प्राप्त करती हैं। इस वर्ष इन समितियों को घास से ₹ 4.15 करोड़ से अधिक का लाभ प्राप्त हुआ है। समितियों की गतिविधियों से कुल 3,40,526 व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं।

राज्य की 2,327 समितियों ने अपने-अपने क्षेत्र का सूक्ष्म नियोजन बनाया हुआ है तथा 1,234 समितियों की प्रबन्ध योजना भी बन चुकी है। इन समितियों को 212 गैर सरकारी संगठन/स्वैच्छिक संस्थाएं भी सहयोग कर रही हैं।

ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों के लेखों के आंतरिक अंकेक्षण के लिये पूर्व में एक परिपत्र जारी किया गया था किन्तु तकनीकी कठिनाई होने के कारण दिनांक 27 जनवरी, 2010 को आंतरिक अंकेक्षण हेतु नवीन निर्देश प्रसारित किये गये हैं। इन निर्देशों में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक वर्ष वन मण्डल का आंतरिक अंकेक्षण करते समय वन मण्डल की 5 प्रतिशत वन सुरक्षा समितियों के लेखों का भी रोटेशन एवं रैण्डम पद्धति से प्रतिवर्ष आंतरिक अंकेक्षण दल द्वारा किए जाने की व्यवस्था की गई है।

आजीविका अर्जन गतिविधियां :

स्वयं सहायता समूह

राज्य में निवास करने वाली आदिवासी जातियां एवं निर्धन व पिछड़े वर्ग के ग्राम समुदाय अपनी आजीविका के लिए निकटवर्ती वनों पर आश्रित होते हैं। ये समुदाय वनोपज निकास कर अपना जीवन चलाते हैं और अनजाने ही वनों को क्षति पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों को वैकल्पिक रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से विभाग इनके स्वयं सहायता समूह (SHG) बनाकर, विभिन्न उत्पादों के निर्माण, प्रोसेसिंग, विक्रय आदि का प्रशिक्षण व कार्य आरम्भ करने हेतु ऋण के रूप में पूंजी उपलब्ध कराकर उन्हें आजीविका अर्जन के अवसर देता है।

वन आधारित समुदायों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य वन विभाग द्वारा अनेक गतिविधियां की जाती हैं। गांव-गांव में स्वयं सहायता समूह विकसित किए जाकर उन्हें आय के नियमित स्रोत उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राज्य में कुल 2596 स्वयं सहायता

समूह कार्यरत हैं जिनमें से 1720 समूह केवल महिलाओं के तथा 841 समूह केवल पुरुषों के हैं।

वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों द्वारा की जा रही गतिविधियां

❁ घास की सुरक्षा एवं विभाजन

राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रावधानों के अनुरूप ये समितियां इन प्रबन्धकीय वन क्षेत्रों से नि:शुल्क घास प्राप्त कर रही हैं जिससे ग्रामीणों की आवश्यकता व जीविकोपार्जन में सहयोग मिल रहा है।

❁ लघु वन उपज संग्रहण

समितियां प्रबन्धित क्षेत्र से सीताफल, रतनजोत, फुआड बीज महुआ फल-फूल, बहेड़ा फल, आंवला फल, शहद, सफेद मूसली व अन्य फल-फूल एकत्रित कर टी.एस.पी. क्षेत्र में राजस संघ द्वारा क्रय की जाती है।

बांस विदोहन एवं विपणन – समितियों द्वारा सुरक्षित व प्रबंधित किये गये वृक्षारोपण क्षेत्रों की प्रबन्ध योजना स्वीकृत कराई जाकर बांस विदोहन व उसके विक्रय से प्राप्त शुद्ध आय में आधा हिस्सा समितियों को प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार इन वृक्षारोपण क्षेत्रों का सतत् पोषणीय प्रबन्ध प्रारम्भ हो गया है।

❁ जीविकोपार्जन गतिविधियां

साझा वन प्रबंध के क्षेत्र में उदयपुर संभाग के वन क्षेत्रों की सुरक्षा एवं प्रबंध के क्षेत्र में जन सहभागिता में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। वनों की सुरक्षा एवं प्रबंध में स्थानीय वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों के माध्यम से स्थानीय ग्रामीणों में जीविकोपार्जन गतिविधियों में नवाचार कर कार्य को प्रारम्भ करवाकर, आर्थिक सम्बल प्रदान किये जाने का प्रयास किया गया है, जिससे स्थानीय रूप से उपलब्ध वन अथवा गैर वन उपज का मूल्य संवर्धन किया जाकर उत्पादों के विपणन से आय होने लगी है। इन गतिविधियों से जहां वृक्षारोपण/वन क्षेत्रों के संरक्षण व संवर्धन में स्थानीय जनता का सहयोग प्राप्त होने लगा है, वहीं इन क्षेत्रों का सतत् पोषणीय वन प्रबन्ध (Sustainable forest management) की भावना विकसित किये जाने में मदद मिलने लगी है।

जीविकोपार्जन गतिविधियों हेतु प्रथमत: उपलब्ध स्थानीय उपज की पहचान / चिह्नीकरण (Identification) किया जाकर उक्त उपज के मूल्य

ओगणा में सुरक्षा समिति के सदस्यों द्वारा अगरबत्ती स्टिक्स का निर्माण

छाया : ओ. पी. शर्मा

संवर्धन किये जाने हेतु स्थानीय ग्रामीणों में जागरूकता पैदा की जाकर, क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण प्रदान करवाया गया है। इन गतिविधियों के संचालन हेतु प्रशिक्षण बाह्य संस्थाएं यथा महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के पोस्ट हार्वेस्ट सेंटर, फूड एवं डेयरी टेक्नोलॉजी एवं उद्यानिकी विभाग, कोनबेक-सिंहदुर्ग महाराष्ट्र व अन्य संस्थाओं से तकनीकी ज्ञान दिलवाया गया है।

जीविकोपार्जन हेतु मुख्यत: निम्न गतिविधियों पर कार्य हो रहा है।

- बैम्बू स्टिक, रोल्ड अगरबत्ती, खुशबूदार अगरबत्ती।
- बाँस फर्नीचर निर्माण कार्य।
- ग्वारपाठा ज्यूस, जेल व शैम्पू निर्माण कार्य।
- विभिन्न वन फलों के स्क्वैश।
- सीताफल पल्प निष्कर्षण कार्य।
- हर्बल गुलाल निर्माण कार्य।
- अदरक से सौंठ निर्माण कार्य।
- रस्सी निर्माण इत्यादि कार्य।
- ईको-ट्यूरिज्म स्थलों का विकास।

वन मण्डल उदयपुर (मध्य) व प्रतापगढ़ वन क्षेत्र में उत्पादित लघु वन उपज का वाइल्ड रूप में जैविक (Organic) प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिये गये हैं जिससे इन लघु वन उपज/उत्पादों की महत्त्वता बढ़ने से भविष्य में अधिक दरें प्राप्त हो सकेंगी। स्थानीय ग्रामीणों को आय के इन स्रोतों के विकसित होने से आर्थिक संबल प्राप्त होने पर अन्ततोगत्वा वनों पर जैविक दबाव कम होगा। स्थानीय वन संसाधन (Forest resource) के संरक्षण व संवर्धन में ग्रामीण जनता का लगाव बढ़ रहा है।

इन गतिविधियों के संचालन में वित्तीय सहायता मुख्यत: राजस्थान वानिकी जैव विविधता परियोजना-प्रथम में प्रदत्त आय सृजन गतिविधियों हेतु आवंटित राशि, वन विकास अभिकरण में प्रवेश बिन्दु तथा एस.जी. एस.वाई. इत्यादि से प्राप्त हुई है।

प्रदेश के इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व कम होने एवं प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितियां होने की वजह से साझा वन प्रबन्ध कार्यक्रम को क्रियान्वित करना आसान नहीं है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अब तक 417 वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों का गठन किया जा चुका है। स्थानीय निवासियों को वृक्षारोपण कार्यक्रम से जोड़ने के लिए पर्यावरण पाठशाला स्थापित की गई है। विभाग के कर्मचारियों द्वारा स्थानीय निवासियों के बच्चों को प्रारम्भिक स्तर की शिक्षा दी जा रही है। वृक्षारोपण क्षेत्रों में पौधों की लाइनों के बीच में कृषि जिन्स जैसे ग्वार, मूंग आदि की खेती (Inter-Cropping) के माध्यम से गाँव वालों को अतिरिक्त आमदनी हो रही है। इसके अतिरिक्त **वृक्षारोपण क्षेत्रों में पौधों की कतारों के बीच में हरा चारा उगाकर स्थानीय ग्रामवासियों को अकाल के समय उपलब्ध कराया गया था जिससे वन सुरक्षा समितियों को आमदनी भी हुई एवं ग्रामवासियों की मवेशियों को चारा भी उपलब्ध हुआ।**

इन गतिविधियों के संचालन का ही परिणाम है कि साझा वन प्रबन्ध ग्रामवासियों द्वारा वनों का संरक्षण, सतत् पोषणीय उत्पादन तथा वन प्रबन्ध, जन कल्याण की अवधारणा के प्रयासों में मील का पत्थर साबित हुआ है।

साझा वन प्रबन्ध के तहत वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों द्वारा वन सुरक्षा, प्रबन्धन सतत् पोषणीय उत्पादन तथा सामाजिक दायित्वों का निर्वहन सफलतापूर्वक किया गया। इसी के परिणामस्वरूप राज्य की निम्नलिखित समितियों को राष्ट्रीय स्तर के इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है व 1996 व 2007 से लगातार तीन वर्षों का पुरस्कार राज्य की वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति को प्राप्त हुआ है।

इन वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों को पुरस्कृत किये जाने के फलस्वरूप प्रदेश की अन्य समितियां भी इनसे प्रेरणा लेकर साझा वन प्रबन्ध के स्वप्न को साकार करने के लिए उत्साहित होकर कार्य करने के लिए कटिबद्ध हो रही हैं।

ooo

राज्य का जिलेवार अभिलेखित वन क्षेत्र

राज्य के भिन्न-भिन्न जिलों में अभिलेखित वन क्षेत्रों की स्थिति भिन्न-भिन्न है। प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर जिले में तथा न्यूनतम चूरू जिले में हैं। राज्य के सभी जिलों का वन क्षेत्र एवं उनमें वन आवरण की नवीनतम स्थिति का अवलोकन निम्न सारणी से किया जा सकता है।

राज्य में जिलेवार वन क्षेत्र (2011) एवं वनावरण की स्थिति (2011)

नाम जिला	भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किमी.)	वन क्षेत्र (वर्ग किमी.)	भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत	वनावरण (वर्ग कि.मी.)				
				अत्यधिक सघन	सघन	अनावृत्त	कुल	भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत
अजमेर	8481	618.44	7.29	0	38	239	277	3.27
अलवर	8380	1783.61	21.28	59	336	810	1205	14.38
बांसवाड़ा+	5037	1005.70	19.97	0	83	293	376	7.46
बारां	6992	2239.69	32.03	0	149	941	1090	15.59
बाड़मेर	28387	627.32	2.21	0	3	169	172	0.61
भरतपुर	5066	434.93	8.58	0	34	204	238	4.70
भीलवाड़ा	10455	779.69	7.46	0	34	191	225	2.15
बीकानेर	27244	1249.06	4.58	0	28	180	208	0.76
बूंदी	5550	1557.33	28.06	0	146	307	453	8.16
चित्तौड़गढ़+	10856	1793.41	16.52	0	595	1092	1687	15.54
चूरू	16830	72.95	0.43	0	5	85	90	0.53
दौसा*	3432	284.49	8.29	0	-	-	-	-
धौलपुर	3033	638.39	21.05	0	82	337	419	13.81
डूंगरपुर+	3770	692.75	18.37	0	44	208	252	6.68
श्रीगंगानगर	10978	633.44	5.77	0	30	160	190	0.92
हनुमानगढ़*	9656	239.46	2.48	0	-	-	-	-
जयपुर	11143	945.66	8.49	13	114	504	631	4.49
जैसलमेर	38401	581.59	1.51	0	47	120	167	0.43
जालौर	10640	452.60	4.25	0	13	195	208	1.95
झालावाड़	6219	1349.79	21.70	0	83	314	397	6.38
झुन्झुनूं	5928	405.36	6.84	0	24	171	195	3.29
जोधपुर	22850	243.08	1.06	0	3	90	93	0.41
करौली*	5524	1810.05	32.77	0	-	-	-	-
कोटा	5217	1322.46	25.34	0	154	461	615	11.30
नागौर	17718	240.93	1.36	0	11	108	119	0.67
पाली	12387	963.58	7.78	0	216	446	662	5.34
प्रतापगढ़	-	1666.31	-	-	-	-	-	-
राजसमंद	3860	401.28	10.39	0	131	293	424	10.98
सवाईमाधोपुर	4498	952.88	21.18	0	260	1040	1300	12.35
सीकर	7732	639.35	8.27	0	32	161	193	2.50
सिरोही+	5136	1638.65	31.91	0	300	616	916	17.83
टोंक	7194	330.05	4.59	0	33	134	167	2.32
उदयपुर+	13419	4142.33	30.87	0	1420	1698	3118	23.24
	342239	**32736.64**	**9.57**	**72**	**4448**	**11567**	**16087**	**4.70**

* दौसा, हनुमानगढ़, करौली व प्रतापगढ़ जिलों का वनावरण मूल जिलों क्रमशः जयपुर, श्रीगंगानगर, सवाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़ के साथ दर्शाया गया है क्योंकि इनकी सीमाएं पृथक् से निर्धारित नहीं हो पाई हैं। + राज्य के आदिवासी जिले

स्रोत : वन स्थिति रिपोर्ट 2011 एवं का.प्र.मु.व.सं. (का.आ.व.व.), राज

20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्ष्य एवं उपलब्धि वर्ष 2012-13

उपलब्धि माह दिसम्बर, 2012 तक

क्र.सं.	जिला	जिलेवार वृक्षारोपण के लक्ष्य एवं उपलब्धियां		जिलेवार पौधारोपण के लक्ष्य एवं उपलब्धियां	
		वृक्षारोपण लक्ष्य (हैक्टेयर)	वृक्षारोपण उपलब्धियां (हैक्टेयर)	पौधारोपण लक्ष्य (लाखों में)	पौधारोपण उपलब्धियां (लाखों में)
1.	अजमेर	1050	958	4.94	4.800
2.	अलवर	2100	2067	9.88	6.710
3.	बांसवाड़ा	4500	4500	21.18	25.392
4.	बारां	3000	3000	14.12	11.960
5.	बाड़मेर	600	549	2.82	3.570
6.	भरतपुर	590	603	2.78	4.020
7.	भीलवाड़ा	1370	1460	6.45	9.380
8.	बीकानेर	500	232	2.35	1.680
9.	बूंदी	1125	1021	5.29	5.110
10.	चित्तौड़गढ़	2500	2223	11.76	14.450
11.	चूरू	540	486	2.54	2.440
12.	दौसा	1100	1005	5.18	3.454
13.	धौलपुर	1200	1097	5.65	4.618
14.	डूंगरपुर	1470	1324	6.92	8.605
15.	श्रीगंगानगर	1550	1760	7.29	11.036
16.	हनुमानगढ़	800	533	3.76	3.663
17.	जयपुर	1550	1413	7.29	3.603
18.	जैसलमेर	2550	2613	12.00	13.870
19.	जालौर	650	545	3.06	2.792
20.	झालावाड़	1540	1384	7.25	7.250
21.	झुंझुनूं	1100	1001	5.18	5.827
22.	जोधपुर	530	484	2.49	2.871
23.	करौली	600	553	2.82	3.560
24.	कोटा	1225	1105	5.76	7.180
25.	नागौर	600	578	2.82	2.634
26.	पाली	2000	1835	9.41	7.500
27.	प्रतापगढ़	4200	4320	19.76	12.420
28.	राजसमंद	2100	2051	9.88	11.010
29.	सवाईमाधोपुर	800	735	3.76	3.600
30.	सीकर	1500	1345	7.06	5.700
31.	सिरोही	810	821	3.81	5.112
32.	टोंक	1100	1000	5.18	2.390
33.	उदयपुर	4150	4645	19.56	18.710
	योग	**51,000**	**49,246**	**240.00**	**236.922**

राज्य योजना से उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की प्रगति

वर्ष 2012-13 (दिसम्बर, 2012 तक)

(₹ लाखों में)

योजना	प्रावधान	व्यय (दिसम्बर, 2012 तक)
वानिकी सेक्टर		
नाबार्ड से प्राप्त ऋण (वन्य जीव)	944.00	161.28
नाबार्ड से प्राप्त ऋण (नवीन)	10000.00	1242.63
जैव विविधता संरक्षण	1137.19	75.40
संघनन, सीमा निर्धारण एवं बन्दोबस्त कार्य	16.60	2.95
परिभ्रांषित वनों का पुनरारोपण	1254.69	381.66
संचार एवं भवन	2050.00	37.66
कैम्पा कोष	74.13	-
भाखड़ा नहर वृक्षारोपण	188.33	93.93
गंगनहर वृक्षारोपण	272.13	189.97
पर्यावरण वानिकी	92.14	60.13
वन्य जीव संरक्षण	498.08	244.57
कृषि वानिकी	466.58	234.84
वन प्रबन्ध का सुदृढ़ीकरण	90.00	20.03
गोरधन ड्रेन	2097.72	937.08
पारि-पर्यटन	300.00	72.52
जलवायु परिवर्तन एवं मरुस्थल नियंत्रण	439.75	67.00
शोध एवं प्रशिक्षण	34.29	5.29
साझा वन प्रबन्ध का सुदृढ़ीकरण	20.00	3.33
योग	**19975.63**	**3830.27**
13वां वित्त आयोग	2530.28	224.04
बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं		
राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना	12192.60	236.00
योग	**12192.60**	**236.00**
भू-संरक्षण सेक्टर		
कन्दरा क्षेत्रों में मृदा संरक्षण	25.00	23.24
योग	**25.00**	**23.24**
बनास परियोजना में 10% राज्य हिस्सा	140.00	89.23
नदी घाटी परियोजना में 10% राज्य हिस्सा	150.00	91.26
लूणी परियोजना में 10% राज्य हिस्सा	30.00	12.41
योग	**320.00**	**192.90**
योग भू-संरक्षण क्षेत्र	**345.00**	**216.14**
महायोग	**35043.51**	**4506.45**

वार्षिक योजना 2012-13 की महत्त्वपूर्ण भौतिक प्रगति

(दिसम्बर, 2012 तक)

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	योजना/मद	इकाई	भौतिक लक्ष्य	दिसम्बर, 2012 तक उपलब्धियां
1	2	3	4	5
1.	**वानिकी सेक्टर**			
	कृषि वानिकी (पौध तैयारी)	लाख	80	31.40
	पर्यावरण वानिकी (वृक्षारोपण)	है.	300	300
	भाखड़ा नहर वृक्षारोपण	आर.के.एम.	500	315
	गंग नहर (वृक्षारोपण)	आर.के.एम.	700	710
2.	**भू-संरक्षण**			
	(अ) वृक्षारोपण	है.	200	200

सरिस्का अभयारण्य में ग्रीष्म ऋतु में सूखी घास के पीछे छिपता सांभर

छाया : डॉ. सतीश कुमार शर्मा

परिशिष्ट-5

वार्षिक योजना 2012-13
केन्द्र प्रवर्तित योजना

योजना	नवीनतम प्रावधान		दिसम्बर, 2012 तक वास्तविक व्यय	
	केन्द्रीय हिस्सा	राज्य हिस्सा	केन्द्रीय हिस्सा	राज्य हिस्सा
वानिकी क्षेत्र				
सांभर नम भूमि परियोजना	132.03	-	57.92	-
वन प्रबन्ध का सुदृढ़ीकरण	270.00	90.00	44.97	20.03
बाघ परियोजना रणथम्भौर	5479.50	100.00	274.53	50.40
बाघ परियोजना सरिस्का	3350.00	50.00	757.41	66.16
घना पक्षी विहार का विकास	100.00	-	25.81	-
अन्य अभयारण्यों का संधारण	440.00	40.00	173.90	-
मरु राष्ट्रीय उद्यान का विकास	80.00	-	17.28	-
चिड़ियाघरों का सुधार	0.02			
ईको टास्क फोर्स, रणथम्भौर	40.00	-	-	-
योग (वानिकी क्षेत्र)	**9891.55**	**280.00**	**1351.82**	**136.59**
भू-संरक्षण क्षेत्र				
चम्बल, कड़ाना व दांतीवाड़ा के आवाह क्षेत्र में भू-संरक्षण	1350.00	150.00	802.21	91.26
लूनी नदी के आवाह क्षेत्र में भू-संरक्षण	270.00	30.00	109.19	12.41
बनास परियोजना के आवाह क्षेत्र में भू-संरक्षण	1260.00	140.00	754.32	89.23
कुल (भू-संरक्षण क्षेत्र)	**2880.00**	**320.00**	**1665.72**	**192.90**
महायोग	**12771.55**	**600.00**	**3017.54**	**329.49**

नैशनल पार्क एवं अभयारण्यों की सूची

क्र.सं.	संरक्षित क्षेत्र का नाम	जिला	क्षेत्रफल (कि.मी. में)	नोटिफिकेशन संख्या एवं दिनांक
अ.	**राष्ट्रीय उद्यान**			
1.	रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान	सवाईमाधोपुर	282.03	एफ11(26)रेवेन्यू/8/80/दिनांक 1.11.80
2.	केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान	भरतपुर	28.73	एफ3(5)(9)/8/72/दिनांक 27.08.81
3.	मुकन्दरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान	कोटा, चित्तौड़गढ़	199.55*	एफ 11(56) वन/2001/पार्ट दिनांक 09.01.12
	योग एन.पी.		**510.31**	
ब.	**अभयारण्य**			
1.	सरिस्का अभयारण्य	अलवर	492.29	एफ39(2) फोरेस्ट/55/दिनांक 1.11.55
2.	सरिस्का 'अ'	अलवर	3.0122	प.1(24) वन/08/दिनांक 20.06.2012
3.	दर्रा अभयारण्य	कोटा, झालावाड़	83.44	एफ39(2) फोरेस्ट/55/दिनांक 1.11.55
4.	वन विहार अभयारण्य	धौलपुर	25.60	एफ39(2) फोरेस्ट/55/दिनांक 1.11.55
5.	जयसमंद अभयारण्य	उदयपुर	52.34	एफ39(2) फोरेस्ट/55/दिनांक 1.11.55
6.	आबू पर्वत अभयारण्य	सिरोही	326.10	प.11(40) वन/97/दिनांक 15.4.08
7.	कुंभलगढ़ अभयारण्य	राजसमंद, उदयपुर एवं पाली	610.528	एफ10(26)रेवेन्यू/ए/71/दिनांक 13.7.71
8.	तालछापर	चूरू	7.19	एफ379/रेवेन्यू/8/59/दिनांक 4.10.62
9.	सीतामाता अभयारण्य	उदयपुर, चित्तौड़गढ़	422.94	एफ11(9)रेवेन्यू/8/78/दिनांक 2.1.79
10.	राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल अभयारण्य	कोटा, बूंदी, सवाई-माधोपुर, करौली, धौलपुर	274.75	एफ11(12)/रेवेन्यू/8/78/ दिनांक 7.12.79
11.	नाहरगढ़ अभयारण्य	जयपुर	52.40	एफ11(39)रेवेन्यू/8/80/दिनांक 22.9.80
12.	जमवारामगढ़ अभयारण्य	जयपुर	300.00	एफ11(12)रेवेन्यू/8/80/दिनांक 31.5.82

* The area of Mukandra Hills National Park comprises of 156.32 sq. km. of Darrah wild life sanctuary, 37.98 sq. km. of Jawahar Sagar wild life sanctuary and 5.25 sq. km. of National Chambal sanctuary.

क्र.सं.	संरक्षित क्षेत्र का नाम	जिला	क्षेत्रफल (कि.मी. में)	नोटिफिकेशन संख्या एवं दिनांक
13.	जवाहर सागर अभयारण्य	कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़	182.11	एफ11(5) 13/रेवेन्यू/8/73/ दिनांक 9.10.75
14.	राष्ट्रीय मरु उद्यान अभयारण्य	जैसलमेर, बाड़मेर	3162.00	एफ3(1)73/रेवेन्यू/8/79/ दिनांक 4.8.80
15.	रामगढ़ विषधारी अभयारण्य	बूंदी	307.00	एफ11(1) रेवेन्यू/8/79/दिनांक 20.5.82
16.	भैंसरोडगढ़ अभयारण्य	चित्तौड़गढ़	201.40	एफ11(44)रेवेन्यू/8/81/दिनांक 5.2.83
17.	कैलादेवी अभयारण्य	करौली , सवाईमाधोपुर	676.82	एफ11(28)रेवेन्यू/8/83/दिनांक 19.7.83
18.	शेरगढ़ अभयारण्य	बारां	81.67	एफ11(35)रेवेन्यू/8/83/दिनांक 30.07.83
19.	टॉटगढ़ रावली अभयारण्य	राजसमंद, अजमेर, पाली	475.235	एफ11(56)रेवेन्यू/8/82/दिनांक 28.9.83
20.	फुलवारी की नाल अभयारण्य	उदयपुर	511.41	एफ 11(1) रेवेन्यू/8/83/दिनांक 6.10.83
21.	सवाईमानसिंह अभयारण्य	सवाईमाधोपुर	113.07	एफ11(28)रेवेन्यू/8/84/दिनांक 30.11.84
22.	बंध बारेठा अभयारण्य	भरतपुर	199.24	एफ11(1) एनवायरमेंट/दिनांक 7.10.85
23.	सज्जनगढ़ अभयारण्य	उदयपुर	5.19	एफ11(64)रेवेन्यू/8/86/दिनांक 17.2.87
24.	बस्सी अभयारण्य	चित्तौड़गढ़	138.69	एफ11(41)रेवेन्यू/8/86/दिनांक 29.8.88
25.	रामसागर अभयारण्य	धौलपुर	34.40	एफ39(2) एफओआर/55/दिनांक 7.11.55
26.	केसरबाग अभयारण्य	धौलपुर	14.76	एफ39(26) एफओआर/55/ दिनांक 7.11.55
	Total WLS		**8753.5852**	
	Grand Total NP/WLS		**9263.8952**	
स.	**कन्जर्वेशन रिजर्व**			
1.	बीसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व	टोंक	48.31	प.3(19) वन/2006/दिनांक 13.10.08
2.	जोडबीड़ गाढवाला कन्जर्वेशन रिजर्व बीकानेर	बीकानेर	56.4662	प.3(22)वन/2008/दिनांक 25.11.08
3.	सुन्धा माता कन्जर्वेशन रिजर्व	जालोर, सिरोही	117.4892	प.3 (22) वन/2008/दिनांक 25.11.08
4.	गुढा विश्नोईयान कन्जर्वेशन रिजर्व	जोधपुर	2.3137*	प.3(2)वन/2011/दिनांक 15.12.11

क्र.सं.	संरक्षित क्षेत्र का नाम	जिला	क्षेत्रफल (कि.मी. में)	नोटिफिकेशन संख्या एवं दिनांक
5.	शाकम्भरी कन्जर्वेशन रिजर्व	सीकर, झुन्झुनूं	131.00	प.3 (16) वन/2009/दिनांक 09.02.12
6.	गोगेलाव कन्जर्वेशन रिजर्व	नागौर	3.58	प.3 (17) वन/2011/दिनांक 09.03.12
7.	बीड़ झुन्झुनूं कन्जर्वेशन रिजर्व	झुन्झुनूं	10.4748	प.3 (47) वन/2008/दिनांक 09.03.12
8.	रोटू कन्जर्वेशन रिजर्व	नागौर	0.7286	प.3 (8) वन/2011/दिनांक 29.05.12
9.	उम्मेदगंज पक्षी विहार कन्जर्वेशन रिजर्व	कोटा	2.7247	प.3(1)वन/2012/दिनांक 05.11.12
	Total WLS		**373.0872**	
	G. Total NP/WLS/CR		**9636.9824**	

हुद-हुद *(Hoopoe)*

सीतामाता अभयारण्य में श्रेष्ठ कचरा प्रबन्धन की नवीनतम प्रविधि का प्रयोग

छाया : पी. सी. जैन

खूटा तालाब धरियावद में राजहंस *(Greylag goose)*

वन विभाग का

माननीय वन

अति. मुख्य

शासन सचिव, वन

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हैड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स), राजस्थान, जयपुर

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राज., जयपुर
उवसं (प्रशासन)

अति. प्रमुवसं वन्य जीव, जयपुर
उवसं (आयोजना) वजी, जयपुर

मुवसं वजी, जयपुर
वसं, वन्य जीव, जयपुर
उवसं चिड़ियाघर, जयपुर
वसं एवं क्षे.नि. सरिस्का, अलवर
उवसं एवं उ.क्षे.नि.
बाघ परियोजना सरिस्का

मुवसं वजी, जोधपुर
उवसं (प्रशासन)
उवसं वजी, जोधपुर
उवसं वजी, जैसलमेर
उवसं वजी, आबू पर्वत
उवसं वजी, बीकानेर

अति प्रमुवसं परि.सूची. एवं कॉर्डिनेशन
उवसं कोर्डिनेशन

मुवसं वन्य जीव, कोटा
उवसं वजी, कोटा
उवसं वजी, मुकुन्दरा ने.पा., कोटा
उवसं वजी राचअ, स.मा.

मुवसं वन्य जीव, उदयपुर
उवसं (प्रशासन)
उवसं वजी, चित्तौड़गढ़
उवसं वजी, उदयपुर
उवसं वजी, राजसमंद

मुवसं, ईको ट्यूरिज्म, जयपुर
सवसं ईको ट्यूरिज्म

मुवसं वन्य जीव, भरतपुर
वसं एवं क्षेनि. बाघ, रणथम्भौर
उवसं एवं उक्षेनि-I आरटीपी, भरतपुर
उवसं एवं उक्षेनि-II आरटीपी, स.मा.
उवसं वजी, भरतपुर

अ.प्र.मु.व.सं. (प्रशासन)

मुवसं संस्थापन
उवसं (संस्थापन) राज.
मुवस एवं प्रा.स., प्रमुवसं
उवसं (अराजपत्रित)

अप्रमुवस
श्रम एवं विधि
उवसं श्रम एवं विधि
उवसं लिटिगेशन
संयुक्त विधि परामर्शी
वरि. विधि सहायक

अप्रमुवस (मुख्यालय)
मुवसं (मु.) जयपुर
उवस जांच
उवसं विधानसभा
उवसं आरटीआई
उवसं एवं प्रा.स., प्रमुवसं

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कार्य आयो. एवं वन बन्दो. राज.
उवसं (प्रशासन)

मुवसं का.आ., जयपुर

अप्रमुवसं (उत्पा.)
उवसं (प्रशासन)
मुवसं, एनटीएफपी, जयपुर
उवसं, तेन्दू पत्ता, जयपुर
वसं, मेडि. प्ला., जयपुर
मुवसं विका, जयपुर
उवसं विकासं, बीकानेर
उवसं विकासं, उदयपुर
उवसं विकासं, सूरतगढ़
उवसं विकासं, जयपुर
उवसं स्टेज-II, बीकानेर
मुवसं सूचना प्रौद्योगिकी
उवसं सू. प्रौ.
सवसं सूचना प्रौद्योगिकी

अप्रमुवसं (भू.सं.)
उवसं (प्रशासन)
मुवसं, एफपीआर परि., जयपुर
भूसंअ, सोजत
भूसंअ, कृषि स.माधोपुर
वअअ एवं भूसंअ, भीलवाड़ा
उवसं, टोंक
मुवसं आरवीपी, कोटा
उवसं, बेगूं
उवसं, बांसवाड़ा
उवसं, आबू रोड

संभागीय मुवसं, उदयपुर
उवसं (प्रशासन)
वसं, एम एण्ड ई, उदयपुर
उवसं, उदयपुर
उवसं, उदयपुर (उत्तर)
उवसं, डूंगरपुर
उवसं, बांसवाड़ा
उवसं, राजसमंद
उवसं, चित्तौड़गढ़
उवसं, प्रतापगढ़
काआअ, उदयपुर
उवसं आयो. एवं प्रबो., उदयपुर
सवसं उ.द., उदयपुर
वबअ, उदयपुर

संभागीय मुवसं, जयपुर
उवसं (प्रशासन)
वसं, एम एण्ड ई, जयपुर
उवसं, जयपुर
उवसं, जयपुर (उत्तर)
उवसं, अलवर
उवसं, सीकर
उवसं, झुंझुनूं
उवसं, दौसा
काआअ, जयपुर
वबअ, जयपुर
उवसं आयो. एवं प्रबो., जयपुर
सवसं उ.द., जयपुर

संभागीय मुवसं, कोटा
उवसं (प्रशासन)
वसं, एम एण्ड ई, कोटा
उवसं, कोटा
उवसं, बारां
उवसं, बूंदी
उवसं, झालावाड़
काआअ, कोटा
वबअ, कोटा
उवसं आयो. एवं प्रबो., कोटा
सवसं उ.द., कोटा

नोट : का.आ.अ.-कार्य आयोजना अधिकारी, व.व.अ.-वन बन्दोबस्त अधिकारी, उवसं आयोज एवं प्रबो-उवसं, आयोजना एवं प्रबोधन, सवसं उ.द.-सवसं, उड़न दस्ता, सं.प्र.प्र.-संचार प्रसार एवं प्रशिक्षण, व.जी.-वन्य जीव।

संगठनात्मक ढांचा

मंत्री, राजस्थान

सचिव, वन

उप शासन सचिव, वन

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
टी.आर.ई.ई., राज.

उवसं (प्रशासन)

अप्रमुवसं (एफसीए)
मुवसं (एफसीए)
उवसं (एफसीए)

अति.प्रमुवसं (एम एण्ड ई)

मुवसं सी ई, जयपुर

अप्रमुवसं (वन सुरक्षा)
मुवसं (वन सुरक्षा)
उवसं (वन सुरक्षा)

परि. निदे. आरएफबीपी

अ. परि. निदे. विकास
अ. परि. निदे. प्रशासन
संयुक्त परि. निदेशक
उप निदे. प्रशासन
उप निदे. विकास

वित्तीय सलाहकार

लेखाधिकारी
सहा. लेखाधिकारी-3

मुवसं (प्रशि.अनुसंधान)

वसं, प्रशिक्षण, जयपुर
उवसं, प्रशिक्षण, जयपुर
उवसं प्रशिक्षण, अलवर
उवसं प्रशिक्षण, जोधपुर

मुवसं, सिल्वीकल्चर, जयपुर
वसं, सिल्वीकल्चर, जयपुर
उवसं अनुसंधान, जयपुर
अनुसंधान अधिकारी बीज
स. उद्यान विज्ञ, जयपुर
मृदा अधिकारी, जयपुर

अति.प्रमुवसं (विकास)

मुवसं (आयोजना), जयपुर
उवसं आयोजना, जयपुर

मुवसं (ईजीएस)
मुवसं (जेएफएम)
वसं (जेएफएम)

संभागीय मुवसं, अजमेर
उवसं (प्रशासन)

वसं, एम एण्ड ई, अजमेर
उवसं, अजमेर
उवसं, भीलवाड़ा
उवसं, टोंक
उवसं, नागौर
काआअ, अजमेर
उवसं आयो. एवं प्रबो., अजमेर

संभागीय मुवसं, भरतपुर
उवसं (प्रशासन)

वसं, एम एण्ड ई, भरतपुर
उवसं, करौली
उवसं, धौलपुर
उवसं, भरतपुर
उवसं, सवाई माधोपुर
काआअ, भरतपुर
उवसं आयो. एवं प्रबो., भरतपुर

संभागीय मुवसं, बीकानेर
उवसं (प्रशासन)

वसं, एम एण्ड ई, बीकानेर
उवसं, बीकानेर
उवसं, स्टे-II, खण्ड-I, बीकानेर
उवसं, स्टे-II, खण्ड-II, छतरगढ़
उवसं, हनुमानगढ़
उवसं, श्रीगंगानगर
उवसं, चूरू
काआअ, बीकानेर
वबअ, बीकानेर
उवसं आयो. एवं प्रबो., बीकानेर
सवसं उ.द., बीकानेर

संभागीय मुवसं, जोधपुर
उवसं (प्रशासन)

वसं, एम एण्ड ई, जोधपुर
उवसं, पाली
उवसं, जालोर
उवसं, बाड़मेर
उवसं, जोधपुर
उवसं, सिरोही
उवसं, जैसलमेर
उवसं, इगानप स्टेज-II जैसलमेर
काआअ, जोधपुर
वबअ, जोधपुर
उवसं आयो. एवं प्रबो., जोधपुर
उवसं, लिटिगेशन, जोधपुर
सवसं उ.द., जोधपुर

परिशिष्ट-8

वर्ष 2011-12 की वास्तविक प्राप्तियां एवं वर्ष 2012-13 के अन्तर्गत जनवरी, 13 तक कुल प्राप्तियां

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	लेखा शीर्षक	आय-व्यय अनुमान वर्ष 2011-12	संशोधित अनुमान वर्ष 2011-12	आय-व्यय अनुमान वर्ष 2012-13	वर्ष 2011-12 मार्च, 2012 तक कुल आय	दिसम्बर, 2012 तक आय
मुख्य शीर्षक-0406-वानिकी तथा वन्य प्राणी लघु शीर्षक-01-वानिकी, 101 लकड़ी और वन्य उत्पाद की बिक्री						
(01)	इमारती लकड़ी और अन्य वन उत्पाद की बिक्री	1.45	4.43	2.60	8.15	1.19
(02)	जलाने की लकड़ी और कोयला व्यापार योजना	2170.00	2170.21	1801.82	2111.38	982.03
(03)	बांस से प्राप्तियां	200.00	220.00	200.00	298.24	226.66
(04)	घास तथा वन की शुद्ध उपज	80.00	90.37	79.12	147.52	52.66
(06)	तेन्दू पत्ता व्यापार योजना					
	(01) तेन्दू पत्तों के विक्रय से प्राप्तियां	1000.00	1007.00	1050.00	1065.12	1346.00
	(02) अन्य विविध प्राप्तियां	11.00	11.00	12.00	15.39	9.93
(07)	काष्ठ निर्माण केन्द्र की प्राप्तियां					
	योग 101	**3462.45**	**3503.01**	**3145.54**	**3645.80**	**2618.47**
800 अन्य प्राप्तियाँ						
(01)	अर्थदण्ड और राज सत्कार	750.00	792.40	894.29	1004.38	586.29
(02)	शिकार अनुज्ञा शुल्क	0.01	0.01	0.01	-	-
(03)	व्यय गत निक्षेप	2.50	18.00	15.00	1.34	0.71
(04)	अन्य वनों से प्राप्तियां	0.50	0.35	0.25	5.78	-
(05)	अन्य विविध प्राप्तियां	1000.00	526.26	570.39	1343.76	601.76
(06)	गैर वन भूमि के वृक्षारोपण के अधिग्रहण की क्षतिपूर्तियों से प्राप्तियां	0.00	0.01	0.01	120.52	28.37
	योग-800	**1753.01**	**1337.03**	**1479.95**	**2475.78**	**1217.13**

लगातार - 95

क्र.सं.	लेखा शीर्षक	आय-व्यय अनुमान वर्ष 2011-12	संशोधित अनुमान वर्ष 2011-12	आय-व्यय अनुमान वर्ष 2012-13	वर्ष 2011-12 मार्च, 2012 तक कुल आय	दिसम्बर, 2012 तक आय
	900-घटाइये वापसियां		0			
	योग-900		**0**			
	योग-01	**5215.46**	**4840.04**	**4625.49**	**6121.58**	**3835.60**
	(02) पर्यावरणीय वानिकी और वन्य जीवन					
111	प्राणी उद्यान					
(01)	चिड़ियाघर से प्राप्तियां	200.00	215.00	223.00	266.34	228.56
	योग 111	200.00	215.00	223.00	266.34	228.56
	800 अन्य प्राप्तियां					
(01)	ईको डवलपमेंट से आय	620.00	624.70	631.50	193.01	133.53
(02)	रणथम्भौर में पर्यटकों से आय	20.00	20.00	20.00	172.04	103.58
(03)	सरिस्का बाघ परियोजना में पर्यटन व्यवस्था से आय	0.00	0.01	0.01	18.37	9.59
(04)	रणथम्भौर बाघ परियोजना में ईको डवलपमेंट	0.00	0.01	0.01	505.35	330.06
(05)	सरिस्का बाघ परियोजना में ईको डवलपमेंट	0.00	0.01	0.01	67.49	36.32
(50)	**अनुपयोगी सामानों/वाहनों के निस्तारण से प्राप्तियां**					0.00
(01)	अनुपयोगी वाहनों के निस्तारण से प्राप्तियां	0.01	0.01	0.01	19.22	3.71
(02)	अन्य उपयोगी सामानों के निस्तारण से प्राप्तियां	0.01	0.01	0.01	12.55	14.60
	योग 800	**640.02**	**644.75**	**651.55**	**988.03**	**631.39**
	योग 02	**840.02**	**859.75**	**874.55**	**1254.37**	**726.42**
	योग 0406	**6055.48**	**5699.79**	**5500.04**	**7375.95**	**4695.55**

नोट : वन विकास कार्यों से प्राप्त लघु वन उपज निःशुल्क स्थानीय ग्रामवासियों को उपलब्ध कराने के फलस्वरूप वर्तमान में प्राप्त होने वाली प्रत्यक्ष आय मुख्यतः तेन्दू पत्ता इकाइयों की सीमित रह गई है। प्राप्त आय का विवरण उपरोक्तानुसार है।

Proposed Training Modules For 2013-14

Thematic Training	
S.No.	**Course Title**
1.	Out of Box Training Programme
2.	Personal and Professional Excellence
3.	Compulsory Training Programme (Sponsored by MoEF)
4.	Sensitization on Contemporary Environmental Issues
5.	Climate Change and Clean Development Mechanism
6.	Role of Forest Officers in REDD Governance
7.	Disaster Management
8.	Wild Life Management
9.	Eco-tourism Development Programme
10.	Executive Development Programme
11.	Effective Leadership and Team Building
12.	Exposure to RTI
13.	Law Enforcement Programme
14.	Forest Conservation Act and Effective Implementation
15.	Office Procedure
16.	Public Procurement Act. & Store Purchase Rules And Inventory Control
17.	Ethics in Governance
18.	Preparation of Working Plan & Management Plan
19.	Effective Implementation of MNREGS
20.	Recent Developments in MIS/GIS
21.	M& E In Afforestation Programmes
22.	JFM Consolidation & Preparation of Microplan
23.	Community Mobilization and Conflict Management
24.	Health And Stress Management
25.	Exposure to Sugam Portal
26.	Management Plan Preparation and implementation

Skill Development	
S.No.	**Course Title**
1.	Water Conservation and Rain Water Harvesting
2.	Applied Research in Vegetative Propagation and Nursery Techniques
3.	Conservation and Propagation of Medicinal Plants
4.	Wildlife Protection and Intelligence Gathering
5.	Effective Conduct of Official Meetings
6.	Advance Level Computer Course
7.	Noting and Drafting Skills
8.	Book Keeping and Maintenance of Accounts of VFPMC's
9.	Capacity Building Course for Chauffer's
10.	Skill Up gradation Course for Peons
11.	Self Defense and Martial Arts
12.	Hospitality Management and Maintenance of FRH
13.	Personal Efficiency and Time Management
14.	Q-GIS for forest officers
15.	Alternative To Forest Produce
16.	e-Green Watch
	Workshops/Seminars
S.No.	**Course Title**
1.	Travelling Workshop on JFM
2.	Workshop on Gender Equity Issues in JFM
3.	Media Exposure to Environment, Forests And Wildlife Issues
4.	Workshop on Global Concern on Forest Degradation
5.	Other Contemporary & Emerging Issues

वन क्षेत्रों में ऐतिहासिक धरोहर

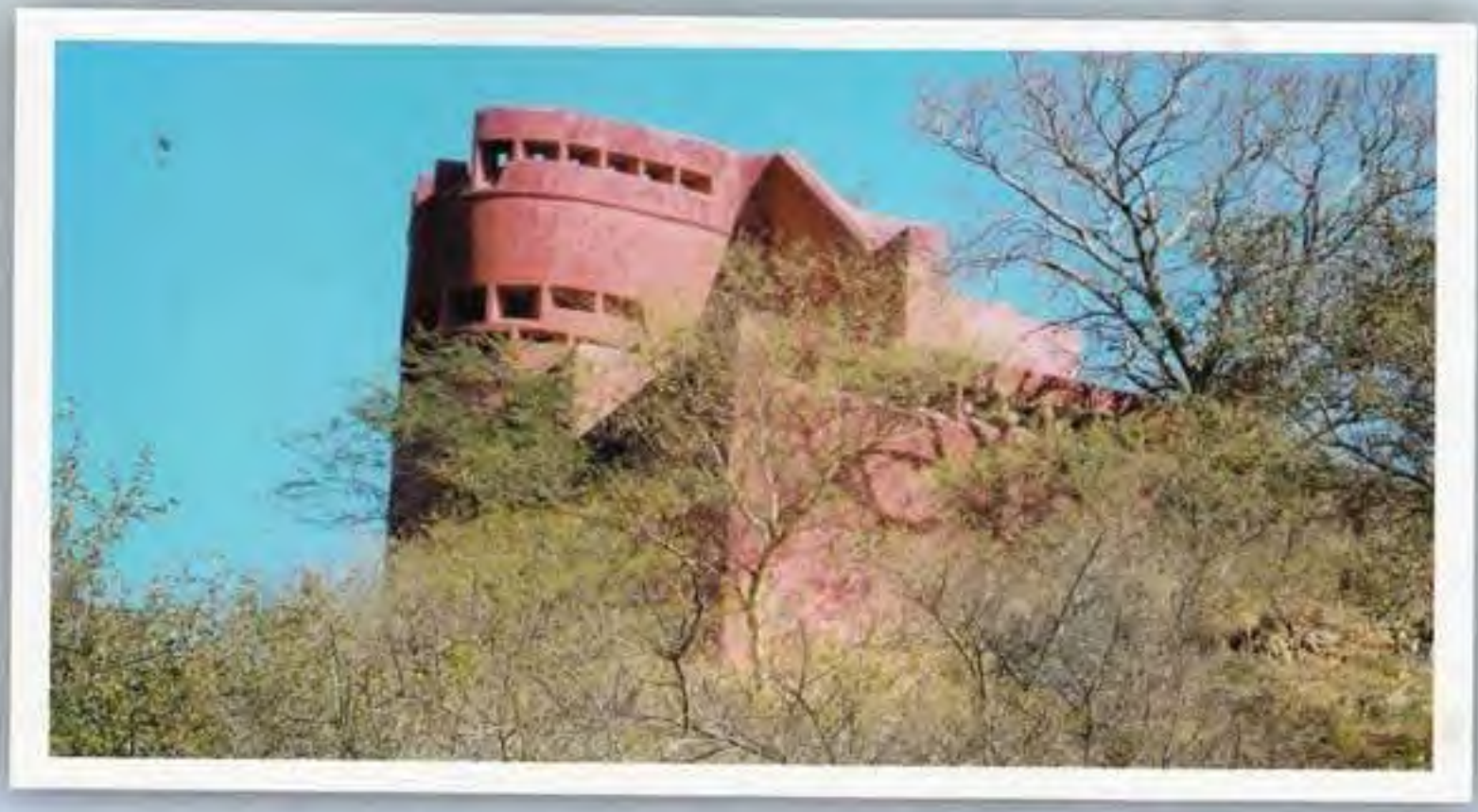

जयसमंद अभयारण्य (उदयपुर) में ऐतिहासिक गमधर शिकार ओदी, उदयपुर — छाया : डॉ. सतीश कुमार शर्मा

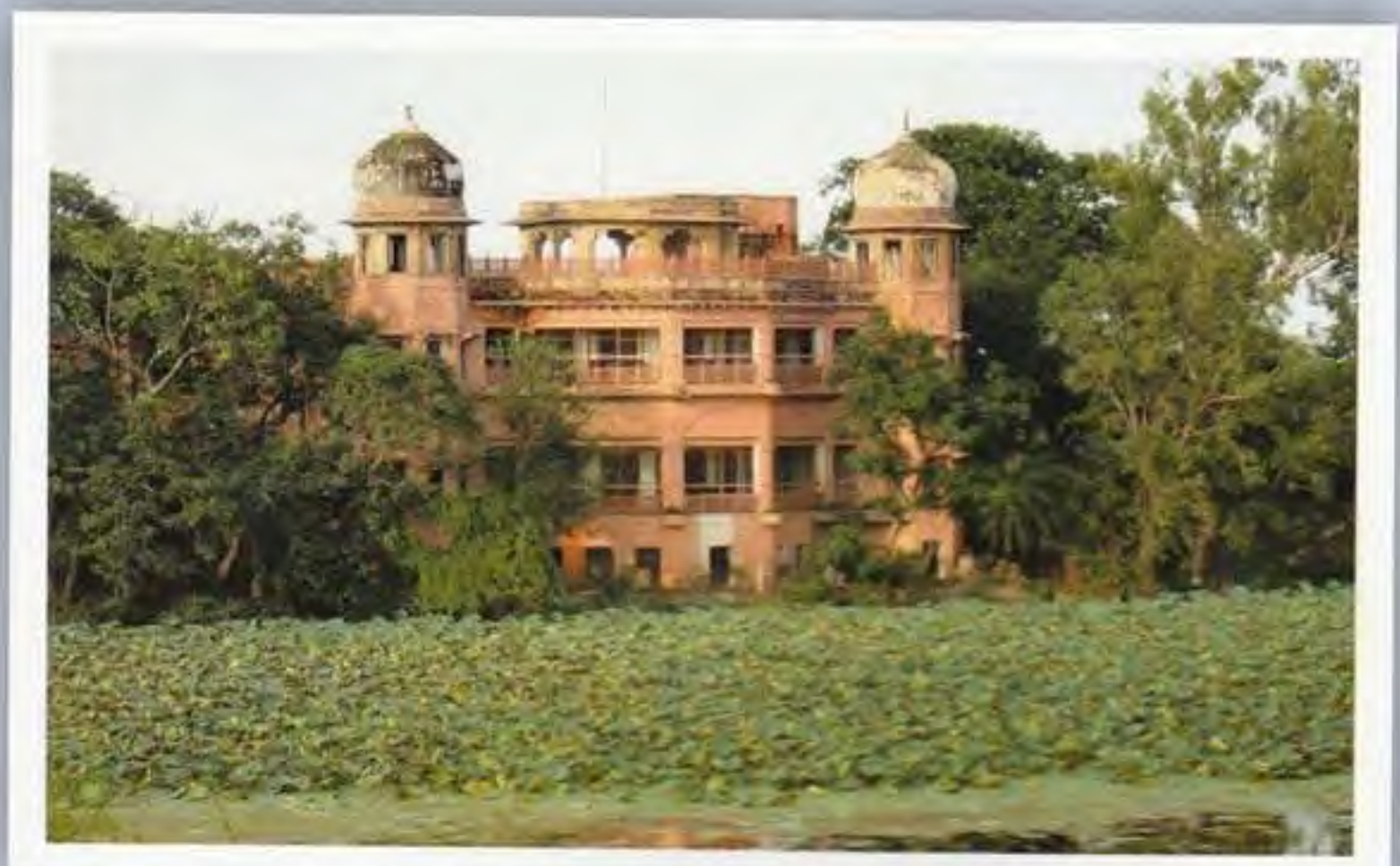

वन विहार अभयारण्य (धौलपुर) में स्थित वन विहार कोठी, धौलपुर — छाया : के. आर. काला

छाया : डॉ. सतीश कुमार शर्मा

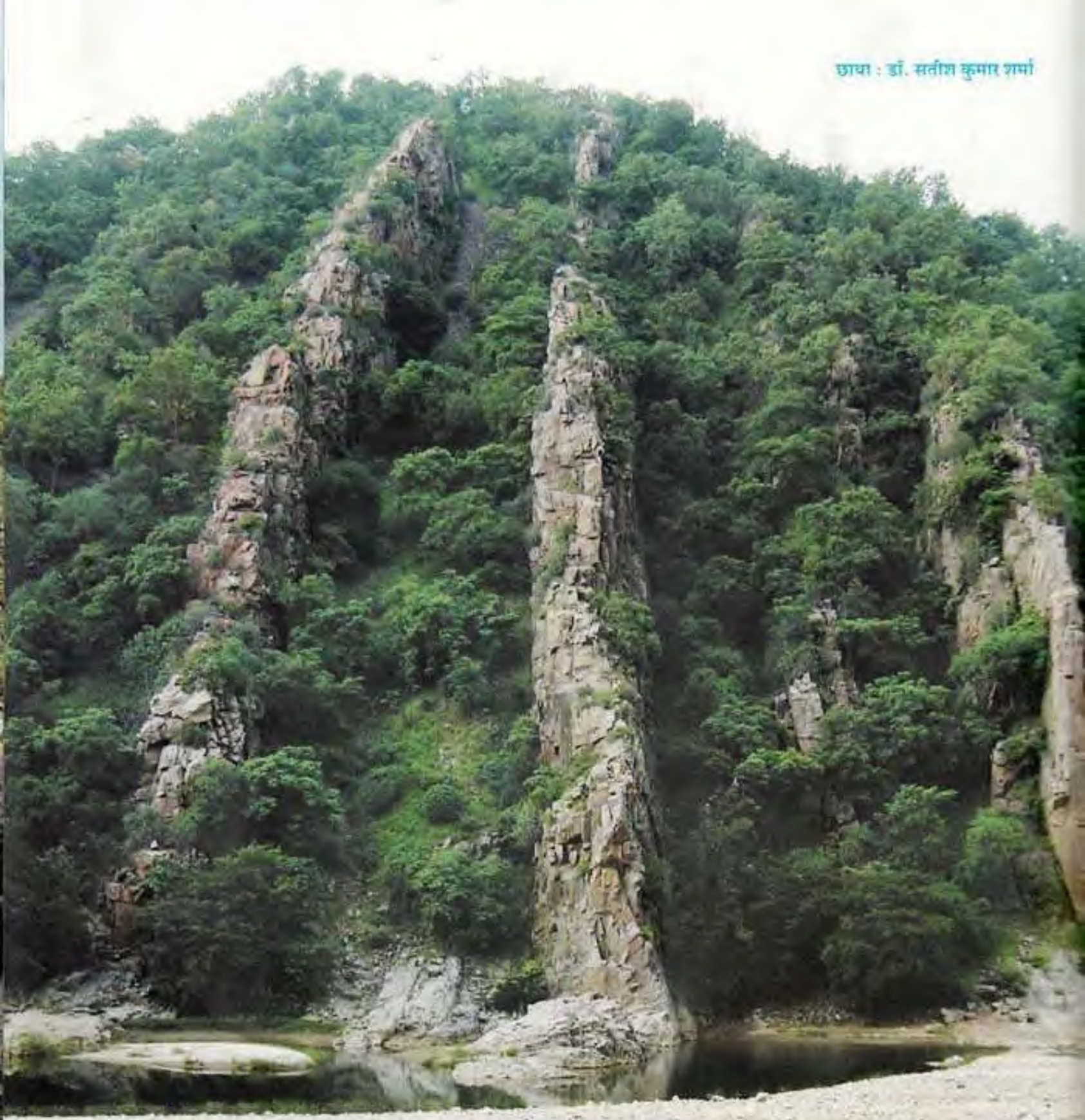

फुलवारी की नाल अभयारण्य में चट्टानों की एक विशिष्ट संरचना

मुख पृष्ठ : सीतामाता अभयारण्य में सीतामाता नदी का उद्गम स्थल। किंवदंती है कि रामायणकालीन सीता इसी स्थान पर भू-गर्भ में समाई थी।
छाया : पी. सी. जैन, सहायक वन संरक्षक (वन्य जीव), धरियावद, उदयपुर

वन विभाग राजस्थान द्वारा प्रकाशित व प्रसारित। • फरवरी-2013। मुद्रक : पॉपुलर प्रिन्टर्स, जयपुर, फोन : 2606883